हमारा मिशन

"स्थायी विकास के लिए अक्षय स्रोतों द्वारा ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरणीय प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर निवेश को प्रोत्साहित व वित्तपोषित करने वाली एक अग्रणी, प्रतिभागियों की हितैषी एवं प्रतियोगी संस्था के रूप में बने रहना'"

गुणवत्ता नीति

इरेडा अपने ग्राहकों की पूर्ण संतुष्टि एवं पारदर्शिता के लिए दक्ष प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं के जरिए अक्षय ऊर्जा एवं ऊर्जा दक्षता/संरक्षण और पर्यावरण प्रौद्योगिकियों के लिए नवीन वित्तीयन हेतु एक अग्रणी संस्था के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

इरेडा प्रभावी प्रबंधन प्रणाली के जरिए अपने ग्राहकों के लिए सेवाओं की गुणवत्ता में सतत् सुधार के लिए प्रयास करेगा।

गुणवत्ता उद्देश्य

- ग्राहक की पूर्ण संतुष्टि के लिए प्रयास करना।
- कर्मचारियों की क्षमता में निरंतर उन्नयन एवं व्यावसायिक कौशल में सुधार।
- ग्राहक को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की दक्षता में बढ़ोत्तरी।
- पद्धतियों, प्रक्रियाओं तथा सेवाओं में निरंतर सुधार।

हमारे कार्यनिष्पादन की मुख्य विशेषताएं

इरेडा का संसाधन आधार
2009–10

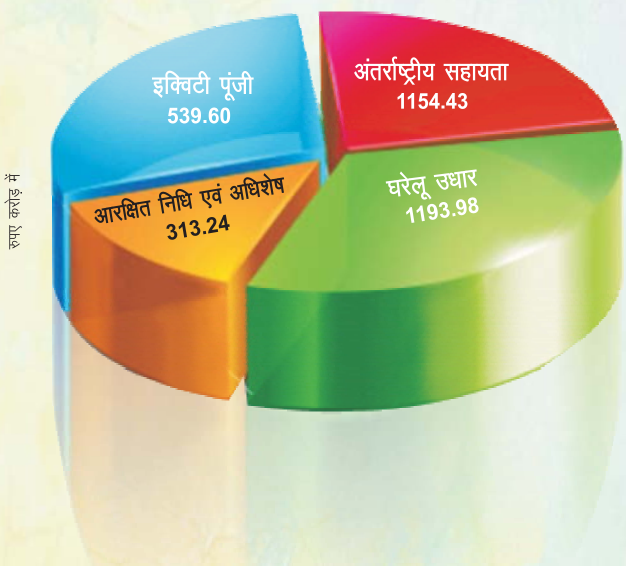

इरेडा का कार्य परिणाम
कर–पूर्व लाभ और कर–पश्चात् लाभ

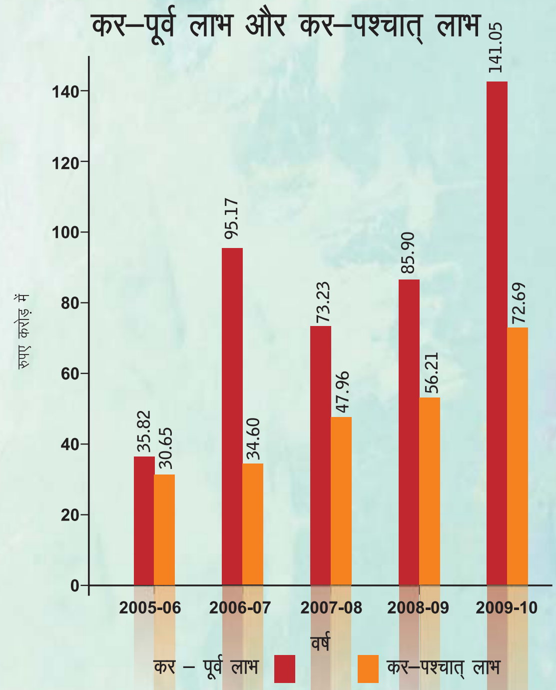

इरेडा के प्रचालन
ऋण मंजूरियां तथा संवितरण

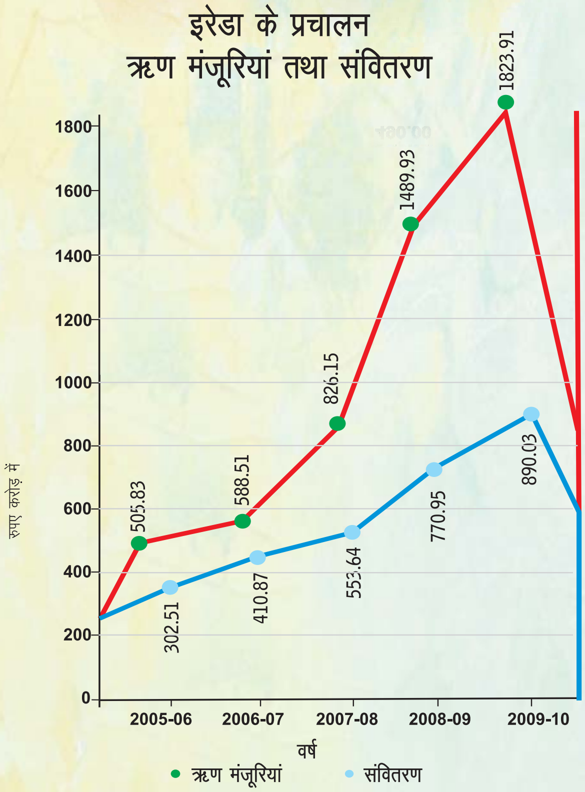

इरेडा का बकाया ऋण

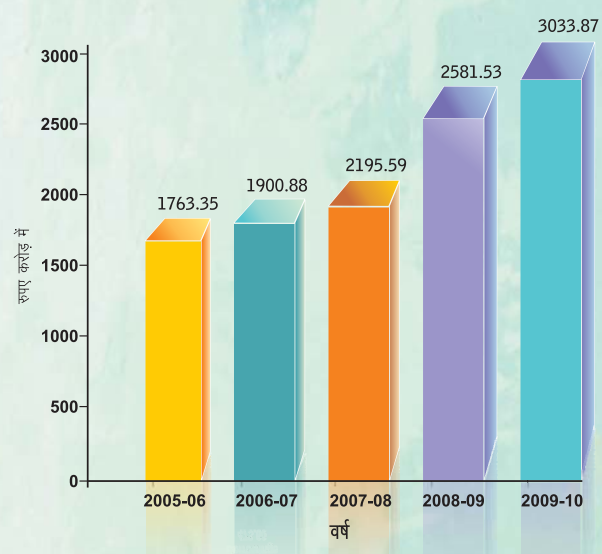

(रुपए करोड़ो में)

संसाधन	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
इक्विटी पूंजी	400.00	440.00	490.00	520.00	539.60
आरक्षित निधि एवं अधिशेष	166.12	178.00	214.47	257.51	313.24
अंतर्राष्ट्रीय सहायता	951.03	966.68	959.13	1040.82	1154.43
घरेलू उधार	617.34	537.86	473.60	773.36	1193.98
योग	**2134.49**	**2122.54**	**2137.20**	**2591.69**	**3201.25**

प्रचालन	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
ऋण मंजूरियां	505.83	588.51	826.15	1489.93	1823.91
संवितरण	302.51	410.87	553.64	770.95	890.03
उधार प्राप्तकर्ताओं द्वारा वापसी अदायगी	345.21	266.00	262.00	361.42	437.17
बकाया ऋण	1763.35	1900.88	2195.59	2581.53	3033.87
कार्य परिणाम					
सकल आय	195.05	232.78	247.22*	275.11	345.25
कर–पूर्व लाभ	35.82	95.17	73.23	85.90	141.05
कर–पश्चात् लाभ	30.65	34.60	47.96	56.21	72.69
प्रति शेयर आय (रुपए)	79.82	85.79	103.91	110.30	136.88

*पुनर्समूहित आंकड़ा

शाश्वत ऊर्जा

अक्षय ऊर्जा

डॉ. फारुक अब्दुल्ला
माननीय केन्द्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

इरेडा
IREDA

विषय–सूची

निदेशक मंडल
07

सूचना
09

अध्यक्ष का अभिभाषण
11

निदेशकों की रिपोर्ट
18

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट
42

नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ
46

तुलन–पत्र
48

लाभ–हानि लेखा
49

अनुसूचियाँ
50

डॉ. फारुक अब्दुल्ला, केन्द्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, 'प्रोजेक्ट रोशनी' के तहत राष्ट्रपति भवन में आयोजित प्रदर्शनी में लद्दाख के सौर संयंत्रों से होने वाले लाभ के बारे में माननीया राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल को बताते हुए।

डॉ. फारुक अब्दुल्ला, माननीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, शिरडी, महाराष्ट्र में विश्व की सबसे बड़ी सौर स्टीम कूकिंग सिस्टम का उद्घाटन करते हुए।

निदेशक मंडल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	देबाशीष मजुमदार
निदेशक–गण	एस.पी. रेड्डी के.एस. पोपली हरि कुमार (31.7.2010 तक) के.पी. सुकुमारन (31.12.2009 तक) डॉ. प्रवीण सक्सेना (1.8.2010 से) ए.के. कौशिक (16.3.2010 से) ए. प्रसाद डॉ. राज किशोर प्रसाद प्रो. एस. सदगोपान
कंपनी सचिव	एस.के. भार्गव
पंजीकृत कार्यालय	भारत पर्यावास केन्द्र ईस्ट कोर्ट, कोर–4'ए' प्रथम तल, लोधी रोड, नई दिल्ली –110 003
कॉरपोरेट कार्यालय	तीसरा तल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली 110 066
लेखापरीक्षक	मेसर्स एस.सी. वासुदेवा एंड कम्पनी सनदी लेखाकार बी–41, पंचशील इनक्लेव दिल्ली –110 017
बैंकर्स	बैंक ऑफ बड़ौदा केनरा बैंक स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद भारतीय स्टेट बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विजया बैंक

इरेडा के शेयरधारकों की 22वीं वार्षिक आम बैठक

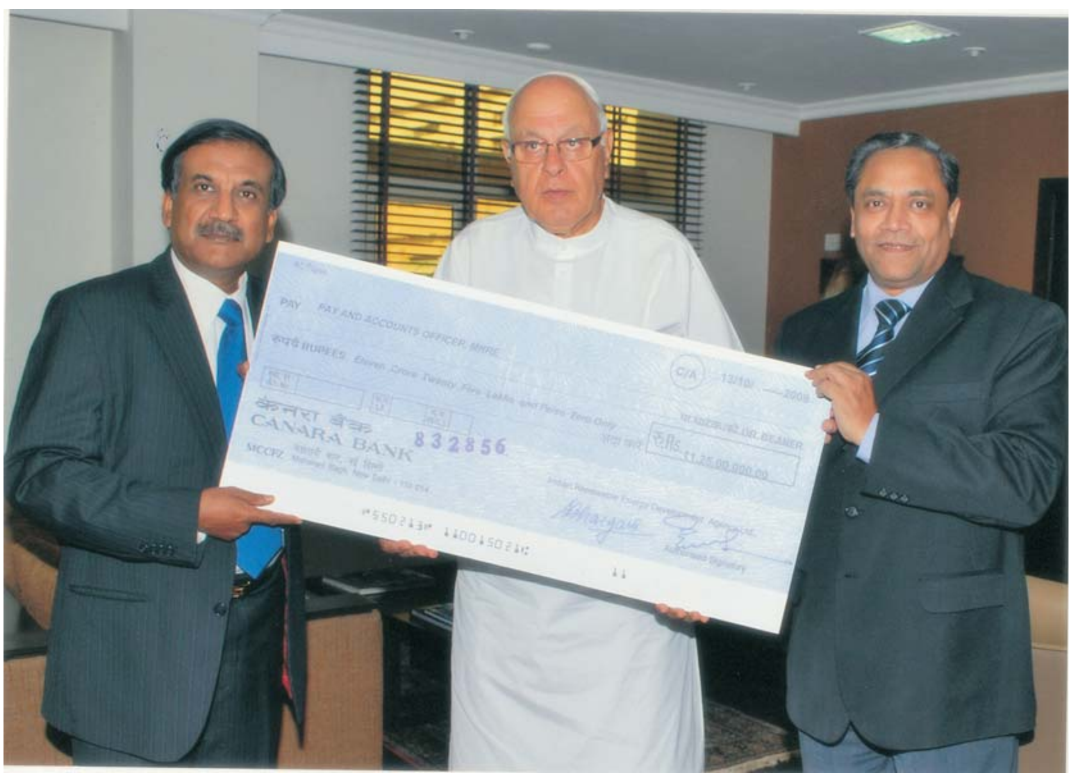

श्री देबाशीष मजुमदार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इरेडा और श्री दीपक गुप्ता, सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, डॉ. फारुक अब्दुल्ला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री को नई दिल्ली में लाभांश चेक देते हुए।

सूचना

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था सीमित (इरेडा) के शेयरधारकों की 23वीं वार्षिक आम बैठक निम्नलिखित कार्यों के संचालन के लिए रीगल हॉल, प्रथम तल, होटल रामादा प्लाजा, 19, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001 में मंगलवार 28 सितम्बर, 2010, को दोपहर 12.30 बजे आयोजित की जाएगी :

सामान्य कार्य

1. 31 मार्च, 2010 के अनुसार निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित तुलन–पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि लेखा, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और इस पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ प्राप्त करना, विचार करना और स्वीकार करना।
2. लाभांश घोषित करना।

यह बैठक कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अपेक्षित समय से कम समय में सूचना देकर बुलाई गई है। इसके लिए सभी शेयरधारकों की सहमति प्राप्त कर ली गई है।

निदेशक मंडल के आदेश से

(एस. के. भार्गव)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23.09.2010

1. सभी शेयरधारक
2. अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक तथा निदेशक–गण
3. मे. एस.सी. वासुदेवा एंड कंपनी, सनदी लेखाकार बी–41, पंचशील इनक्लेव, नई दिल्ली –110 017

टिप्पणियाँ :

1. बैठक में भाग लेने और मत देने का हकदार कोई भी सदस्य, इसमें अपनी जगह भाग लेने और मत देने के लिए प्रतिनिधि को नियुक्त करने का हकदार है और यह आवश्यक नहीं है कि प्रतिनिधि कंपनी का सदस्य हो (प्रतिपत्र फॉर्म संलग्न है)।

प्रतिपत्र फार्म

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था सीमित

(भारत सरकार का प्रतिष्ठान)

पंजीकृत और प्रधान कार्यालय : भारत पर्यावास केन्द्र, कोर–4'ए', ईस्ट कोर्ट, प्रथम तल, लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003

कॉरपोरेट कार्यालय : तीसरा तल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110 066

मैं/हम .... निवासी.. जिला .... उपर्युक्त कंपनी का/के सदस्य होने के नाते एतद्द्वारा .... निवासी ....जिला .... को, या उसके अनुपस्थित रहने पर .... निवासी .... जिला .... को सितंबर, 2010 की 28 तारीख तथा उसकी किसी स्थगन पर कंपनी की **23वीं वार्षिक आम बैठक** में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से मत देने के लिए अपना/हमारा प्रतिनिधि नियुक्त करता हूँ/करती हूँ/ करते हैं।

आज वर्ष 2010 के .... माह की .... तारीख को हस्ताक्षरित।

....
(हस्ताक्षर)

टिप्पणी : यह प्रतिपत्र फार्म कंपनी के कॉरपोरेट कार्यालय में उपर्युक्त बैठक के आयोजन के समय से 48 घंटे पहले अवश्य पहुँच जाना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि प्रतिपत्री कंपनी का शेयरधारक हो।

इरेडा ने तीसरी लाइन आफ क्रेडिट के लिए केएफडब्ल्यू के साथ ऋण करार पर हस्ताक्षर किए

श्री देबाशीष मजुमदार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इरेडा और श्री एस.एस कोहली, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईआईएफसीएल, नई दिल्ली में हस्ताक्षरित समझौते ज्ञापन का आदान प्रदान करते हुए ।

अध्यक्ष का अभिभाषण

देवियों एवं सज्जनों,

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास सीमित की 23वीं वार्षिक आम बैठक में आपका हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। निदेशकों की रिपोर्ट तथा 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा विधिवत् सत्यापित लेखाओं का लेखापरीक्षित विवरण आपके पास पहले से उपलब्ध है और आप सभी की अनुमति से इसे पठित समझा जाए।

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आपकी कंपनी अपने कार्यकलापों की सभी पहलुओं में उल्लेखनीय सफलता और उत्कृष्टता हासिल करती जा रही है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के प्रदर्शन पर चर्चा करने से पहले, मैं आपके सामने मौजूदा आर्थिक वातावरण, औद्योगिक परिदृश्य और उभरती वैश्विक आर्थिक सूचकों का जिक्र करना चाहूंगा जो आपकी कंपनी की कार्यनीतिक लक्ष्यों तथा कार्यनिष्पादन को प्रभावित करते हैं। इस बैठक को संबोधित करना मेरे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है।

यह कंपनी के लिए बहुत ही सम्मान एवं गौरव की बात है कि वित्तीय वर्ष 2009–10 के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था में चल रही उथल–पुथल एवं भारत पर इसके प्रभावों के बीच कंपनी ने अब तक का सर्वाधिक कर पश्चात् लाभ के रूप में 72.69 करोड़ रु. अर्जित करते हुए चहुँमुखी उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन दिखाया है।

आर्थिक परिदृश्य

भारतीय अर्थव्यवस्था के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि में वर्ष 2009–10 की दूसरी तिमाही में तेजी आई और यह बढ़कर 7.9 प्रतिशत हो गया तथा इस प्रकार पूरे वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 7.6 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2008 में शुरू हुई वैश्विक आर्थिक मंदी से भारतीय अर्थव्यवस्था में भी मंदी आई। भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 2008–09 में लगभग 7 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई और तेजी से हुए बदलाव से सुदृढ़ वृहद अर्थव्यवस्था संबंधी मूलभूत तत्व प्रकट हुए और मध्यावधि आर्थिक प्रत्याशाएं जगीं। चालू वर्ष का विकास स्तर औद्योगिक क्षेत्र में पुनः हुए उत्थान से प्रभावित हुआ है और कृषि क्षेत्र में गिरावट के बावजूद, थोड़ा ही सही, विकास हुआ है।

वस्तुओं (मर्केनडाइज) के निर्यात में आई तेजी, पूंजी प्रवाह, खाद्य / गैर–खाद्य क्रेडिट एवं वित्तीय बाजारों में सकारात्मक हलचल की वापसी से अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए पूर्वानुमान के अनुसार वर्ष 2010–11 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 8 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की आशा की जा सकती है।

औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वर्ष–दर–वर्ष आधार पर बढ़कर दिसम्बर 2009 में 15 प्रतिशत हो गई जबकि एक वर्ष पहले यह 9.7 प्रतिशत थी। इस मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण कुछ आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में आई बाधाएं हो सकती हैं जो विलंबित एवं सामान्य से कम दक्षिण पश्चिम मौनसून तथा देश के कुछ भागों में सूखे जैसी स्थितियों के कारण उत्पन्न हुई है।

उच्च मुद्रास्फीति से सम्यक विकास को खतरे को देखते हुए अक्टूबर, 2009 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति के स्थिर और कम होने तक जारी रहना निश्चित है।

वित्तीय वर्ष 2009–10 में सुधार के संकेतों और मार्च, 2009 क बाद विदेशी संस्थागत निवेशकों के प्रवाह की वापसी से भारतीय रुपया अमेरिकी डालर की तुलना में मजबूत हो रहा है जिसका प्रमुख कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डालर का कमजोर होना है।

भारतीय रिजर्व बैंक के अप्रैल, 2009 में घोषित वर्ष 2009–10 के वार्षिक नीति विवरण में एक ऐसी नीतिगत व्यवस्था प्रदान करने की योजना है जो पर्याप्त लिक्विडिटी प्रदान करेगी और जिससे अर्थक्षम दरों पर क्रेडिट विस्तार हो पाएगा तथा साथ ही क्रेडिट की गुणवत्ता कायम रखी जाएगी ताकि उच्च विकास राह पर अर्थव्यवस्था की वापसी को सहारा दिया जा सके एवं मूल्य स्थिरता एवं वित्तीय स्थिरता के अनुकूल मौद्रिक एवं ब्याज दर व्यवस्था बनाई रखी जा सके।

भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के एसएलआर में 100 बेसिस प्वाइन्ट की वृद्धि की। सिस्टम में व्याप्त अतिरिक्त लिक्विडिटी को प्रभावित करने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के नकद आरक्षित निधि अनुपात में दो चरणों में 75 बेसिस प्वाइन्ट बढ़ोत्तरी करके इसे 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.75 कर दिया गया। नीति एवं ब्जाज दरें चालू वित्तीय वर्ष में स्थिर रही हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था ने मुख्य रूप से आर्थिक मूलभूत तत्वों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए विनियामक एवं नीतिगत उपायों के कारण अपनी लोचता प्रमाणित कर दी है। तेजी से बढ़ रही हमारी अर्थव्यवस्था की निहित शक्ति एवं गति ने हमें वैश्विक आर्थिक मंदी के दौर से सुरक्षित रखा। मुझे आपको यह बताने में खुशी हो रही है कि विगत वर्ष में आर्थिक मंदी के बावजूद आपकी कंपनी पहले से अधिक मजबूत होकर सामने आई है।

ऊर्जा नीति

जनसंख्या के बहुत बड़े वर्ग में सम्पन्ता के उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही सामाजिक–आर्थिक विकास की योजना बनाई जा रही है ताकि अर्थव्यवस्था के अधिक विकास वाले क्षेत्रों में निजी निवेशों को बढ़ाया जा सके जबकि सरकार स्वयं सामाजिक अवसंरचना जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा एवं बिजली में सुधार लाने पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। इतना भारी निवेश ऊर्जा के लिए मांग में साथ–साथ हुई वृद्धि के कारण हुआ है। भारत अपने द्वारा चुनी गई राह पर स्पष्ट रूप से उच्च आर्थिक विकास के आधार पर ही आगे बढ़ रहा है जो ऊर्जा से प्रभावित होता है।

भारत की प्राथमिक ऊर्जा मांगों को मुख्यतया जीवाश्म ईंधनों से पूरा किया जा रहा है और इसकी वार्षिक तेल खपत के तीन हिस्से से अधिक का आयात किया जा रहा है। इस प्रकार, भारत की ऊर्जा सुरक्षा संबंधी चिंता लाजिमी है। पेट्रोलियम उत्पादों की खपत पिछले सात वर्षों में लगभग 4 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ी है। वर्ष 2030 तक यह अनुमान है कि हमारा देश अपनी ईंधन आवश्यकताओं का 90 प्रतिशत आयात करेगा।

देश की सकल संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता दिनांक 31.3.2010 की स्थिति के अनुसार 1,60,650 मेगावाट थी जिसमें 16,817 मेगावाट की संस्थापित अक्षय उर्जा क्षमता शामिल है जो कि कुल क्षमता का 10.46 प्रतिशत है। अक्षय ऊर्जा उत्पादन की संस्थापित क्षमता में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2009–10 के दौरान 16.22 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।

वर्ष 2009–10 के दौरान विद्युत आपूर्ति में चरम कमी एवं ऊर्जा की कमी क्रमशः 12.7 प्रतिशत और 10.1 प्रतिशत थी। माँग एवं आपूर्ति में मौजूदा अन्तर–राज्यीय भिन्नताओं के कारण यह आवश्यक हो गया है कि अधिशेष विद्युत वाले राज्यों से नाममात्र प्रभारों पर विद्युत खरीदने के लिए वितरक कंपनियों हेतु समुचित रूप से संरचित कार्यढाँचा उपलब्ध हो। देशभर में बिजली की घोर कमी को दूर करने के लिए नीतिगत व्याख्या की अपेक्षा है जो क्षमता संयोजन को कई गुना बढ़ाएगा और वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करेगा। इसके अलावा विद्युत क्षेत्र के समस्त श्रृंखला में दक्षता बढ़ाने के लिए एक प्रमुख पहल की आवश्यकता है। हमें अधिकाधिक ग्रिड स्थायित्व लाने और अक्षय ऊर्जा स्थलों से विद्युत निष्क्रमण को सरल बनाने के लिए संचरण नेटवर्क को और अधिक सुदृढ़ एवं व्यापक करने की भी आवश्यकता है।

राष्ट्रीय टैरिफ नीति, 2006 के परिणामस्वरूप कई राज्य विद्युत विनियामकों ने अधिमान टैरिफ आदेशों के जरिए अक्षय ऊर्जा के संवर्धन और वितरण लाइसेंस धारकों द्वारा अक्षय ऊर्जा के न्यूनतम आफ–टेक हेतु विनियमन बनाए हैं।

विद्युत विनिमय और विद्युत व्यापार के लिए प्लेटफार्म पहले ही सफलतापूर्वक स्थापित कर लिए गए हैं और विनियामक इस समय विद्युत उत्पादकों एवं अंतिम उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए व्यापार एवं खुली पहुँच को और अधिक सुगम बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं।

राज्य विनियामकों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अक्षय ऊर्जा खरीद दायित्वों को पूरा करने के लिए वितरण लाइसेंसधारकों को सक्षम बनाने हेतु सीईआरसी द्वारा

राज्य विनियामकों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अक्षय ऊर्जा खरीद दायित्वों को पूरा करने के लिए वितरण लाइसेंसधारकों को सक्षम बनाने हेतु सीईआरसी द्वारा ऊर्जा प्रमाणपत्र तंत्र को अक्षय ऊर्जा के अधिकाधिक विस्तार के लिए वैकल्पिक बाजार तंत्र के रूप में स्थापित किया गया है। मुझे विश्वास है कि इन उपायों से देश में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक निवेश सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।

कुल विद्युत की मात्रा में अक्षय ऊर्जा के भावी अंश को ध्यान में रखते हुए भारतीय विद्युत ग्रिड कोड में विद्युत की समय–सारणी एवं प्रेषण हेतु व्यापक स्तरीय अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को शामिल किया गया है।

सरकार की नई पहलों से व्यवसाय में प्रक्षेपित विकास की चुनौतियों का सामना करने के लिए लागत स्पर्धात्मक दरों पर अतिरिक्त संसाधन जुटाना इरेडा के लिए आवश्यक हो जाता है।

विद्युत की मांग एवं आपूर्ति के बीच का अन्तराल अभी भी काफी अधिक है। चरम खपत समय में इसकी कमी प्रत्येक राज्य के विद्युत नियोजकों के लिए चिंता का विषय है। विद्युत विनियामक संबंधितों के लिए कुछ संतुलन लाने एवं उनके बीच सामंजस्य बनाए रखने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं।

ऐसे परिदृश्य का वैश्विक अर्थव्यवस्था के कई अन्य क्षेत्रों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। चूँकि अर्थव्यवस्था सुधर रही है और जीवाश्म ईंधन से जुड़े पर्यावरण नुकसानों के कारण पर्यावरण संबंधी चिताएं बढ़ रही है इसलिए अक्षय ऊर्जा में पर्याप्त गति आएगी। भारत में तेल कीमतों में महज संशोधन से अक्षय ऊर्जा क्षेत्र आकर्षक लग रहा है और जबकि यह बिल्कुल सत्य है कि पारंपरिक ऊर्जा के मौजूदा मूल्य में कई प्रमुख बाह्य कारकों को छोड़ा गया है। तथापि हाइड्रोकार्बन का वास्तविक मूल्य वास्तव में अदा किए गए मूल्य से काफी अधिक है। मैं महसूस करता हूँ कि दुनिया इसके प्रति सजग हो रही है। भारत में पारंपरिक ऊर्जा के वास्तविक मूल्य को नजरअंदाज किए जाने के बावजूद अक्षय ऊर्जा में लगातार विकास हो रहा है।

यद्यपि हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं के अधिकांश अनुपात की आपूर्ति के लिए अक्षय ऊर्जा की संभावना काफी अधिक है तथापि ऐसी व्यापक संभावना से लाभ, हमारे पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों को बढ़ाने, हमारे पास उपलब्ध अक्षय ऊर्जा की सीमा में विस्तार करने और उनमें नवीनता एवं सुधार लाने के लिए अधिक समय देने में निहित है।

हमारी ऊर्जा मात्रा में परिवर्तन, स्रोतों के एक समूह को दूसरे समूह से अचानक प्रतिस्थापन के बजाए क्रमिक रूप से होगा। इस परिवर्तन से मौजूदा विनियमनों एवं प्रोत्साहनों के आलोक में अक्षय ऊर्जा निवेशकों को विस्तृत बाजार विकसित करने का अवसर प्राप्त होगा।

अक्षय ऊर्जा के विकास का अर्थ है आपकी कंपनी के लिए व्यवसाय का अवसर। इसके साथ चुनौतियाँ, समस्याएं एवं अड़चने भी आती हैं। उनको शुरू में ही पहचान कर, उनसे निपटने के लिए जवाबी उपायों से तैयार रहकर ऐसी कार्यनीतियाँ बनाएँ जो कई बार पहले से ही तैयार नहीं रहती हैं। बहादुर चुनौतियों के लिए तैयार रहते हैं। आपकी कंपनी लाभकारी परिणामों के साथ इन अवसरों का पूरा फायदा उठाने के लिए अपने आपको तैयार कर रही है।

अवसर

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के आरंभ होने से देश में सौर प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए केन्द्रीकृत एवं विकेन्द्रीकृत दोनों स्तरों पर एक अनुकूल माहौल बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। ग्रिड में 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा की आपूर्ति के अलावा मिशन के प्रथम चरण में ऊर्जा, तापन एवं शीतलन ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा या संपूरित करने के लिए ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा अनुप्रयोगों की 200 मेगावाट क्षमता और पूछल्ले एवं छोटे ग्रिड से जुड़े अन्य सौर ऊर्जा संयंत्रों की 100 मेगावाट क्षमता के संवर्धन पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करना एक खर्चीला उद्यम है। निवेश संबंधी कोई निर्णय लेने से पहले उद्यमी निश्चित रूप से सरकार से राजस्व एवं वित्तीय सहायता की आशा करेंगें। जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में आपकी कंपनी की अहम भूमिका है।

आपकी कंपनी पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना प्रचालित

कर रही है जहाँ परियोजना विकासकर्ता निवेशक द्वारा त्वरित मूल्यह्रास का लाभ नहीं उठाया जा रहा है। बाजार में पवन ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण में आपकी कंपनी के हिस्सेदारी को बढ़ाने का अवसर, विशेषकर उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आईपीपी के लिए काफी अधिक है।

अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी) के रूप में पंजीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 12.02.2010 के अपने परिपत्र में कतिपय मानदण्डों को पूरे करने की शर्त के अधीन अवसंरचना वित्तपोषण में मुख्य रूप से शामिल एनबीएफसी को सम्मिलित करने के लिए ''अवसंरचना वित्त कंपनी'' नामक एनबीएफसी की एक नई श्रेणी शुरू की है। ऐसी अवसंरचना वित्त कंपनियों को अन्य बातों के साथ–साथ ऋण देने के प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त उद्‌भासन की अनुमति है। चूँकी आपकी कंपनी अवसंरचना वित्त कंपनी के लिए निहित सभी मानदण्डों को पूरा करती है इसलिए इसने हाल ही में ऋण देने के अतिरिक्त उद्‌भासन का लाभ उठाने के लिए अवसंरचना वित्त कंपनी के रूप में पंजीकरण हेतु आवेदन किया है।

चुनौतियां

भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय सेक्टर की सघन मॉनीटरिंग कर रही है। विनियामक द्वारा निर्धारित मापदण्डों से प्रेरित बाजार में परिवर्तनों का सीधा प्रभाव आपकी कंपनी के तुलन–पत्र पर पड़ता है। बैंकों द्वारा ऋण दिए जाने के लिए बेस दरें लागू करने के परिणामस्वरूप ब्याज दर व्यवस्थाएं बाजार में उधार की लागत और आपकी कंपनी द्वारा ऋण देने के लिए निधियों की अंतिम लागत से घनिष्ठता से जुड़ी हुई है। आपकी कंपनी नवान्वेषित एवं प्रतियोगी बनने के लिए बदल रहे वित्तीय बाजार के परिदृश्य से लगातार अवगत रहा है।

बड़ी परियेाजना के लिए अधिक निधियों की आवश्यकता होती है। आपकी कंपनी ने बड़ी परियोजनाओं के सह–वित्तपोषण के लिए अन्य वित्त कंपनियों के साथ हाल के कुछ वर्षों में भागीदारी की है। आपकी कंपनी अपनी इक्विटी बढ़ाने, कम लागत वाली निधियां एकत्र करने, प्रतिबलित परिसंपत्तियों पर कार्रवाई करने और साथ ही वित्तपोषण लिखतों पर नवीन प्रयोग करने के लिए कार्यनीतियां बनाने हेतु हमेशा कार्य करती रही है। मुख्य रूप से जोखिमों का आकलन करना और उपशमन कार्यनीतियां बनाने की आवश्यकता आपकी कंपनी की कार्यसूची में सबसे उपर है।

देश में खदान से निकाले गए एवं आयात किए गए सभी कोयले पर प्रति टन 50 रु. के उपकर से एकत्र हुई राशि से इस वित्तीय वर्ष में स्थापित की जा रही राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईफ) एक ऐसा साधन है जहां से अक्षय ऊर्जा संबंधी परियेाजनाओं को वित्तपोषित किया जा सकता है।

सौर ऊर्जा वित्तीयन एक नवजात क्षेत्र होने से नवीन जाखिम शमन नीतियों की आवश्यकता होगी। अन्य वित्तीय संस्थाओं और बैकों के साथ सहयोग की कार्यनीतियां विकसित की जा रही हैं ।

कार्यनिष्पादन की मुख्य विशेषताएँ

मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपकी कंपनी ने पिछले वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रत्येक वर्ष आपकी कंपनी ऋण प्रदान करने के कार्यों में रिकार्ड स्थापित कर रही है। ऋण मंजूरियाँ और संवितरण समझौता ज्ञापन के क्रमशः 1200 करोड़ रु. और 710 करोड़ रु. के लक्ष्य को पार कर लिया गया है। पिछले राजस्व वर्ष में 1489.93 करोड़ रु. की ऋण मंजूरियों की तुलना में इस वर्ष की ऋण मंजूरियाँ 1823.91 करोड़ रु. थी अर्थात 22.41 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में मूल्यांकन ओर वित्तीयन में इरेडा की बाजार में अग्रणी स्थिति को प्रकट करता है । वर्ष 2009–10 के दौरान संवितरण की राशि 890.03 करोड़ रु. थी जबकि इसके पिछले वर्ष यह राशि 770.95 करोड़ रु. थी अर्थात 15.45 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई। इस वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तपोषित प्रमुख क्षेत्रों में पवन, लघु पनबिजली, सह उत्पादन, बायोमास विद्युत और सौर तापीय शामिल थे। मंजूर परियेाजनाओं के शुरू होने के परिणामस्वरूप 760.75 मेगावाट की अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता होगी जिसमें सह वित्तपोषण कानसोर्टियम वित्तपोषण के अंतर्गत 469.50 मेगावाट शामिल है।

इस वर्ष आपकी कंपनी ने कर पूर्व लाभ (पीबीटी) में 64.20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है और यह 141.05 करोड़ रु. पहुँच गया है।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2008–09 में 56.21 करोड़ रु. के कर पश्चात लाभ (पीएटी) की तुलना में पिछले वित्तीय वर्ष में 72.69 करोड़ रु. का कर पश्चात लाभ दर्ज किया है।

अनुसूची 'बी' कंपनी के रुप में उन्नयन

मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले कुछ वर्षों में कंपनी के उत्कृष्ट कार्य निष्पादन को देखते हुए सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारी उद्योग

एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय ने सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के परामर्श से इसे अनुसूची 'सी' से अनुसूची 'बी' में उन्नत कर दिया है।

संसाधन जुटाना

31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार ने इक्विटी में 19.60 करोड़ रु. की वृद्धि की है जिसके परिणामस्वरूप कंपनी की प्रदत्त पूँजी 520 करोड़ रु. से बढ़कर 539.60 करोड़ रु. हो गई है जबकि प्राधिकृत शेयर पूँजी 1000 करोड़ रु. है। आपकी कंपनी ने ''सीएआरई एएए(एसओ)'' रेटिंग और ब्रिकवर्क रेटिंग्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड से ''बीडब्ल्यूआर एएए(एसओ)'' वाले दीर्घकालिक कर योग्य बाण्डों की श्रेणी–।। के निर्गम द्वारा 150 करोड़ रु. जुटाने के अलावा अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न बैंकों से 333.35 करोड़ रु. उधार भी लिए हैं। इस रेटिंग को सर्वोत्तम क्रेडिट गुणवत्ता का माना जाता है जो ऋण दायित्वों के समयबद्ध निष्पादन के लिए उच्च कोटि की सुरक्षा प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान 246.63 करोड़ रु. के लाइन आफ क्रेडिट के अंतर्गत केएफडब्ल्यू से दूसरी लाइन आफ क्रेडिट के अंतर्गत 132.56 करोड़ रु. और नार्डिक इन्वेस्टमेंट बैंक से 114.07 करोड़ रु. आहरित किए गए।

इसके अतिरिक्त, इरेडा ने 19.971 मिलियन यूरो की लाइन आफ क्रेडिट के लिए केएफडब्ल्यू के साथ ऋण करार किया है और 70 मिलियन यूरो की लाइन आफ क्रेडिट के लिए एएफडी के साथ बातचीत की है।

लाभांश

आपके निदेशक ने वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए 14.54 करोड़ रु के लाभांश की अनुशंसा भी की है जो कर पश्चात् लाभ का 20 प्रतिशत है।

परिसंपत्ति गुणवत्ता

आपकी कंपनी आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण, प्रावधान, जो कि कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है, के संबंध में मापदण्डों का अनुपालन करती है। आपकी कंपनी अपनी परिसंपत्तियों पर लगातार निगरानी रखती है। प्रचालकों से सही संकेत की आशा रखने से हमें परिसंपत्तियों की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कठोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने में सहायता मिली है।

कंपनी बट्टे खाते डाले गए ऋणों में से 10.08 करोड़ रुपए सहित 135.61 करोड़ रुपए की राशि वसूल सकी। इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार सकल गैर निष्पादक परिसंपत्तियां, जो कि वर्ष 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार 13.34 प्रतिशत थी, घटकर 8.44 हो गया।

आपकी कंपनी ने गैर–निष्पादक परिसंपत्तियों के स्तर को कम करने के लिए वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यनीतियां अपनाईं जिनमें एक बारगी समाशोधन, एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002 के अंतर्गत कार्रवाई, पुनः समय–सारणी तैयार करने की कार्रवाई और नियमित अनुवर्ती कार्रवाई शामिल हैं। दिनांक 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार निवल गैर–निष्पादक परिसंपत्ति का स्तर घटकर शून्य हो गया जबकि पिछले वर्ष यह 3.27 प्रतिशत था (तदर्थ प्रावधान के समायोजन के बाद संकलित)।

नीतियाँ

वर्ष 2008–09 में विभिन्न अन्तरमूलक ऋण दरों के साथ उधारकर्ताओं के लिए शुरू की गई क्रेडिट जोखिम रेटिंग प्रणाली जारी रखी गई। बाजार की वर्तमान स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऋण दरों एवं ग्रेड कटौतियों का लगातार समीक्षा की गई।

आपकी कंपनी ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सौंपी गईं विभिन्न स्कीमों को कार्यान्वित करना जारी रखा। आपकी कंपनी 'ग्रिड इन्टरेक्टिव सौर पीवी विद्युत उत्पादन परियोजनाओं ' से संबंधित उत्पादन आधारित प्रोत्साहन स्कीम और 'बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा घरेलू औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों में सौर जल तापन प्रणालियों के त्वरित विकास एवं संस्थापन' संबंधी इसकी ब्याज रियायत स्कीम के लिए निधि प्रबंधक बनी रही है।

आपकी कंपनी ने कांसोर्टियम ऋण प्रदान करने के लिए एकल

खिड़की प्रदान करने हेतु अक्षय ऊर्जा/ ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए भारतीय अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

आपकी कंपनी ने अक्षय ऊर्जा, सौर फोटोवोल्टेक, सौर तापीय एवं ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में परियोजना विकासकर्ताओं के लिए क्षमता निर्माण हेतु आंध्र प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में अपने संवर्धनात्मक प्रयासों के भाग के रूप में 14 परस्पर वार्ता सेमिनारों, व्यावसायिक बैठकों और कार्यशालाओं को सहायता प्रदान की।

वित्तीय समावेशन

इरेडा लगातार वित्तीय समावेशन की नीति को कार्यान्वित करती रही है जिसमें ऐसी परियोजनाओं को लिया जाता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एंव अवसंरचनात्मक विकास को बढ़ावा देती हैं। इरेडा अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला, पूर्व सैनिक एवं विकलांग श्रेणियों के प्रवर्तको को तथा पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम, उत्तराखण्ड, झारखंड, छत्तीसगढ़, द्वीपों एवं मुहानों में परियोजनाओं के लिए भी विशेष रियायतें प्रदान करती है और उनको सहायता प्रदान करती है। वर्ष के दौरान इरेडा द्वारा स्वीकृत 1814.91 करोड़ रुपए की ऋण सहायता वाली 27 परियोजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं जो कि वर्ष के दौरान कुल स्वीकृत ऋणों का लगभग 99.51 प्रतिशत है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं नए बनाए गए राज्यों का विकास

आपकी कंपनी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम, उत्तराखंड, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में परियेाजनाएं स्थापित करने के लिए उद्यमियों को ब्याज दरों एवं शुल्कों में रियायत देने की अपनी नीति जारी रखी।

मानव संसाधन विकास

अपने कर्मचारियों के ज्ञान एवं कौशलों को अद्यतन रखने के लिए आपकी कंपनी ने वर्ष 2009–10 के दौरान कर्मचारियों के तकनीकी और गैर–तकनीकी प्रशिक्षण में 353 कार्य दिवस लगाए। आपकी कंपनी ने भारत एवं विदेशों में विशेषकृत विषयों पर सेमिनारों/कार्यशालाओं के लिए विभिन्न स्तरों के अधिकारियों को नामित करना जारी रखा। कार्य रोटेशन, कल्याणकारी उपायों और नई स्कीमों के शुभारंभ के माध्यम से कर्मचारी की संतुष्टि के लिए सभी प्रयास किए गए।

गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों का उन्नयन

आपकी कंपनी की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली को संशोधित आईएसओ 9001:2008 के अनुसार उन्नत कर दिया गया है। गुणवत्ता मैनुअल और प्रणाली प्रचालन मैनुअल के संशोधन तथा भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा की गई निगरानी लेखा परीक्षा द्वारा आईएसओ 9001:2000 से 9001:2008 में परिवर्तन के आधार पर संशोधित लाइसेंस जारी किया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आपकी कंपनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों को कार्यान्वित किया है और अपने वरिष्ठ कार्मिक को केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी नामोदिष्ट किया है। इसने अपनी वेबसाइट पर अपने कार्यों, ड्यूटियों, अपने अधिकारियों को प्रत्यायोजित शक्तियों, वित्तीयन संबंधी मार्गनिदेशों, अधिकारियों के निर्देशिका आदि के बारे में सूचना उपलब्ध कराई है।

औद्योगिक संबंध

आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान कार्मिक के बीच बेहद सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखा। निदेशक (शिकायत) ने संवाद एवं चर्चा के जरिए शिकायतों का निराकरण किया। वित्तीय वर्ष 2009–10 के दौरान किसी कार्यदिवस की हानि नहीं हुई।

ग्राहक संबंध

आपकी कंपनी ने ग्राहक की संतुष्टि के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए परामर्शदाता के जरिए एक अध्ययन किया है। इरेडा का उधारकर्ताओं के समग्र संतुष्टि स्तर में प्रदर्शन अच्छा रहा। रिपोर्ट में की गई अनुशंसाओं को शिकायत निवारण समिति द्वारा अपना लिया गया है।

कॉरपोरेट शासन

आपकी कंपनी शुरू से ही उत्तम कॉरपोरेट शासन की विशेषताओं का अनुसरण करने के प्रति बचनबद्ध रही है। आपकी कंपनी ने बेहतर कॉरपोरेट शासन को कार्यान्वित एवं प्रोत्साहित करने के लिए निर्धारित विभिन्न अपेक्षाओं का लगातार अनुपालन करने के अलावा अधिकाधिक पारदर्शिता, वृत्तिकता, दायित्व एवं सत्यनिष्ठा के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि की है। कॉरपोरेट शासन नीति के अंतर्गत प्रभावकारी रिपोर्टिंग प्रणाली से

व्यवसाय का सुचारू प्रचालन सुनिश्चित हो रहा है। आपकी कंपनी ने कॉरपोरेट शासन संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों का अनुपालन किया है।

भविष्य

मौजूदा आर्थिक, वित्तीय एवं नीतिगत परिदृश्य में किसी भी संगठन की शक्ति भावी परिवर्तनों का पूर्वानुमान करने की क्षमता और अपने महत्वपूर्ण मूल्यों के आधार पर दूरगामी कार्यनीतियाँ बनाने में निहित है। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में हमारी विशेष सुविज्ञता यह शक्ति प्रदान करती है। हमारी मुख्य शक्तियों से उत्पन्न अवसरों के साथ हम प्रतियोगी बाजार और सदैव बदल रही अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ने की वांछनीय स्थिति में हैं।

आभार

मैं अपने व्यक्तिगत स्तर पर एवं कंपनी की ओर से भारत सरकार, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, योजना आयोग और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों एवं विभागों, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य विनियामक प्राधिकरणों के निरंतर मार्गदर्शन, सहयोग एवं सहायता की आभारपूर्वक सराहना करता हूँ।

मैं विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, केएफडब्ल्यू जर्मनी, नार्डिक निवेश बैंक, यूरोपीय निवेश बैंक, एएफडी, जापान इन्टरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी (जेआईसीए) और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, एजेन्सियों एवं निवेशकों का उनके सहयोग, मार्गदर्शन एवं सहायता के लिए आभारी हूँ। आपकी कंपनी लगातार उनके सहयोग एवं प्रोत्साहन का आशा रखती है।

मैं बैंकरों, बाण्ड–धारकों एवं ग्राहकों को आपकी कंपनी में उनके लगातार विश्वास एवं भरोसे के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ।

बोर्ड के मेरे सहकर्मी हमेशा ही प्रेरणा बल रहे हैं। मैं उनकी मूल्यवान एवं कभी–कभी प्रेरणादायक सलाह के लिए उनको धन्यवाद देता हूँ जिससे मुझे सही समय पर महत्वपूर्ण निर्णय लने में सहायता मिली है। मैं आपकी कंपनी के विकास में बोर्ड के मेरे सहकर्मियों द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ।

सपनों को सच में बदलने वाले लोग हमारे कर्मचारियों ने यह दिखा दिया है कि पूर्ण प्रतिबद्धता, विश्वास, निष्ठा एवं उत्कृष्ट टीम भावना से सब कुछ हासिल हो सकता है। उन्होंने हमारे विजन को विस्तार दिया है एवं हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हमें आगे बढ़ाया है। बोर्ड एवं आपकी ओर से मैं कंपनी के कार्य निष्पादन में कर्मचारियों के व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों के लिए उनकी भूरी–भूरी सराहना करता हूँ।

अब मैं निवेदन करता हूँ कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष से संबंधित निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षित तुलन पत्र और लाभ एवं हानि लेखा तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए।

धन्यवाद,

(देबाशीष मजुमदार)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.09.2010

इरेडा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री देबाशीष मजुमदार, हैमबर्ग, जर्मनी में 17वें यूरोपियन बायोमास कॉनफ्रेंस को संबोधित करते हुए।

निदेशकों की रिपोर्ट 2009–10

शेयरधारकों से

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखा विवरणों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ 23वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

अक्षय ऊर्जा परिदृश्य

31 मार्च, 2010 तक 16,817 मेगावाट ग्रीड–इंटरऐक्टिव अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित की गई है जो कि देश में कुल संस्थापित क्षमता का 10.46 प्रतिशत है अर्थात पिछले वर्ष की तुलना में 16.22 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता में अक्षय ऊर्जा के अंश को और बढ़ाने के लिए कई उपायों पर विचार किया जा रहा है। सरकार ने जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन शुरू किया है जिसमें 1100 मेगावाट ग्रिड सौर ऊर्जा और ऑफ ग्रिड सौर अनुप्रयोजनों की 200 मेगावाट क्षमता स्थापित करने की परिकल्पना की गई है जिसमें प्रथम चरण में सौर तापीय एवं फोटोवोल्टेक प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाएगा। इसमें निवेशक हितैषी तंत्र की परिकल्पना की गई है जो जोखिम को कम करता है और सौर ऊर्जा ऑफ–टेक के लिए आकर्षक एवं सहयोगात्मक टैरिफ प्रदान करता है जिसका मूलभूत उद्देय जीवाश्म आधारित ऊर्जा विकल्पों के साथ सौर ऊर्जा को प्रतिस्पर्धा में लाना है। सरकार ने पवन ऊर्जा उत्पादकों को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन देने के लिए एक योजना भी शुरू की है।

उपरोक्त प्रोत्साहनों के परिणामस्वरूप सौर पवन ऊर्जा परियोजनाओं में अधिकाधिक निवेश होने की आशा है। इरेडा को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत पुनर्वित्तीयन एजेंसी' और पवन ऊर्जा के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 'कार्यान्वयन एजेंसी' के रूप में नामोदिष्ट किया गया है। इन घटनाक्रमों से अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण में इरेडा के महत्व में निश्चित रूप से बढ़ोत्तरी होगी जिसके लिए इसने संसाधन जुटाने संबंधी कार्यनीति तैयार की है।

हाल ही में अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्रों के शुरू किए जाने से अक्षय ऊर्जा के लिए बाजार तंत्र सृजित करने में सहायता मिलेगी जिसमें अक्षय ऊर्जा स्रोतों की कमी वाले राज्यों को उनके अक्षय क्रय दायित्व को पूरा करने की अनुमति होगी। इससे अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के विकास में गति आएगी।

सकल घरेलू उत्पाद की 7–9 प्रतिशत की वद्धि दर पर विद्युत की मांग वर्ष 2017 तक दोगुनी होने की संभावना है। बेसलोड क्षमता में वृद्धि के लिए प्रमुख ईंधन स्रोत कोयला के होने की प्रत्याशा है। तथापि, विभिन्न अड़चनों जैसे कि भारत में कोयला खदानों की क्षमता में विस्तार, कोयला खंड आवंटन, पर्यावरण और वन संबंधी मंजूरी आदि के कारण घरेलू कोयले की उपलब्धता एक चुनौती है। यह चुनौती ऊर्जा संयंत्र के लिए भूमि अधिग्रहण, जल की उपलब्धता और घरेलू कोयला आधारित संयंत्रों के लिए राख के निपटान जैसे मुद्दों से और भी जटिल हो जाती है।

जीवाश्म ईंधन आधारित उत्पादन क्षमता में और अधिक बढ़ोत्तरी से स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए भारत पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा जिसके परिणामस्वरूप ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने और देश के लिए नितांत आवश्यक ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी अक्षय ऊर्जा के महत्व में और वृद्धि होगी। जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने के लिए अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग को वैश्विक तापन (ग्लोबल वार्मिंग) और जलवायु परिवर्तन के लिए एक विश्वसनीय कार्यनीति माना गया है।

नई पहलें

अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता क्षेत्रों के विकास को गति प्रदान करने के लिए आपकी कंपनी ने परियोजनाओं की भावी नकद प्रवाहों के सुरक्षा के लिए ऋण हेतु नई योजना शुरू की। कांसोर्टियम ऋण के लिए एकल खिड़की प्रदान करने हेतु अक्षय ऊर्जा/ ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए आपकी कंपनी और भारतीय अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

प्रचालन

मंजूरियां एवं संवितरण

संबंधित समझौते ज्ञापन में ऋण मंजूरियों और संवितरण के संबंध में वर्ष 2009–10 के लिए निर्धारित लक्ष्य क्रमशः 1200 करोड़ रु. और 710 करोड रु. से अधिक की उपलब्धि प्राप्त की गई। वर्ष के दौरान प्रचालन कार्य में आपकी कंपनी का कार्य निष्पादन उत्कृष्ट रहा। वर्ष 2009–10 में 1823.91 करोड़ रुपए की ऋण मंजूरियों से पिछले वर्ष की तुलना में 22.41 प्रतिशत की वृद्धि और 890.03 करोड़ रुपए के संवितरण से पिछले वर्ष की तुलना में 15.45 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष के दौरान मंजूरियों और संवितरणों का क्षेत्रवार विवरण निम्न प्रकार है :

(करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	मंजूरियां	संवितरण
पवन ऊर्जा	1174.09	515.92
पनबिजली	483.45	229.03
सह–उत्पादन	140.12	83.49
बायोमास विद्युत उत्पादन	17.25	24.37
ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण	0	15.18
सौर फोटोवोल्टेक	0	7.06
सौर तापीय	9.00	14.51
अपशिष्ट से ऊर्जा	0	0.47
योग	**1823.91**	**890.03**

31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार संचयी मंजूरियां और संवितरण क्रमशः 12179.49 करोड़ रूपए (निवल मंजूरियां–7976.82 करोड़ रुपए) तथा 6644.08 करोड़ रूपए थे। राज्यवार और क्षेत्रवार संचयी मंजूरियां और संवितरण संलग्नक I से IV में दर्शाए गए हैं।

क्षमता वर्धन

वर्ष 2009–10 के दौरान मंजूर ऋण से लगभग 760.75 मेगावाट की अतिरिक्त अक्षय विद्युत उत्पादन क्षमता की स्थापना होगी जिसमें सह वित्तपोषण/कन्सोर्टियम वित्तपोषण के अंतर्गत 469.50 मेगावाट क्षमता शामिल है। मंजूर की गई क्षमता का क्षेत्रवार विवरण नीचे दर्शाया गया है :

क्षेत्र	क्षमता (मेगावाट)
पवन ऊजा	525.45
पनबिजली	171.30
सह–उत्पादन	54.00
बायोमास विद्युत उत्पादन	10.00
योग	**760.75**

वित्तीय कार्यनिष्पादन

कार्य परिणाम

वर्ष 2009–10 का समग्र कार्यनिष्पादन संतोषजनक रहा। इस संबंध में प्रमुख मापदंडों से संबंधित कार्यनिष्पादन का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैं :

(करोड़ रुपए में)

	2008–09	2009–10
सकल आय	275.11	345.25
कर–पूर्व लाभ (पूर्व अवधि समायोजन सहित)	85.90	141.05
घटा : आयकर के लिए प्रावधान	25.15	63.85
घटा : आस्थगित कर डेबिट	4.39	4.51
घटा : अनुषंगी फायदे के लिए प्रावधान	0.15	0.00
कर के बाद लाभ	56.21	72.69
जमा : अग्रेनीत लाभ	9.79	12.53
विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ	66.00	85.22
विनियोजन		
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि	15.31	29.54
प्रस्तावित लाभांश	11.25	14.54
लाभांश कर	1.91	2.41
सामान्य आरक्षित निधि	25.00	25.00
तुलन–पत्र में अग्रेनीत अधिशेष	12.53	13.73

लाभ एवं हानि लेखा में इरेडा के संगम अनुच्छेद के संदर्भ में निदेशक मंडल द्वारा यथानुमोदित आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान के बारे में विवेकपूर्ण मानदंडों का ध्यान रखा जाता है।

लाभांश

आपके निदेशकों ने वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए है 14.54 करोड़ रु. के लाभांश की अनुशंसा की है जो कर पश्चात् लाभ का 20 प्रतिशत है।

विवेकपूर्ण मापदंड

आपकी कंपनी, जो भारतीय रिजर्व में पंजीकृत एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है संगम अनुच्छेद के संदर्भ में इरेडा के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण, प्रावधान के संबंध में विवकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन करती है।

प्रतिबलित परिसंपत्तियों का प्रबंधन

प्रतिबलित परिसंपत्तियों के प्रबंधन में वित्तीय वर्ष 2009–10 के दौरान काफी प्रगति की गई। गैर–निष्पादक परिसंपत्तियों की वसूली की प्रक्रिया को तेज करने के लिए आपके कंपनी ने एक बारगी समाशोधन एवं पुनः समय सारणी निर्धारित के बारे में नीतियों की पुनरीक्षा की और उनको संशोधित किया तथा आपकी कंपनी ने गैर निष्पादक परिसंपत्ति लेखा से कुल 135.61 करोड़ रुपए की राशि वसूली जिसमें बट्टे खाते डाली गई गैर निष्पादक परिसंपत्तियों से 10.08 करोड़ रुपए की वसूली शामिल है। परिणामस्वरूप, सकल गैर निष्पादक परिसंपत्तियां, जो 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार 13.34 प्रतिशत थी, 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार घटकर 8.44 प्रतिशत हो गई।

ऋण इक्विटी अनुपात और निवल मूल्य

वर्ष 2009–10 के दौरान कंपनी का निवल मूल्य पिछले वर्ष के 869.55 करोड़ रू. से बढ़कर 950.25 करोड़ रू. हो गया। 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार कंपनी का निवल उधार 2187.43 करोड़ था जो इसके निवल मूल्य का 2.30 गुना है।

संसाधन जुटाना

शेयर पूँजी

भारत सरकार ने वर्ष के दौरान 19.60 करोड़ रुपए की इक्विटी का अंशदान किया जिससे दिनांक 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार कंपनी की 520 करोड़ रुपए की प्रदत्त पूंजी 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार बढ़कर 539.60 करोड़ रुपए हो गई जबकि प्राधिकृत शेयर पूंजी 1000 करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए भी सरकार ने कंपनी हेतु 50 करोड़ रुपए की इक्विटी आबंटित की है।

घरेलू उधार राशि

वर्ष 2009–10 के दौरान कंपनी ने अपने वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न बैंकों से 333.35 करोड़ रू. उधार लिए। इसके अतिरिक्त, इसने दीर्घकालिक कर योग्य बॉण्डों के निर्गम द्वारा 150 करोड़ रू. तक के संसाधन जुटाये हैं।

पावर हाउस की झलक

पावर हाउस के अंदर की झलक जिसमें टरवाइन एवं जनरेटर दिखाया गया है।

टेलरेस की झलक

स्वीचयार्ड की झलक

इरेडा द्वारा वित्तपोषित चम्बा जिला, हिमाचल प्रदेश में 5 मेगावाट अपर तराईला एसएचपी परियोजना।

अंतर्राष्ट्रीय सहायता

केएफडब्ल्यू ने दूसरी लाइन ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत 132.56 करोड़ रुपए जारी किए हैं। नॉरडिक इनवेस्टमेंट बैंक ने भी 114.07 करोड़ रुपए की राशि जारी की। इसके अतिरिक्त, इरेडा ने 19.971 मिलियन यूरो लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए केएफडब्ल्यू के साथ ऋण करार पर हस्ताक्षर किए और 70 मिलियन यूरो डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए एएफडी के साथ बातचीत की है।

क्रेडिट रेटिंग

केयर (सीएआरई) ने कंपनी के 150 करोड़ रु. के दीर्घकालिक बॉण्ड श्रेणी –II निर्गम को 'सीएआरईएएए(एसओ)' [ट्रिपल ए (सुगठित दायित्व)] की रेटिंग प्रदान की है। इस रेटिंग को ऋण दायित्वों के समय पर निष्पादन करने के लिए सर्वाधिक सुरक्षा प्रदान करने वाली उत्कृष्ट क्रेडिट गुणवत्ता वाला माना जाता है।

इसके अतिरिक्त, ब्रिकवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 150 करोड़ रुपए के उक्त दीर्घकालिक कर योग्य बॉण्ड श्रेणी –II निर्गम को 'स्टेबल' आउटलुक के साथ 'बीडब्ल्यूआर एएए(एसओ) की रेटिंग प्रदान की जिसका समर्थन भारत सरकार के पत्र द्वारा किया गया। 'बीडब्ल्यूआर एएए से ऋण सेवा दायित्वों को पूरा करने के संबंध में 'सर्वोत्तम क्रेडिट गुणवत्ता' का पता चलता है।

संवर्धनात्मक प्रयास

व्यावसायिक बैठकें

कंपनी ने अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए सेमिनारों, कार्यशालाओं एवं व्यावसायिक बैठकों को प्रायोजित करना जारी रखा है। वर्ष 2009–10 के दौरान कंपनी ने देश के विभिन्न स्थानों में ऐसे 14 कार्यक्रमों को सहायता प्रदान की।

सूचना का प्रसार

कंपनी ने अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों/ ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण तथा उनके संभावित फायदे के बारे में जागरूकता पैदा करने का कार्य जारी रखा। आपकी कंपनी परियोजना डेवलपर्स के उपयोग के लिए लघु पनबिजली परियोजनाओं के विकास के बारे में एक मैनुअल प्रकाशित किया। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में सूचना के प्रचार–प्रसार के लिए कार्यालय का तिमाही प्रकाशन इरेडा न्यूज को बेवसाइट पर डाल दिया गया।

ग्रामीण क्षेत्रों का विकास

रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 1823.91 करोड़ रूपए की ऋण सहायता से स्वीकृत 29 परियोजनाओं में से 1814.91 करोड़ रुपए की ऋण सहायता से 27 परियोजनाओं को कार्यान्विति किया जाएगा। इन क्षेत्रों के लिए मंजूर ऋण राशि वर्ष के दौरान कुल मंजूर राशि के लगभग 99.51 प्रतिशत के बराबर है।

विशेष रियायत

कंपनी ने अपने ऋण निबंधन एवं शर्तों में अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला, पूर्व सैनिक एवं विकलांग श्रेणियों के प्रवर्तकों को और पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवम् उत्तराखंड, में स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं के लिए रियायतें देना जारी रखा।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सौंपे गए कार्यक्रम

कंपनी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सौंपी गई विभिन्न स्कीमों को कार्यान्वित करने वाली एजेन्सी और विभिन्न ब्याज सब्सिडी स्कीमों के लिए निधि प्रबंधक बनी हुई है। मंत्रालय ने इरेडा को पवन ऊर्जा के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 'कार्यान्वयन एजेंसी' के रूप में नामोदिष्ट किया हैं।

संयुक्त क्षेत्र की कम्पनी

मैसर्स एम.पी विंडफार्म्स लिमिटेड आपकी कम्पनी द्वारा मध्य प्रदेश सरकार तथा एक निजी क्षेत्र की कम्पनी के सहयोग से प्रवर्तन की गई एकमात्र संयुक्त क्षेत्र की कम्पनी है। मैसर्स एम.पी विंडफार्म्स की प्रदत्त पूंजी 70 लाख रू. थी जिसमें कंपनी का 12 लाख रू. का आरंभिक अभिदान एवं 4.80 लाख रू. का बोनस शेयर शामिल था जबकि इसकी प्राधिकृत शेयर पूंजी 100 लाख रू. थी। आपकी कंपनी को वर्ष 2006–07 से संयुक्त क्षेत्र की कंपनी से लगातार लाभांश मिल रहे हैं। एमपी विंडफार्म लिमिटेड मुख्य रूप से छोटे निवेशकों द्वारा निवेश को सुगम बनाने के लिए पवन ऊर्जा संपदा के डिजाइन एवं विकास कार्य में लगा हुआ है। अवसंरचना की लागत को कम करने के अलावा एमपी विंडफार्म लिमिटेड विंडफार्मों के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए सेवा भी प्रदान करता है।

आयोजना, निगरानी और मूल्यांकन

आयोजना

इरेडा ने अपनी वार्षिक योजना 2001–11 तैयार की है जिसमें 1900 करोड़ रू. की ऋण मंजूरी और 900 करोड़ रू. के संवितरण के महत्वपूर्ण लक्ष्यों की परिकल्पना की गई है।

निगरानी और मूल्यांकन

प्रत्यक्ष निरीक्षणों और भौतिक सत्यापनों और नामिती निदेशकों की रिपोर्ट के माध्यम से परियोजनाओं की निगरानी और मुल्यांकन किया जा रहा है। परियोजना मॉनीटरिंग के लिए समवर्ती लेखापरीक्षकों/समवर्ती इंजीनियरों की भी सहायता ली जाती है।

समझौता ज्ञापन

वर्ष 2009–10 के लिए समझौता ज्ञापन में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में कम्पनी के कार्यनिष्पादन को 'उत्कृष्ट' के रूप में श्रेणीकृत किए जाने की संभावना है। कम्पनी ने वर्ष 2010–11 के लिए भारत सरकार के साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं जिसमें पहली बार कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं स्थायी विकास के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

मानव संसाधन विकास

आपकी कंपनी ने मानव संसाधन विकास को समुचित महत्व देना जारी रखा । इसने कर्मचारियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण और देश और विदेश दोनों में, सेमिनार/कार्यशाला/संगोष्ठी में भाग लेने के लिए उनकी प्रतिनियुक्ति में 353 कार्य दिवस लगाए हैं। वर्ष के दौरान कर्मचारियों का मनोबल ऊँचा बना रहा जिससे कंपनी का कार्य सुचारू एवं सुगम रहा और इससे कंपनी के लक्ष्यों/उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता मिली। कार्य रोटेशन, कल्याणकारी उपायों एवं नई योजनाओं के आरंभ आदि जैसे विभिन्न उपायों के जरिए कर्मचारी को संतुष्ट करने के लिए सभी प्रयास किए गए।

कम्प्यूटरीकरण

वर्ष के दौरान, कंपनी ने कार्यालय ऑटोमेशन के लिए कई कदम उठाए हैं। कंपनी ने ऑन लाइन बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम और कम्प्यूटरीकृत ऋण प्रबंधन, डाक प्रबंधन, फाइल ट्रैकिंग एवं कोर्ट केस ट्रैकिंग सिस्टम शुरू किया। परियोजना सूचना एवं प्रलेखन मॉनीटरिंग प्रणाली (पीआईडीएमओएस) कार्यालय में ही विकसित की गई और इनके अनुप्रयोगों को कार्यान्वित किया गया जिससे व्यावसायिक प्रचालनों एवं इसके विश्लेषण में सुधार करने में सहायता मिली।

अनुसूची 'बी' की कंपनी में उन्नयन

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय ने लोक उद्यम चयनबोर्ड के परामर्श से आपकी कंपनी को अनुसूची 'सी' से अनुसूची 'बी' में उन्नत कर दिया है।

गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों का उन्नयन

आपकी कंपनी की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली को संशोधित आईएसओ 9001:2008 के अनुसार उन्नत कर दिया गया है। गुणवत्ता मैनुअल और प्रणाली प्रचालन मैनुअल के संशोधन तथा भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा की गई निगरानी लेखा परीक्षा द्वारा आईएसओ 9001:2000 से 9001:2008 में परिवर्तन के आधार पर संशोधित लाइसेंस जारी किया गया है।

पारिस्थितिकी और पर्यावरण

कम्पनी पर्यावरण हितैषी अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकीयों को बढ़ावा देती रही है जो प्रदूषण घटाने के अतिरिक्त पर्यावरण के लिए अनुकूल है। वर्ष के दौरान कमीशन की गई 271 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं 0.24 मिलियन टन तेल समतुल्य (एमटीओई) की वार्षिक बचत और 0.8 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की कमी करने में सहायक होंगी।

अनु.जा./अनु.जन.जा./अ.पि.वर्गो/शा.वि. के लिए आरक्षण

सरकारी नीति के अनुरूप, कम्पनी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्गों /शारीरिक विकलांगों से संबंधित उम्मीदवारों की भर्ती तथा पदोन्नति के बारे में सरकार के अनुदेशों का कड़ाई से पालन करती रही है। अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्गों के हितों की देखभाल के लिए जनसंपर्क अधिकारियों को भी नामित किया गया हैं।

राजभाषा कार्यान्वयन

कंपनी ने सरकार के निदेशों के अनुरूप राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देना जारी रखा। संघ की राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आयोजना, निष्पादन, कार्यान्वयन एवं इसके प्रभाव की समीक्षा की प्रणाली अपनाई गई है। हिन्दी में कार्य में तेजी लाने के लिए कर्मचारियों को व्यक्तिगत कंप्यूटर/द्विभाषी कीबोर्ड/लैपटॉप/ हिन्दी सॉफ्टवेयर/शब्दकोश आदि प्रदान किए गए हैं। कम्प्यूटरीकृत हिन्दी पत्र तैयार करने के लिए कार्यालय द्वारा स्वयं ही सॉफ्टवेयर विकसित किया है। इन प्रयासों से हिन्दी का प्रयोग, विशेष कर हिन्दी में मूल प्रत्राचार में गुणात्मक एवं मात्रात्मक रूप से वृद्धि हुई है। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए और अधिक जागरूकता पैदा करने और इसके अनुकूल माहौल बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम जैसे कि कार्यशालाएं, नकद पुरस्कार वाली प्रतियोगिताएं, हिन्दी पखवाड़ा एवं हिन्दी दिवस इस वर्ष के दौरान आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्ति, पुरस्कारों और नकद राशि वाली विभिन्न वार्षिक प्रोत्साहन योजनाओं के जरिए कर्मचारियों और विभागों को हिन्दी में अधिक से अधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित एवं प्रेरित किया गया।

लेखाओं की लेखापरीक्षा और निरीक्षण

सांविधिक लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा मेसर्स वासुदेवा एवं कम्पनी, सनदी लेखाकार, नई दिल्ली को वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

लेखापरीक्षा की समीक्षा

लेखाओं पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां, सदस्यों को दी गई सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट और उस पर प्रबंधन की टिप्पणियां संलग्न हैं। (संलग्नक–V)

आन्तरिक लेखा परीक्षा

मेसर्स रवि राजन एवं कंपनी, सनदी लेखाकार, नई दिल्ली को वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए आपकी कंपनी का आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया और लेखापरीक्षक रिपोर्ट तथा अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट लेखापरीक्षा समिति को समीक्षा के लिए प्रस्तुत की गई।

इरेडा में हिंदी पखवाड़ा एवं हिंदी दिवस का आयोजन

हिंदी पखवाड़ा के दौरान आयोजित हिंदी प्रतियोगिता में भाग लेते हुए इरेडा के कर्मचारी।

इरेडा के कर्मचारियों को क्रिसिल (सीआरआईएसआईएल) द्वारा दिया जा रहा आंतरिक प्रशिक्षण

इरेडा में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन

कर्मचारियों का विवरण

कम्पनी [कर्मचारियों के विवरण (संशोधन) नियम, 1990] के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2क) के अधीन कर्मचारियों के यथा अपेक्षित विवरण के बारे में सूचना शून्य है।

विदेशी मुद्रा अर्जन तथा बहिर्गमन

वर्ष के दौरान अर्जित विदेशी मुद्रा 1252.33 लाख रूपए के बराबर थी और बहिर्प्रवाह 1299.86 लाख रूपए रहा।

कार्मिक और औद्योगिक संबंध

वर्ष के दौरान कार्मिक संबंध बेहद सौहार्दपूर्ण और सद्भावनापूर्ण बने रहे। कर्मचारियों की शिकायतें, बातचीत एवं विचार–विमर्श के माध्यम से दूर की गईं।

ग्राहक संबंध

आपकी कंपनी ने अपने ग्राहकों के साथ उत्तम एवं सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने और उसको कायम रखने का प्रयास किया है। अपनी सेवाओं और उत्पादों के संबंध में ग्राहाकों को जानकारी देने के लिए नागरिक चार्टर संशोधित किया गया और कंपनी की वेबसाइट पर डाला गया है। ग्राहक सूचना केन्द्र ग्राहकों से विहित प्रपत्रों में फीड बैक प्राप्त करता है जिसका विश्लेषण ग्राहक के संतोष के स्तर को जानने के लिए किया जाता है। ग्राहकों/उधारकर्ताओं की शिकायतों की जांच के लिए एक शिकायत निवारण समिति पहले से ही बनी हुई है।

सर्तकता

वर्ष 2009–10 के दौरान कंपनी के सतर्कता विभाग ने नियंत्रण प्रणाली बेहतर करने, सुधारात्मक उपायों, पर्याप्त चेक एवं बैंलेंस प्रणाली स्थापित करने, निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने और शिकायतों की जाँच पड़ताल करने के लिए सुधारात्मक उपायों का सुझाव दिया।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निदेशों के अनुसार कंपनी ने 3 नवम्बर से 7 नवम्बर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जिसके दौरान निबंध/कार्टून, स्लोगन/वाद–विवाद प्रतियोगिताएं और "निवारक सतर्कता" पर एक व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किए गए।

कॉरपोरेट शासन

आपकी कंपनी अच्छे कॉरपोरेट शासन के सिद्धांतों का सर्वोतम अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है। निदेशक मंडल पारदर्शिता, संव्यासायिकता, जवाबदेही और सत्यनिष्ठा पर विशेष बल देता है।

कंपनी ने हमेशा ही कॉरपोरेट शासन मानदंडों के उच्च मानकों को कार्यान्वित किया है और उनका पालन किया है तथा विधान द्वारा अनिवार्य नहीं थे, तब भी उत्तम कॉरपोरेट शासन के सिद्धांतो को कार्यान्वित किया है। कंपनी को कॉरपोरेट शासन का दर्शन इसके इस विश्वास से पैदा हुआ है कि समय पर तथ्य के प्रकटन, पारदर्शी लेखाकरण नीतियों और सुदृढ़ एवं स्वतंत्र बोर्ड के आधार पर दीर्घाकालिक शेयरधारक मूल्य को उच्चतम रखते हुए शेयरधारक के विश्वास को बनाए रखने में काफी सहायता मिलती है।

डीपीई मार्गनिर्देशों के अनुसार कॉरपोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन के बारे में प्रैक्टिश कर रहे कंपनी सचिवों, मेसर्स बी माथुर एवं कम्पनी, कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाणपत्र **संलग्नक VI** में संलग्न है। कॉरपोरेट शासन के उपबंधों के अनुपालन के बारे में डीपीई मार्गनिर्देशों के अनुरूप एक रिपोर्ट नीचे दी गई है :

निदेशक मंडल

इरेडा का निदेशक मंडल, शेयरधारकों के प्रति हर समय जवाबदेह रहते हुए नेतृत्व एवं कार्यनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, प्रबंधन से स्वतंत्र निष्पक्ष निर्णय देता है और कंपनी पर नियंत्रण रखता है।

गठन

निदेशक मंडल में इस समय आठ सदस्य हैं। रिपोर्ट की तिथि की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल का गठन इस प्रकार है :

पूर्णकालिक निदेशक

(i)	श्री देबाशीष मजुमदार	:	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(ii)	श्री एस पी रेड्डी	:	निदेशक (वित्त)
(iii)	श्री के एस पोपली	:	निदेशक (तकनीकी)

सरकारी निदेशक

(iv)	श्री के पी सुकुमारन (31.12.2009 तक)	:	निदेशक
(v)	श्री हरि कुमार	:	निदेशक
(vi)	श्री ए के कौशिक (16.3.2010 से)	:	निदेशक

अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक

(vii)	श्री ए प्रसाद	:	निदेशक
(viii)	डॉ. राजकिशोर प्रसाद	:	निदेशक
(ix)	प्रोफेसर एस सदगोपान	:	निदेशक

निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या

वर्ष 2009–10 के दौरान निदेशक मंडल की 10 बैठकें अर्थात 29.4.2009, 29.5.2009, 27.7.2009, 12.8.2009, 29.9.2009, 23.10.2009, 27.11.2009, 18.12.2009, 29.1.2010 और 29.3.2010 को आयोजित की गईं। व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ विस्तृत कार्यसूची मंडल को अग्रिम रूप से परिचालित की गई थी।

इरेडा
IREDA

निदेशक मंडल का गठन, इस वर्ष के दौरान मंडल की बैठकों और साथ ही पिछली वार्षिक आम बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति इस प्रकार है

बैठकों, अन्य कंपनियों में निदेशक और अन्य समितियों में सदस्यता आदि का ब्यौरा :

नाम एवं पदनाम	मंडल बैठकें		अन्य निदेशकों की संख्या *	अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता**		पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति (30.09.2009)
	वर्ष के दौरान आयोजित	उपस्थित		सदस्य के रूप में	अध्यक्ष के रूप में	
श्री देबाशीष मजुमदार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	10	10	शून्य	04	-	उपस्थित
श्री एस.पी. रेड्डी, निदेशक (वित्त), इरेडा	10	10	शून्य	-	-	उपस्थित
श्री के. एस. पोपली, निदेशक (तकनीकी) इरेडा	10	10	शून्य	01	-	उपस्थित
श्री के.पी. सुकुमारन, निदेशक, इरेडा एवं सलाहकार, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (31.12.2009 तक)	08	07	शून्य	-	-	उपस्थित नहीं
श्री हरि कुमार, निदेशक, इरेडा एवं संयुक्त सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	10	04	शून्य	-	-	उपस्थित नहीं
श्री ए.के. कौशिक निदेशक, इरेडा एवं निदेशक वित्त, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (16.3.2010 से)	01	-	शून्य	-	-	लागू नहीं
श्री ए. प्रसाद, निदेशक, इरेडा	10	08	02	-	-	उपस्थित
श्री राज किशोर प्रसाद, निदेशक, इरेडा	10	10	शून्य	-	-	उपस्थित
प्रो. एस. सदगोपान, निदेशक, इरेडा एवं निदेशक आईआईआईटी, बंगलौर	10	-	04	-	-	उपस्थित नहीं

* प्राइवेट कंपनियों, धारा 25 कंपनियों एवं विदेशी कंपनियों में निदेशकता शामिल नहीं

** लेखा परीक्षा समिति आदि के अलावा मंडल समितियों में अध्यक्षता/सदस्यता शामिल नहीं।

मंडल का कोई भी निदेशक 10 से अधिक समितियों का सदस्य और उन सभी कंपनियों, जिनसे वह निदेशक है, में 3 समितियों से अधिक का अध्यक्ष नहीं है।

मंडल को उपलब्ध सूचना

कंपनी के भीतर की सभी संगत सूचना तक मंडल की पूरी पहुँच होती है। मंडल को नियमित रूप से दी गई सूचना में निम्नलिखित शामिल हैं :

- वार्षिक प्रचालन योजनाएं, बजट एवं उनमें कोई अद्यतन सूचना।
- पूंजीगत बजट और उनमें कोई अद्यतन सूचना।
- कंपनी के लिए तिमाही समझौता ज्ञापन उपलब्धि परिणाम और इसके प्रचालन प्रभाग या व्यवसाय भाग
- लेखा परीक्षा समिति एवं मंडल की अन्य समिति की बैठक के कार्यवृत
- मंडल स्तर से ठीक नीचे के वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती/पारिश्रमिक के बारे में सूचना
- महत्वपूर्ण कारण बताओ, मांग, अभियोजन नोटिस एवं जुर्माना नोटिस, यदि कोई हो
- कंपनी में या उसके द्वारा वित्तीय दायित्वों में कोई वास्तविक चूक या कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए अत्यधिक गैर–अदायगी
- किसी संयुक्त उद्यम या सहयोग करार का ब्यौरा
- निवेश
- तिमाही विदेशी मुद्रा एक्सपोजर एवं प्रतिकूल मुद्रा दर के चलन, यदि वास्तविक हो, के जोखिम को सीमित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदम
- किसी विनियामक, सांविधिक प्रकृति का अनुपालन नहीं होना।

आचार संहिता

निदेशक मंडल ने मंडल सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंध कार्मिक के लिए व्यावसायिक आचार संहिता निर्धारित की है जो कंपनी के मिशन एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कंपनी के विज़न एवं मूल्य के अनुरूप है और इसका उद्देश्य कंपनी के कार्यों के प्रबंधन में नैतिकता एवं पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ाना है। आचार संहिता की प्रति कंपनी की वेबसाइट पर डाली गई है।

मंडल सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक से प्राप्त समर्थन के आधार पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा आचार संहिता के अनुपालन के बारे में की गई घोषणा नीचे दी गई है :

मंडल के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक ने 31 मार्च, 2010 को समाप्त वित्तीय वर्ष में आचार संहिता के अनुपालन की अभिपुष्टि की है।

(देबाशीष मजुमदार)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

लेखा परीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम) की धारा 292क के उपबंधों के अनुपालन में इरेडा में "लेखा परीक्षा समिति" नामक मंडल की समिति गठित की थी।

लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :

(i) आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना और शुल्कों का भुगतान नियत करना

(ii) आंतरिक लेखा परीक्षकों के कार्यक्षेत्र पर चर्चा करना और इसकी समीक्षा करना/इसको परिवर्तित करना।

(iii) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के बारे में समय–समय पर लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करना, कार्य की प्रगति और इरेडा द्वारा अनुपालन/की गई कार्रवाई पर चर्चा करना।

(iv) सांविधिक लेखा परीक्षकों, आंतरिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों, इरेडा द्वारा की गई कार्रवाई पर चर्चा करना और इसकी समीक्षा करना।

(v) मंडल को प्रस्तुत करने से पहले छमाही एवं वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना।

(vi) आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों एवं उनपर की गई कार्रवाई/अनुपालन, आतंरिक नियंत्रण प्रणालियों और कंपनी के कार्य पर सीधे प्रभाव डालने वाले वित्तीय प्रबंधन के सभी विषयों की समीक्षा करना।

(vii) कंपनी के वित्तीय एवं जोखिम प्रबंधन नीति की समीक्षा करना।

(viii) मंडल द्वारा समिति को भेजे गए विषयों की जाँच करना।

लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की संख्या

वर्ष 2009–10 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की 6 बैठकें अर्थात दिनांक 29.4.2009, 29.5.2009, 12.8.2009, 23.10.2009, 27.11.2009 और 25.2.2010 को आयोजित की गईं। व्याख्यात्मक टिप्पणियों सहित विस्तृत कार्यसूची समिति को अग्रिम रूप से परिचालित की गई थी।

लेखापरीक्षा समिति का गठन, वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार है :

सदस्यों के नाम	पदनाम	वर्ष 2009–10 के दौरान भाग लिए गए बैठकों की संख्या
श्री ए. प्रसाद	अंशकालिक गैर–सहकारी निदेशक	04
डॉ. राजकिशोर प्रसाद	अंशकालिक गैर–सहकारी निदेशक	06
श्री के एस पोपली	निदेशक (तकनीकी)	06

लेखापरीक्षा समिति के कार्यवृत्त सूचनार्थ मंडल के समक्ष रखे गए ।

लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष दिनांक 30.09.2009 को वार्षिक आम बैठक में उपस्थित थे।

निदेशकों की समिति (सीओडी)

इरेडा के संगम ज्ञापन में निहित उपबंधों के संदर्भ में बोर्ड ने प्रत्यायोजन ढांचा और कार्य अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए दिनांक 31.7.2008 को आयोजित 180वीं बैठक में निदेशकों की समिति का पुनर्गठन किया।

निदेशकों के समिति के विचारार्थ विषय

(i) व्यक्तिगत ऋण/परियोजना के लिए 10 करोड़ से अधिक और 70 करोड़ रुपए तक वित्तपोषण संबंधी मार्ग निर्देशों के अनुसार वित्तीय सहायता की मंजूरी पर विचार करना जिसमें एक वित्तीय वर्ष में 1400 करोड़ रुपए की समग्र अधिकतम सीमा के अध्यधीन अतिरिक्त/बढ़ा हुआ ऋण शामिल है।

(ii) कोई अन्य विषय जो निदेशक मंडल, निदेशक की समिति के विचारार्थ नियत करता है।

बैठकों की संख्या

वर्ष 2009–10 के दौरान निदेशकों की समिति की 4 बैठकें दिनांक 29.4.2009, 29.9.2009 18.12.2009, और 25.2.2010 को आयोजित की गईं। विस्तृत कार्यसूची और साथ ही व्याख्यात्मक नोट समिति को पहले ही प्रचालित कर दिए गए । निदेशकों की समिति के गठन, निदेशकों की समिति की बैठकों में उपस्थिति से संबंधित ब्यौरा निम्न प्रकार है :

सदस्यों के नाम	पदनाम	वर्ष 2009–10 के दौरान भाग लिए गए बैठकों की संख्य
श्री देबाशीष मजुमदार	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	4
श्री एस.पी. रेड्डी	निदेशक (वित्त)	4
श्री के. एस. पोपली	निदेशक (तकनीकी)	4
श्री के. पी. सुकुमारन (31.12.2010 तक)	पदेन अंशकालिक निदेशक	3
श्री ए. प्रसाद	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	3
डॉ. राजकिशोर प्रसाद	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	4

निदेशकों की समिति के अध्यक्ष दिनांक 30.9.2009 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में उपस्थित थे।

निदेशकों की समिति के कार्यवृत्त सूचनार्थ निदेशक मंडल के समक्ष रखे गए।

पारिश्रमिक समिति

कंपनी के संगम ज्ञापन के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक के भुगतान से संबंधित निर्णय भारत के राष्ट्रपति द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार कंपनी में कोई पारिश्रमिक समिति नहीं है।

लोक उद्यम विभाग के दिनांक 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार निदेशक मंडल ने कंपनी के कर्मचारियों के लिए कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी) से संबंधित विषय पर विचार करने के लिए पारिश्रमिक समिति के गठन का अनुमोदन किया जो निम्नानुसार है :

1) श्री ए. प्रसाद, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक –अध्यक्ष
2) श्री एस. पी. रेड्डी, निदेशक (वित्त) –सदस्य
3) श्री के. एस. पोपली, निदेशक (तकनीकी) –सदस्य

आम सभा की बैठक

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों की तिथि, समय एवं स्थान इस प्रकार है :

वित्तीय वर्ष	तिथि	समय	स्थान
2006–07	31.10.2007	12.30 बजे अपराह्न	पंजीकृत कार्यालय : भारत पर्यावास केन्द्र लोधी रोड, नई दिल्ली
2007–08	26.09.2008	12.30 बजे अपराह्न	
2008–09	30.09.2009	2.00 बजे अपराह्न	कॉरपोरेट कार्यालय : तृतीय तल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली

इसके अतिरिक्त, पिछले तीन वर्षों के दौरान विशेष कार्य संचालित करने के लिए शेयरधारकों की निम्नलिख्ति असाधारण आम बैठकें आयोजित की गईः

वित्तीय वर्ष	तिथि	समय	स्थान
2006–07	–	–	पंजीकृत कार्यालय : भारत पर्यावास केन्द्र लोधी रोड, नई दिल्ली
2007–08	22.06.2007	11.00 बजे पूर्वाह्न	
	31.01.2008	3.00 बजे अपराह्न	
2008–09	04.02.2009	12.00 बजे अपराह्न	

निदेशकों के दायित्व का विवरण

निदेशकों के दायित्व के संबंध में कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2एए) के अंतर्गत की गई अपेक्षा के अनुसरण में कंपनी का निदेशक मंडल पुष्टि करता है :

- कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखाओं को तैयार करने में, संबंधित लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है;
- कि निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया और उन्हें संगत रूप में लागू किया और उचित व विवेकपूर्ण निर्णय लिए तथा अनुमान लगाए जो 31 मार्च, 2010 को समाप्त वित्तीय वर्ष में कंपनी के कार्यकलापों तथा 31 मार्च, 2010 को समाप्त अवधि के लिए कम्पनी के लाभ की सही और निष्पक्ष स्थिति प्रकट कर सके;
- कि निदेशकों ने कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करने और छल–कपट व अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और उनका निवारण करने के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार उपयुक्त लेखाकरण अभिलेखों के रखरखाव हेतु उचित और पर्याप्त ध्यान दिया है; और
- कि निदेशकों ने 31 मार्च, 2010 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखाओं को चलायमान प्रतिष्ठान आधार पर तैयार किया है।

आभार

निदेशक मंडल, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग तथा भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा दिए गए निरंतर मार्गदर्शन, सहयोग और समर्थन के लिए आभार प्रकट करता है। कम्पनी, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, केएफडब्ल्यू, जर्मनी, नॉर्डिक निवेश बैंक, यूरोपीय निवेश बैंक, एएफडी, जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहायता अभिकरण (जेआईसीए) और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों/एजेंसियों तथा निवेशकों के प्रति उनके सहयोग मार्गदर्शन और सहायता के लिए बहुत कृतज्ञ है।

कंपनी भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक, सांविधिक लेखापरीक्षकों, आंतरिक लेखापरीक्षकों और विधिक लेखापरीक्षकों को उनके मूल्यवान सहयोग के लिए धन्यवाद देती है।

कंपनी, बैंकरों, बाण्डधारकों और ग्राहकों को कम्पनी में उनके विश्वास और आस्था के लिए विशेष धन्यवाद देती है।

निदेशक मंडल, कंपनी के कार्यनिष्पादन में कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा सभी स्तरों पर उनके वैयक्तिक और सामूहिक मूल्यवान योगदान की सराहना करता है।

और अन्त में, निदेशक मंडल शेयरधारकों को उनके निरंतर विश्वास और आस्था के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

(देबाशीष मजुमदार)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23.09.2010

इरेडा द्वारा वित्तपोषित उदमबियान, वेप्पानताटी तालूक, पेरम्बदूर जिला, तमिलनाडु में 23 मेगावाट खोई आधारित सहउत्पादन परियोजना।

पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्यवार मंजूरियां

संलग्नक–I
(रूपए करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		1987 से संचयी	
		परियोजनाओं की संख्या	इरेडा की ऋण राशि	परियोजनाओं की संख्या	इरेडा की ऋण राशि	परियोजनाओं की संख्या	इरेडा की ऋण राशि	परियोजनाओं की संख्या	इरेडा की ऋण राशि	परियोजनाओं की संख्या	इरेडा की ऋण राशि	परियोजनाओं की संख्या	इरेडा की ऋण राशि
क	राज्य												
1	आन्ध्र प्रदेश	3	12.87	2	10.87	1	4.47	2	114.41	0	20.90	247	1,432.72
2	असम	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	9.40
3	बिहार	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	8	3.17
4	छत्तीसगढ़*	1	24.64	0	0.00	0	0.00	1	15.84	0	0.00	67	6.31
5	गुजरात	0	0.00	2	11.44	5	183.15	4	236.10	1	17.25	97	611.12
6	गोवा	1	0.13	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	8	0.62
7	हरियाणा	1	6.00	0	0.00	0	0.00	1	0.86	0	0.00	22	29.04
8	हिमाचल प्रदेश	1	17.30	2	13.42	1	14.20	4	35.40	9	340.35	40	757.93
9	जम्मू और कश्मीर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.67
10	झारखंड*	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.33
11	कर्नाटक	7	118.78	6	89.60	1	418.47	18	775.16	5	414.62	275	3,522.43
12	केरल	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	31	125.11
13	मध्य प्रदेश	1	20.00	1	16.07	1	8.15	1	12.22	0	0.00	74	233.42
14	महाराष्ट्र	19	139.52	9	215.31	2	35.65	6	100.25	2	189.80	329	1,708.71
15	मणिपुर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	0.46
16	मिजोरम	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.16
17	नागालैंड	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.82
18	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0	0.00	0	0.00	1	1.00	0	0.00	0	0.00	6	147.63
19	उड़ीसा	1	40.00	1	32.02	2	77.51	0	0.00	0	0.00	12	243.19
20	पंजाब	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	183.32
21	राजस्थान	3	42.48	2	2.05	0	0.00	2	18.45	1	14.92	67	249.66
22	तमिलनाडू	6	32.61	5	21.32	5	15.25	3	97.78	10	706.07	415	2,015.59
23	उत्तर प्रदेश	1	0.94	1	60.98	1	68.30	0	0.00	0	0.00	80	413.77
24	उत्तराखंड*	0	0.00	2	115.43	0	0.00	4	59.96	1	120.00	12	338.95
25	पश्चिम बंगाल	1	50.56	0	0.00	0	0.00	1	23.50	0	0.00	56	265.34
	योग "क"	**46**	**505.83**	**33**	**588.51**	**29**	**826.15**	**47**	**1,489.93**	**29**	**1,823.91**	**1916**	**12,169.87**
ख	**संघ राज्य क्षेत्र**												
1	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.11
2	दमन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8.13
3	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1.38
	योग "ख"	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**9.62**
	कुल योग 'क' +'ख'	**46**	**505.83**	**33**	**588.51**	**29**	**826.15**	**47**	**1,489.93**	**29**	**1,823.91**	**1921**	**12,179.49**

* संबंधित राज्यों के गठन के पश्चात् मंजूरी दर्शाई गई है।

इरेडा IREDA

इरेडा ने तिरूनेलवेली जिला, तमिलनाडु में 24 मेगावाट वाली विंड फॉर्म परियोजना का वित्तपोषण किया

पिछले पांच वर्षों के दौरान क्षेत्रवार मंजूरियां

संलग्नक –II

(रूपए करोड़ में)

क्र.सं.	सेक्टर	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	1987 से संचयी
1	पवन ऊर्जा	261.41	266.19	426.97	728.87	1174.09	5144.19
2	लघु पनबिजली	17.30	160.87	226.23	343.40	483.45	2922.01
3	सहउत्पादन	0.00	116.28	68.30	319.85	140.12	1779.54
4	बायोमास विद्युत	89.30	0.00	0.00	16.25	17.25	740.14
5	ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण	123.32	21.30	53.73	40.20	0.00	573.41
6	सौर फोटोवोल्टेक	0.00	0.00	0.00	33.26	0.00	619.31
7	सौर तापीय	7.00	13.00	50.92	8.00	9.00	205.03
8	अपशिष्ट से ऊर्जा	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00	58.33
9	बायोमास ब्रिकेटिंग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.47
10	बायोमास गैसीकरण	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	12.43
11	औद्योगिक निस्सारियों से बायोमिथेनेशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.47
12	विविध	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	33.16
	योग	505.83	588.51	826.15	1489.93	1823.93	12179.49

इरेडा ने गंगानगर, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र में 30 मेगावाट वाली खोई आधारित सह–उत्पादन परियोजना का वित्तपोषण किया

पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्यवार संवितरण

संलग्नक –III
(रूपए करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	1987 से संचयी
क	राज्य						
1	आन्ध्र प्रदेश	37.49	6.01	25.21	32.32	55.26	1075.75
2	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
3	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
4	छत्तीसगढ़*	35.72	21.56	0.00	0.00	0.00	61.92
5	गोवा	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.22
6	गुजरात	0.00	3.99	77.75	177.96	58.60	446.816
7	हरियाणा	0.40	0.00	0.00	0.00	0.67	5.27
8	हिमाचल प्रदेश	27.30	37.74	46.99	5.65	98.68	308.56
9	झारखंड*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
10	कर्नाटक	115.87	86.69	118.00	435.27	355.39	1880.34
11	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.43
12	मध्य प्रदेश	0.65	0.87	0.00	20.79	0.37	138.35
13	महाराष्ट्र	26.04	162.45	137.41	15.49	112.85	982.38
14	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.55
15	नागालैंड	0.04	0.07	0.00	0.00	0.00	0.65
16	उड़ीसा	28.37	31.75	14.22	3.02	0.00	123.27
17	पंजाब	4.13	0.51	0.00	0.00	0.00	80.51
18	राजस्थान	2.34	41.14	1.00	6.41	13.38	172.49
19	तमिलनाडु	20.19	17.15	17.30	18.10	169.10	967.25
20	उत्तर प्रदेश	0.44	0.40	68.30	0.00	0.00	159.13
21	उत्तराखंड*	0.00	0.00	46.79	55.94	25.73	130.95
22	पश्चिम बंगाल	3.53	0.54	0.54	0.00	0.00	49.74
	योग "क"	**302.51**	**410.87**	**553.64**	**770.95**	**890.03**	**6641.46**
ख	**संघ राज्य क्षेत्र**						
1	दमन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
2	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
	योग "ख"	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.62**
	कुल योग 'क' +'ख'	**302.51**	**410.87**	**553.64**	**770.95**	**890.03**	**6644.08**

* संवितरण, संबंधित राज्यों की स्थापना के बाद से दिखाया गया है।

इरेडा ने तिरूनेलवेली जिला, तमिलनाडु में 24 मेगावाट वाली विंड फॉर्म परियेाजना का वित्तपोषण किया

संलग्नक –IV

पिछले पांच वर्षों के दौरान क्षेत्रवार संवितरण

(रूपए करोड़ में)

क्र.सं.	सेक्टर	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	1987 से संचयी
1	पवन ऊर्जा	134.82	258.19	271.02	483.51	515.92	3030.94
2	लघु पनबिजली	64.73	58.36	119.39	147.55	229.03	1293.33
3	सहउत्पादन	18.44	19.68	103.88	76.36	83.49	975.02
4	बायोमास विद्युत	36.74	38.99	9.81	1.13	24.37	548.78
5	ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण	41.44	29.40	13.57	5.80	15.18	191.97
6	सौर फोटोवोल्टेक	0.11	0.00	0.00	26.25	7.06	321.57
7	सौर तापीय	5.93	5.00	29.82	27.55	14.51	157.50
8	अपशिष्ट से ऊर्जा	0.30	0.00	6.15	2.80	0.47	49.02
9	औद्योगिक निस्सारियों से बायोमिथेनेशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.60
10	बायोमास ब्रिकेटिंग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99
11	बायोमास गैसीकरण	0	1.25	0	0.00	0.00	5.12
12	विविध	0	0	0	0.00	0.00	3.24
	योग	302.51	410.87	553.64	770.95	890.03	6644.08

इरेडा द्वारा वित्तपोषित चम्बा जिला, हिमाचल प्रदेश में 5 मेगावाट तराईला–II एसएचपी परियोजना के पावर हाउस एवं स्वीचयार्ड तथा टेलरेस की झलक

पावर हाउस एवं स्वीचयार्ड की झलक

इंटेक एवं टेलरेस की झलक

टरबाइन एवं जेनरेटर से युक्त पावर हाउस के अंदर की झलक

पावर चैनल की झलक

इरेडा द्वारा कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश में वित्तपोषित 5 मेगावाट वाले लूनी–II एसएचपी परियोजना

संगलग्नक–V
(भाग–I)

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था सीमित के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

(जैसाकि वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड –II नई दिल्ली के कार्यालय द्वारा दिनांक 7 सितम्बर, 2010 के पत्र सं. एमएबी– II /सीएडी II /15–2/2010–11/250 के तहत सूचित किया गया)।

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था सीमित के वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक उनके संव्यावसायिक निकाय भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षा और आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 23 जुलाई, 2010 के माध्यम से उन्होंने यह कार्य किया है। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की ओर से मैंने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(ख) के अंतर्गत 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था सीमित के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यकारी दस्तावेजों को प्राप्त किए बिना की गई और मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कम्पनी कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ लेखाकरण अभिलेखों के चयनित परीक्षण तक सीमित है। मेरी अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषय को उजागर करना चाहूंगा जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरी दृष्टि में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट को बेहतर ढंग से समझने के लिए आवश्यक हैं।

टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
क. **वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियां:** तुलन पत्रः निधियों के स्रोत : ऋण एवं अग्रिम (अनुसूची एच) : संदिग्ध एवं अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान : 284.64 करोड़ रुपए। उपरोक्त में अवमानक, संदिग्ध एवं हानि वाली परिसंपत्तियों के संबंध में प्रावधान के लिए 149.30 करोड़ रुपए शामिल हैं (मानक परिसंपत्तियों के 70 करोड़ रुपए के तदर्थ प्रावधान सहित) जिनको 31 मार्च, 2010 तक वसूला गया था। लेखा नीति के उल्लंघन में अतिरिक्त प्रावधान के प्रतिधारण के परिणामस्वरूप अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधानों का अधिकथन और लाभ का अल्प कथन 149.30 करोड़ रुपए था (चालू वर्ष के लिए 52.20 करोड़ रुपए और पिछले वर्षों के लिए 97.10 करोड़ रुपए)	इरेडा भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है और सरकार के शत प्रतिशत स्वामित्व में होने के कारण इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विहित विवेकपूर्ण मापदण्डों से छूट प्राप्त है। तथापि, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान से संबंधित विवेकपूर्ण मापदण्ड विहित करने के लिए इरेडा के निदेशक मंडल को अधिकृत किया है। निदेशक मंडल ने वर्ष 2008–09 में उक्त विवेकपूर्ण मापदण्डों का अनुमोदन किया। तदनुसार, लेखा नीति संख्या ए(9) के संदर्भ में इरेडा वित्तीय संस्थानों से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग निर्देशों के अनुसार उक्त विवेकपूर्ण मापदण्डों और प्रकटन संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन करती है और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की समय–समय पर यथा संशोधित अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन करती है। इरेडा केवल अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता का वित्तपोषण कर रही है जो अपनी प्रकृति से प्राकृतिक आपदाओं के प्रति प्रवण हैं और बहुत ही जोखिम पूर्ण हैं। विहित विवेकपूर्ण मापदण्डों के संबंध में गैर निष्पादक परिसंपत्तियों और मानक परिसंपत्तियों के लिए वर्षानुवर्ष आधार पर प्रावधान किया जा रहा है। गैर निष्पादक परिसंपत्तियों की वसूली और वर्ष 2008–09 में निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुमोदित विवेकपूर्ण मापदण्डों में परिवर्तनों के परिणामस्वरूप गैर निष्पादक परिसंपत्तियों का अतिरिक्त प्रावधान 31 मार्च 2009 तक कुल 97.10 करोड़ रुपए हो गया। इसमें वर्ष 2003–04 से वर्ष 2006–07 के दौरान शुरू के वर्षों में मानक

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
	परिसंपत्तियों के लिए सृजित 70 करोड़ रुपए का तदर्थ प्रावधान शामिल हैं। कंपनी ने इरेडा के वित्तीय स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए बहुत ही सतर्कतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय लिया और अतिरिक्त प्रावधान को वापस न करके इसे प्रतिधारित किया। वर्ष 2009–10 के दौरान भी 135.62 करोड़ रुपए की गैर निष्पादक परिसंपत्तियों की वसूली के परिणामस्वरूप 52.20 करोड़ रुपए का निवल अतिरिक्त प्रावधान किया गया जिससे दिनांक 31.3.2010 की स्थिति के अनुसार कुल अतिरिक्त प्रावधान 149.30 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी ने केवल अक्षय ऊर्जा और दक्षता ऊर्जा क्षेत्र के लिए व्यवसाय करने वाली इरेडा की जोखिम पूर्ण कार्य प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त विवेकपूर्ण वित्तीय नीति के संदर्भ में उक्त अतिरिक्त प्रावधान को प्रतिधारित करने का निर्णय लिया। यह सराहनीय है कि बैंक पर लागू दिनांक 1.7.2009 के आरबीआई मास्टर परिपत्र संख्या डीबीडी संख्या बीपी.बीसी.17/21.04.0481/2009/10 के अनुसार प्रावधान करने के विनियामक मापदण्डों से न्यूनतम अपेक्षा प्रतिदर्शित होता है। तथापि, बैंक निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसार स्वेच्छा से अधिक प्रावधान कर सकती है और ऐसे प्रावधान को निरंतर अपनाया जाता है। उपरोक्त परिपत्र की भावना को ध्यान में रखते हुए इरेडा के निदेशक मंडल ने मापदण्ड के अनुसार अपेक्षित प्रावधान तक सीमित रखने के बजाए दिनांक 31.3.2010 तक कुल 149.30 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान को प्रतिधारित करने का निर्णय लिया है। अंत में यह कहा जा सकता है कि निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुमोदित मार्ग निदेशों में गैर निष्पादक परिसंपत्तियों के न्यूनतम प्रावधान विहित किए जाते हैं जिसका प्रावधान किया जाना आवश्यक होता है किन्तु इससे कंपनी पर स्वेच्छा से अतिरिक्त प्रावधान करने पर रोक नहीं लगती है। यह सराहनीय है कि निदेशक मंडल, जो कि इरेडा के विवेकपूर्ण मापदण्डों को विहित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है, के अनुमोदन से अतिरिक्त प्रावधान किया गया है और भावी आकस्मिकताओं से निपटने के लिए एक विवेकपूर्ण वित्तीय नीति के रूप में इरेडा द्वारा इस नीति को निरंतर अपनाया गया है। उपरोक्त को देखते हुए लेखा परीक्षा द्वारा दी गई टिप्पणी अनुसार 'अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधान' के अधिकथन और 'लाभ' के अल्पकथन में 149.30 करोड़ रुपए की कोई वद्धि नहीं हुई है।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक
के लिए और की ओर से

(नयना अ. कुमार)
प्रधान निदेशक
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं
पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड –II
नई दिल्ली

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

(देबाशीष मजुमदार)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 7.9.2010

संलग्नक – V
(भाग –II)

वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट [कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(3) के अंतर्गत अपेक्षित] पर प्रबंधन का उत्तर

क्र. सं.	लेखापरीक्षक रिपोर्ट	प्रबंधन का उत्तर
लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का (च)	कंपनी अपनी लेखा बहियों में मानक परिसंपत्तियों के संबंध में 6.98 करोड़ रू. का प्रावधान और अवमानक एवं संदिग्ध, तथा हानि वाली परिसंपत्तियों के संबंध में 284.64 करोड़ रू. के अशोध्य एवं संदिग्ध उधारों के लिए प्रावधान कर रही है जो उस प्रावधान से 149.30 करोड़ रू. अधिक है जो बोर्ड द्वारा बनाए गए विवेकपूर्ण मापदंडों के अनुसार किया जाना आवश्यक होता है। प्रावधान के इस अधिक राशि को कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग III द्वारा यथापेक्षित 'आरक्षित निधि' के रूप में नहीं दिखाया गया है। यदि उक्त राशि को इस समय 'प्रावधान ' के रूप में दिखाई जा रही राशि को 'आरक्षित निधि ' के रूप में दिखाया गया होता तो 'आरक्षित निधि एवं अधिशेष का आंकड़ा 570.26 करोड़ रू. होता जबकि 420.96 करोड़ रू. सूचित किया गया है, मानक परिसम्पत्तियों तथा अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान का आंकड़ा 142.32 करोड़ रू. होता जबकि 291.62 करोड़ रू. सूचित किया गया है।	कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची VI के भाग III के रूप में जहां परिसंपत्तियों के मूल्य में मूल्यह्रास, नवीकरण या न्यून प्रदान करके कोई राशि बट्टे खाते डाली जाती है या प्रतिधारित की जाती है और किसी ज्ञात देयता के लिए प्रावधान करके प्रतिधारित की जाती है, उस राशि से अधिक है जो निवेशकों की राय में इस प्रयोजन के लिए समुचित रूप से आवश्यक है, इस अधिक राशि को आरक्षित निधि के रूप में अनुसूची के प्रयोजनो के लिए माना जाएगा न कि प्रावधान के रूप में । इरेडा, इरेडा के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित मार्ग निदेशों के अनुसार गैर निष्पादक परिसंपत्तियों और मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान कर रही है। वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान इरेडा ने कंपनी के ऋण एवं अग्रिमों के संबंध में आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान से संबंधित लेखाकरण नीति को परिवर्तित कर लिया था जिसके परिणामस्वरूप मानक परिसंपत्तियों के अतिरिक्त प्रावधान और संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान वर्ष 2003–04 से 2006–07 के दौरान पहले के वर्षों में सृजित 70 करोड़ रुपए के तदर्थ प्रावधान के अतिरिक्त क्रमशः 1.48 करोड़ रुपए और 17.30 करोड़ रुपए किया। वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान गैर निष्पादक परिसंपत्तियों की वसूली के परिणामस्वरूप 8.32 करोड़ रुपए अतिरिक्त प्रावधान किया गया। 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष तक ऐसे प्रावधान की कुल राशि 97.10 करोड़ रुपए थी। इरेडा केवल अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता का वित पोषण कर रही है जो अपनी प्रकृति से प्राकृतिक आपदाओं के प्रति प्रवण हैं और बहुत ही जोखिम पूर्ण हैं। कंपनी ने इरेडा के वित्तीय स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए बहुत ही सतर्कतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय लिया है। उक्त विवेकपूर्ण वित्तीय नीति को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2008–09 के दौरान भी उपरोक्त कारणों के परिणामस्वरूप हुए अतिरिक्त प्रावधान को वापस न करके प्रतिधारित किया गया है। वर्ष 2009–10 के दौरान भी 135.62 करोड़ रुपए की गैर निष्पादक परिसंपत्तियों के वसूली के परिणामस्वरूप 52.20 करोड़ रुपए का निवल अधिशेष प्रावधान किया गया जिससे दिनांक 31.3. 2010 की स्थिति के अनुसार कुल अधिशेष प्रावधान 149.30 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी ने केवल अक्षय ऊर्जा और दक्षता ऊर्जा क्षेत्र के लिए व्यवसाय करने वाली इरेडा की जोखिम पूर्ण कार्य प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त विवेकपूर्ण वित्तीय नीति के संदर्भ में उक्त अधिशेष प्रावधान को प्रतिधारित करने का निर्णय लिया था। यह सराहनीय है कि बैंक पर लागू दिनांक 1.7.2009 के आरबीआई मास्टर परिपत्र संख्या डीबीडी संख्या बीपी.बीसी.17/21.04.0481/2009/10 के अनुसार प्रावधान करने के विनियामक मापदण्डों से न्यूनतम अपेक्षा प्रतिदर्शित होता है तथापि बैंक निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसार स्वेच्छा से अधिक प्रावधान कर सकती है और ऐसे प्रावधान को निरंतर अपनाया जाता है। उपरोक्त परिपत्र की भावना को ध्यान में रखते हुए इरेडा के निदेशक मंडल ने मापदण्ड के अनुसार अपेक्षित प्रावधान तक सीमित रखने के बजाए दिनांक 31.3.2010 तक कुल 149.30 करोड़ रुपए के अधिशेष प्रावधान को प्रतिधारित करने का निर्णय लिया है। निष्कर्ष यह है कि वित्तीय वर्ष 2008–09 में अतिरिक्त प्रावधान विवेकपूर्ण मापदंडों में परिवर्तन, बेहतर वसूली और पूर्व वर्षों में किए गए 70 करोड़ रू. के तदर्थ प्रावधान के कारण उद्भूत हुए उक्त अतिरिक्त प्रावधान किसी ज्ञात देयता के लिए नहीं किया गया है। अतिरिक्त प्रावधान केवल किसी भविष्य की आकस्मिकता को पूरा करने के उद्देश्य से प्रतिधारित किया गया है गैर निष्पादक परिसंपत्तियों के अतिरिक्त प्रावधान, जैसे कि गैर निष्पादक परिसंपत्तियों पर न्यूनतम विनियामक प्रावधान, को निवल गैर निष्पादक परिसंपत्तियों का आकलन करने के लिए सकल गैर निष्पादक परिसंपत्तियों से निकाला गया है। उपरोक्त के मद्देनजर 149.30 करोड़ रू. के अतिरिक्त प्रावधान कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग III के संदर्भ में आरक्षित निधि नहीं है और इसलिए इनको प्रावधानों सही प्रदर्शित किया गया है।

बी माथुर एवं कंपनी
कंपनी सचिव

संलग्नक – VI

कॉरपोरेट शासन अनुपालन प्रमाणपत्र

सीआईएन स.	:	यू 40108डीएल1987 जीओआई 027265
अंकित पूंजी	:	1000,00,00,000 रूपए (रूपए हजार करोड़ में)

सेवा में
सदस्यगण
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था सीमित
नई दिल्ली

हमने सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 22 जून, 2007 को जारी कॉरपोरेट शासन मार्ग निर्देशों की शर्तों के अनुपालन को प्रमाणित करने के प्रयोजन से 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था सीमित (कम्पनी) के सभी संगत रिकार्डों की जांच कर ली है।

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी मार्गनिदेशों के अनुसार कॉरपोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है। हमारी जाँच प्रक्रिया और उसके कार्यान्वयन तक सीमित है। यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भविष्य की अर्थक्षमता के बारे में और न ही उस दक्षता या प्रभावकारिता का आश्वासन है जिसके आधार पर प्रबंधन ने कंपनी का कार्य संचालन किया है।

प्रस्तुत रिकार्डों, उपलब्ध कराए गए व्याख्या एवं सूचना की जाँच के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि इस कंपनी ने 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के दौरान सार्वजनिक उद्यम विभाग के मार्गनिर्देशों का अनुपालन किया है।

बी माथुर एवं कंपनी
कंपनी सचिव की ओर से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30.08.2010

(ब्रिजेश्वर दयाल माथुर)
कंपनी सचिव
सीपी नं. 5334

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सदस्यगण

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था सीमित,

नई दिल्ली

हमने 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार **भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था सीमित** के संलग्न तुलन–पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु संलग्न लाभ–हानि लेखे और नकदी प्रवाह विवरण की भी लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व कम्पनी प्रबंधन का है। हमारा दायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।

हमने भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों में अपेक्षा की गई है कि हम इस बारे में उचित रूप से यह निश्चय करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं तथा निष्पादित करें कि क्या वित्तीय विवरण तथ्यात्मक गलतबयानी से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर जाँच, राशियों को समर्थन करने वाले तथा वित्तीय विवरणों में दिए गए प्रकटन के प्रमाण की जाँच शामिल होती है। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों तथा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन तथा इसके साथ ही सम्पूर्ण वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय को एक उपयुक्त आधार प्रदान करती है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उप–धारा (4क) के संबंध में भारत के केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट संशोधन) आदेश, 2004 के साथ पठित कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 की अपेक्षाओं के अनुसार हम उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 व 5 में विनिर्दिष्ट तथ्यों पर विवरण अनुलग्नक में संलग्न करते हैं।

उपर्युक्त संदर्भित अनुलग्नक में हमारी टिप्पणी के अतिरिक्त, हम यह सूचित करते हैं कि : –

क) हमने सारी जानकारी व स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए जरूरी थे;

ख) हमारी राय में कम्पनी ने कानून की अपेक्षाओं के अनुसार उपयुक्त बही खाते रखे हैं, जैसा कि बही खातों की हमारी जाँच से प्रकट होता है;

ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र, लाभ–हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण बही खातों के अनुरूप हैं;

घ) हमारी राय में इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र, लाभ–हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप–धारा (3ग) में वर्णित लेखाकरण मानकों, जहाँ तक वे कम्पनी पर लागू होते हैं, का अनुपालन करते हैं;

ङ.) भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 829(ङ.) दिनांक 21.10.2003 के संदर्भ में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 (1)(छ) के उपबंध कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं;

च) **कंपनी अपनी लेखा बहियों में मानक परिसंपत्तियों के संबंध में 6.98 करोड़ रू. का प्रावधान और अवमानक एवं संदिग्ध, तथा हानि वाली परिसंपत्तियों के संबंध में 284.64 करोड़ रू. के अशोध्य एवं संदिग्ध उधारों के लिए प्रावधान कर रही है जो उस प्रावधान से 149.30 करोड़ रू. अधिक है जो बोर्ड द्वारा बनाए गए विवेकपूर्ण मापदंडों के अनुसार किया जाना आवश्यक होता है। प्रावधान के इस अधिक राशि को कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग III द्वारा यथापेक्षित 'आरक्षित निधि' के रूप में नहीं दिखाया गया है। यदि उक्त राशि को इस समय 'प्रावधान ' के रूप में दिखाई जा रही राशि को 'आरक्षित निधि ' के रूप में दिखाया गया होता तो 'आरक्षित निधि एवं अधिशेष का आंकड़ा 570.26 करोड़ रू. होता जबकि 420.96 करोड़ रू. सूचित किया गया है, मानक परिसम्पत्तियों तथा अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान का आंकड़ा 142.32 करोड़ रू. होता जबकि 291.62 करोड़ रू. सूचित किया गया है।**

उपरोक्त के अध्यधीन हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार महत्त्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों और लेखाओं पर टिप्पणियों (अनुसूची–त के अनुसार) के साथ पठित उक्त लेखे कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा अपेक्षित सूचना यथापेक्षित रीति में देते हैं तथा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुरूप सही एवं स्पष्ट स्थिति प्रस्तुत करते हैं :

क. तुलन–पत्र के संबंध में 31 मार्च, 2010 को कम्पनी के कार्य व्यापार की स्थिति;

ख. लाभ–हानि लेखा के संबंध में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी का लाभ;

ग. नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में उस को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह।

एस.सी. वासुदेवा एवं कम्पनी के लिए
सनदी लेखाकार, फर्म पंजी. सं. 000235 N
(आर.सी. लूथरा)
भागीदार
सदस्यता सं. 81052

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 जुलाई, 2010

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का संलग्नक

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था सीमित के सदस्यों को 31 मार्च, 2010 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखाओं पर हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 में संदर्भित संलग्नक।

(i) (क) कम्पनी ने परिमाणात्मक ब्यौरे और स्थिर परिसंपत्तियों की स्थिति सहित पूरे विवरण वाले समुचित रिकार्ड रखा है।

(ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा स्थिर परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है जो हमारी राय में कंपनी के आकार एवं इसकी परिसंपत्तियों के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए समुचित है । कोई महत्त्वपूर्ण विसंगति पाई नहीं गई।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी ने वर्ष के दौरान स्थिर परिसम्पत्ति के किसी बड़े भाग का निपटान नहीं किया हैं।

(ii) आदेश के पैरा 4(ii)(क) से 4(ii)(ग) के उपबंध कम्पनी पर लागू नहीं होते।

(iii) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर में शामिल किन्हीं कम्पनियों, फर्मों या पार्टियों को कोई प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण नहीं प्रदान किया है।

(ख) चूंकि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर में शामिल किन्हीं कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को कोई प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण नहीं प्रदान किया है, अतः आदेश के पैराग्राफ 4(iii)(ख), (iii)(ग) और (iii)(घ) के उपबंध कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर में शामिल किन्हीं कम्पनियों, फर्मों या पार्टियों से कोई प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण नहीं लिया है।

(घ) चूंकि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर में शामिल किन्हीं कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कोई प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण नहीं लिया है, अतः आदेश के पैराग्राफ 4(iii)(च) और (iii)(छ) कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

(iv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणा के अनुसार, कम्पनी के आकार और इसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप स्थिर परिसम्पत्तियों की खरीद तथा सेवाएँ प्रदान करने के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मौजूद है। हमारी लेखा परीक्षा के क्रम में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में प्रमुख कमजोरियों के संशोधन के लिए कोई निरंतर विफलता हमें दृष्टिगत नहीं हुई। इसके अतिरिक्त, वस्तुओं की बिक्री और माल की खरीद के संबंध में पैरा 4 (iv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

(v) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान किसी ऐसी संविदा या व्यवस्था का विवरण नहीं है जिसे कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अनुसरण में बनाए गए रजिस्टर में दर्ज करने की आवश्यकता है।

(ख) वर्ष के दौरान आदेश का पैराग्राफ 4(v)(ख) कम्पनी पर लागू नहीं होता है।

(vi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी ने जनता से कोई जमाराशि नहीं ली है। अतएव, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क, 58कक या कोई अन्य संगत उपबंध और उसके तहत बनाए गए संगत नियम कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

(vii) हमारी राय में कम्पनी के पास अपने आकार और व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है

(viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार केन्द्र सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1)(घ) के अंतर्गत लागत रिकॉर्डों का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है।

(ix) (क) कम्पनी ने भविष्य निधि, आयकर तथा अन्य सांविधिक देयों सहित अविवादित सांविधिक देयों को उपयुक्त प्राधिकरणों के पास सामान्यतः नियमित रूप से जमा कराती है। हमें सूचित किया गया है निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि, कर्मचारी राज्य बीमा,बिक्री कर, धन कर सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं उपकर के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

(ख) कम्पनी के रिकॉर्डों के अनुसार, 2431 लाख रूपए के विवादित सांविधिक देयों को जमा नहीं कराया गया है और अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष मामले पर कार्रवाई की जा रही है। लंबित मामलों का विवरण नीचे दिया गया है :

संविधि का नाम	देयों की प्रकृति	राशि (लाख रूपए में)	संबंधित अवधि	किस फोरम में विवाद लंबित है
आयकर अधिनियम, 1961	निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने के कारण अतिरिक्त माँग	517	निर्धारण वर्ष 2004–05	आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल
आयकर अधिनियम, 1961	निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने के कारण अतिरिक्त माँग	661	निर्धारण वर्ष 2005–06	आयकर आयुक्त (अपील)
आयकर अधिनियम, 1961	निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने के कारण अतिरिक्त माँग	1253	निर्धारण वर्ष 2007–08	आयकर आयुक्त (अपील)
		2431		

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, धन कर, उत्पाद शुल्क तथा उपकर के संबंध में कोई विवादित सांविधिक देय लम्बित नहीं है।

(x) हमारी राय में, कम्पनी की कोई संचित हानियां नही हैं और हमारी लेखापरीक्षा के वर्ष और उससे ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में कम्पनी को कोई नकद हानि नहीं हुई है।

(xi) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर, हमारी राय है कि कम्पनी ने किसी वित्तीय संस्थान या बैंक या डिबेंचर धारकों को देयों की वापसी अदायगी में चूक नहीं की है।

(xii) हमारी राय में कम्पनी ने जहां गिरवी तथा अन्य प्रतिभूतियों के माध्यम से प्रतिभूति के आधार पर ऋण और अग्रिम मंजूर की है, वहां पर्याप्त दस्तावेजों और रिकॉर्डों का रखरखाव किया जाता है।

(xiii) कम्पनी एक चिट फंड कम्पनी या निधि/परस्पर लाभ निधि/समिति नहीं है। अतः उक्त आदेश के पैरा 4(xiii), प्रथम भाग और द्वितीय भाग; उपखंडों (क) से (घ) के उपबंध कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xiv) कम्पनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों और अन्य निवेशों का कारोबार या व्यापार नही करती है। अतएव उक्त आदेश के पैरा 4 (xiv) के उपबंध कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xv) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी ने बैंक या वित्तीय संस्थानों से अन्य द्वारा लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

(xvi) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार और लेखा परीक्षा की सामान्य प्रक्रिया में हमारे द्वारा जांच की गई बहियों और रिकॉर्डों के आधार पर और हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार, हम सूचित करते हैं कि उगाहे गए सावधि ऋणों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए उन्हें प्राप्त किया गया।

(xvii) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों तथा कम्पनी के तुलन–पत्र की सम्पूर्ण जांच के अनुसार, हम सूचित करते हैं कि अल्पावधि आधार पर जुटाई गई निधियों को कम्पनी ने दीर्घावधि निवेशों के लिए प्रयोग नहीं किया है।

(xviii) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत रखे गए रजिस्टर में शामिल पार्टियों और कम्पनियों को वर्ष के दौरान शेयरों का अधिमान्य आबंटन नहीं किया है।

(xix) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी ने डिबेंचरों के रूप में कर मुक्त बॉण्ड जारी किए हैं जो कम्पनी की परिसंपत्तियों पर ऋणात्मक लियन द्वारा प्रतिभूत हैं। यह ट्रस्टियों से किए गए करार के अनुसार है।

(xx) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी ने वर्ष के दौरान सार्वजनिक निर्गम द्वारा कोई राशि नहीं उगाही है। अतएव, उक्त आदेश के पैरा 4(xx) के उपबंध कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xxi) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान कम्पनी के साथ या कम्पनी द्वारा कोई छल–कपट जानकारी में नहीं आई है और न ही इसे सूचित किया गया है।

एस.सी. वासुदेवा एवं कम्पनी के लिए

सनदी लेखाकार फर्म पंजी. सं. 0000235N

(आर.सी. लूथरा)

स्थान : नई दिल्ली — भागीदार

दिनांक : 23 जुलाई, 2010 — सदस्यता सं. 81052

एस. सी. वासुदेवा एवं कंपनी
सनदी लेखाकार

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षक (रिजर्व बैंक) निदेश, 1998 के अनुसरण में लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

निदेशक मंडल
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था सीमित
नई दिल्ली

हमने 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था सीमित के संलग्न तुलन–पत्र की लेखा परीक्षा की है और हम सूचित करते हैं कि :

1) भारतीय रिर्जव बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–1ए के उपबंधों के अनुसार पंजीकरण के लिए कंपनी के आवेदन के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक ने 23 जनवरी, 2008 को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया है;

2) निदेशक मंडल ने दिनांक 29.4.2009 को परिचालन द्वारा एक संकल्प पारित किया है कि कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के बिना वित्तीय वर्ष 2009–10 के दौरान कोई सार्वजनिक निक्षेप स्वकार नहीं करेगी;

3) कंपनी ने 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के दौरान कोई सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार नहीं किया है;

4) कंपनी ने भारत सरकार द्वारा यथा अनुमोदित आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं आवधिक ऋण देने वाली संस्थाओं पर लागू मानदण्डों के अनुसार अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के संबंध में विवेकपूर्ण मानदण्डों का अनुपालन किया है। कंपनी ने कंपनी (लेखाकरण मानक) नियमावली, 2006 के अनुसार लेखाकरण मानकों का भी अनुपालन किया है।

एस. सी. वासुदेवा एवं कंपनी
सनदी लेखाकार की ओर से
फर्म पंजी. सं. 000235N

(आर. सी. लूथरा)
भागीदार
सदस्यता संख्या 81052

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30.8.2010

इरेडा
IREDA

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

संख्या एमएबी–II/सीएडी–II/15–2/2010–11/250

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग
कार्यालय, प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा,
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–II
नई दिल्ली

दिनांक : 7.9.2010

सेवा में,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था सीमित
3रा तल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाएजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली –110066

विषय : कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अधीन 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था सीमित के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियॉं।

महोदय,

मैं कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अधीन 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था सीमित के लेखों पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित करती हूँ। इन टिप्पणियों को कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाए।

भवदीया,

(नयना अ. कुमार)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड –II

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था सीमित के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था सीमित के वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक उनके संव्यावसायिक निकाय भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षा और आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 23 जुलाई, 2010 के माध्यम से उन्होंने यह कार्य किया है।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की ओर से मैंने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(ख) के अंतर्गत 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था सीमित के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यकारी दस्तावेजों को प्राप्त किए बिना की गई और मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कम्पनी कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ लेखाकरण अभिलेखों के चयनित परीक्षण तक सीमित है। मेरी अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषय को उजागर करना चाहूंगा जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरी दृष्टि में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट को बेहतर ढंग से समझने के लिए आवश्यक हैं।

क) वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियां:

तुलन पत्रः निधियों के स्रोत :

ऋण एवं अग्रिम (अनुसूची एच) :

संदिग्ध एवं अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान : 284.64 करोड़ रुपए।

उपरोक्त में अवमानक, संदिग्ध एवं हानि वाली परिसंपत्तियों के संबंध में प्रावधान के लिए 149.30 करोड़ रुपए शामिल हैं (मानक परिसंपत्तियों के 70 करोड़ रुपए के तदर्थ प्रावधान सहित) जिनको 31 मार्च, 2010 तक वसूला गया था। लेखा नीति के उल्लंघन में अतिरिक्त प्रावधान के प्रतिधारण के परिणामस्वरूप अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधानों का अधिकथन और लाभ का अल्प कथन 149.30 करोड़ रुपए था (चालू वर्ष के लिए 52.20 करोड़ रुपए और पिछले वर्षों के लिए 97.10 करोड़ रुपए)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक
के लिए और की ओर से

(नयना अ. कुमार)
प्रधान निदेशक
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं
पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड –II
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 7.9.2010

तुलन–पत्र

31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार

	अनुसूची	31.03.2010 के अनुसार रुपए	31.03.2009 के अनुसार रुपए
नधियों के स्रोत			
शेयरधारकों की निधियां			
पूंजी	क	**5,396,000,000**	5,200,000,000
आरक्षित निधि एवं अधिशेष	ख	**4,209,611,610**	3,719,291,075
ऋण निधियां			
प्रतिभूत ऋण	ग	**17,080,924,598**	13,305,784,187
अप्रतिभूत ऋण	घ	**10,467,144,300**	9,263,951,166
		37,153,680,508	31,489,026,428
निधियों का अनुप्रयोग			
स्थिर परिसम्पत्तियां	ड.		
सकल ब्लॉक		**580,398,008**	568,705,761
घटा :मूल्यह्रास		**151,503,700**	120,776,848
निवल ब्लॉक		**428,894,308**	447,928,913
चल रहे पूंजीगत कार्य		**2,338,158**	2,338,158
निवेश	च	**1,200,000**	1,200,000
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		**265,533,441**	310,624,441
चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम			
नकद व बैंक शेष	छ	**9,253,489,165**	7,628,366,109
अन्य चालू परिसम्पत्तियां	छ	**48,042,705**	75,119,674
ऋण एवं अग्रिम	ज	**30,223,574,148**	25,455,636,739
		39,525,106,018	33,159,122,522
घटा : चालू देयताएं एवं प्रावधान			
देयताएं	झ	**589,106,153**	619,828,203
प्रावधान	ञ	**2,492,552,296**	1,820,486,857
		3,081,658,449	2,440,315,060
निवल चालू परिसंपत्तियां		**36,443,447,569**	30,718,807,462
विविध व्यय बट्टे खाते न डाले गए या समायोजित न किए गए की सीमा तक		**12,267,032**	8,127,454
		37,153,680,508	31,489,026,428
लेखाकरण नीतियां और लेखाओं पर टिप्पणियां	त		

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
एस.सी. वासुदेवा एवं कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार

आर सी लूथरा
भागीदार,
सदस्यता सं. 81052

एस पी रेड्डी
निदेशक (वित्त)

देबाशीष मजुमदार
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 जुलाई, 2010

एस के भार्गव
कम्पनी सचिव

लाभ–हानि लेखा

31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

	अनुसूची	31.03.2010 के अनुसार रुपए	31.03.2009 के अनुसार रुपए
आय			
प्रचालनों से आय	ट	**3,209,996,239**	2,375,104,990
अन्य आय	ठ	**242,506,519**	375,998,219
		3,452,502,758	2,751,103,209
व्यय			
कार्मिक	ड	**140,126,443**	130,045,894
प्रशासनिक और अन्य	ढ	**36,991,424**	34,229,990
वित्तीय प्रभार	ण	**1,478,224,175**	1,273,834,644
मूल्याह्रास		**31,099,662**	24,102,232
बट्टा खाते डाले गए अशोध्य ऋण		**175,757,198**	429,621,626
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान		**187,574,437**	0
		2,049,773,339	1,891,834,386
वर्ष के लिए लाभ		**1,402,729,419**	859,268,823
अवधि पूर्व समायोजन (निवल)		**7,738,356**	– 253,785
कर पूर्व लाभ		**1,410,467,775**	859,015,038
कराधान के लिए प्रावधान			
आयकर – चालू वर्ष		**447,500,000**	251,500,000
आयकर – पूर्व वर्ष		**191,000,000**	—
आस्थगित कर		**45,091,000**	43,897,000
अनुषंगी अभिलाभ कर		**—**	1,500,000
कर पश्चात लाभ		**726,876,775**	562,118,038
जमा :			
पिछले वर्ष से लाए गए लाभ का शेष		**125,286,106**	97,923,443
विनियोग के लिए उपलब्ध लाभ		**852,162,881**	660,041,481
विनियोजन			
आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष आरक्षित निधि		**295,357,000**	153,136,000
प्रस्तावित लाभांश		**145,400,000**	112,500,000
निगम लाभांश कर		**24,149,123**	19,119,375
सामान्य आरक्षित निधि		**250,000,000**	250,000,000
तुलन–पत्र में अग्रेनीत अधिशेष		**137,256,758**	125,286,106
		852,162,881	660,041,481
प्रति शेयर आय, 1000/– रूपए प्रत्येक का (मूल एवं तनुकृत)		**136.88**	110.30
लेखाकरण नीतियां और लेखाओं पर टिप्पणियां	त		

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
एस.सी. वासुदेवा एवं कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार

आर सी लूथरा
भागीदार, सदस्यता सं. 81052

एस पी रेड्डी
निदेशक (वित्त)

देबाशीष मजुमदार
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक 23 जुलाई, 2010

एस के भार्गव
कम्पनी सचिव

अनुसूचियां

अनुसूची – 'क'
शेयर पूंजी

विवरण	31.03.2010 के अनुसार रूपए	31.03.2009 के अनुसार रूपए
प्राधिकृत 1000 रूपए प्रत्येक के 100,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 100,00,000)	**10,000,000,000**	10,000,000,000
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूर्णतः प्रदत्त 1,000 रूपए प्रत्येक के 53,96,000 (पिछले वर्ष 52,00,000) इक्विटी शेयर	**5,396,000,000**	5,200,000,000

अनुसूची – 'ख'
आरक्षित निधि एवं अधिशेष

विवरण	31.03.2010 के अनुसार रूपए	31.03.2009 के अनुसार रूपए
पूंजीगत आरक्षित निधि :		
(I) निम्नलिखित से सहायता अनुदान :		
नीदरलैंड सरकार	**167,858,986**	167,858,986
विश्व बैंक – जीईएफ परियोजना अनुदान	**793,570,095**	793,570,095
विश्व बैंक – एसडीसी परियोजना अनुदान	**45,914,000**	45,914,000
उपजोड़ (I)	**1,007,343,081**	1,007,343,081
(II) पूंजीगत अनुदान		
क) स्थिर परिसंपत्तियों की खरीद के लिए विश्व बैंक से		
पिछले वर्ष से शेष	**11,987,860**	13,519,396
वर्ष के दौरान प्राप्त	**–**	2,281,879
	11,987,860	15,801,275
घटा : विविध आय में अंतरित	**2,317,407**	3,813,415
	9,670,453	11,987,860
ख) यूएनडीपी पर्वतीय पन बिजली पूंजीगत अनुदान	**124,833,710**	124,833,710
घटा : विविध आय में अंतरित	**64,689,710**	–
घटा : अन्य पूंजीगत अनुदान में अंतरित	**60,144,000**	–
	–	124,833,710
ग) अन्य पूंजीगत अनुदान	**60,144,000**	–
उपजोड़ (II)	**69,814,453**	136,821,570
जोड़ (I)+(II)	**1,077,157,534**	1,144,164,651
विशेष आरक्षित निधि		
(आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत)		
(क) 31.3.97 तक सृजित	**119,573,145**	119,573,145
(ख) 31.3.97 के बाद परिवर्धन	**1,681,683,000**	1,528,547,000
पिछले वर्ष तक शेष	**1,801,256,145**	1,648,120,145
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**295,357,000**	153,136,000
	2,096,613,145	1,801,256,145
एनबीएफसी आरक्षित निधि	**67,933,276**	67,933,276
सामान्य आरक्षित निधि		
पिछले वर्ष के अनुसार शेष	**580,650,897**	330,650,897
जमा: लाभ–हानि लेखा से अंतरित	**250,000,000**	250,000,000
	830,650,897	580,650,897
अधिशेष अर्थात संलग्न लाभ एवं हानि लेखा के अनुसार शेष राशि	**137,256,758**	125,286,106
	4,209,611,610	3,719,291,075

अनुसूची – 'ग'
प्रतिभूत ऋण

विवरण	31.03.2010 के अनुसार रूपए	31.03.2009 के अनुसार रूपए
क) कर मुक्त बॉण्ड (कंपनी की परिसंपत्तियों पर नकारात्मक लियन द्वारा प्रतिभूत)		
6.00% कर मुक्त प्रतिभूत प्रतिदेय ऊर्जा बॉण्ड (श्रृंखला–X-2002–03) 10 वर्षों की समाप्ति अर्थात 17–1–2013 को सममूल्य पर प्रतिदेय रखने/मांगने का विकल्प 7वें वर्ष के बाद उपलब्ध है	**500,000,000**	500,000,000
5.50% कर मुक्त प्रतिभूत प्रतिदेय ऊर्जा बॉण्ड (श्रृंखला–XI-2003–04) 10 वर्षों की समाप्ति अर्थात 22.10.2013 को सममूल्य पर प्रतिदेय रखने/मांगने का विकल्प 7वें वर्ष के बाद उपलब्ध है	**500,000,000**	500,000,000
ख) कर योग्य बॉण्ड (कंपनी की परिसंपत्तियों पर नकारात्मक लियन द्वारा प्रतिभूत)		
डिबेंचर के स्वरूप में 9.60% बॉड **(श्रृंखला–I-2008–09)** 10 वर्षों की समाप्ति अर्थात 24.2.2019 को सममूल्य पर प्रतिदेय	**1,000,000,000**	1,000,000,000
डिबेंचर के स्वरूप में 8.85% बॉड **(श्रृंखला–II-2009–10)** 10 वर्षों की समाप्ति अर्थात 13.1.2020 को सममूल्य पर प्रतिदेय	**1,500,000,000**	-
ग) बैंक से ऋण और अग्रिम **(अमेरीकी डॉलर जमापूंजी, यूरो जमाराशि और** **बही ऋणों पर समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत)** (एक वर्ष में वापसी अदायगी हेतु देय 1,039,129,791/- रूपए) (पिछले वर्ष 1,099,740,892/- रूपए)	**13,580,924,598**	11,305,784,187
	17,080,924,598	13,305,784,187

इरेडा IREDA

अनुसूची – 'घ'
अप्रतिभूत ऋण

विवरण	31.03.2010 के अनुसार रूपए	31.03.2009 के अनुसार रूपए
अन्य ऋण एवं अग्रिम		
क. बैंकों से		
(i) नॉरडिक इंवेस्टमेंट बैंक (एक वर्ष के भीतर वापसी अदायगी हेतु देय राशि शून्य रुपए) (विगत वर्ष शून्य रुए)	**1,140,707,120**	–
(भारत सरकार द्वारा गारंटीशुदा ऋण)		
निम्नलिखित से		
(ii) एशियाई विकास बैंक (एडीबी) (एक वर्ष के अंदर वापसी अदायगी हेतु देय 76,968,214 रूपए) (पिछले वर्ष 69,845,122 रूपए)	**1,555,190,105**	1,834,193,339
(iii) केएफडब्ल्यू (एक वर्ष के अंदर वापसी अदायगी हेतु देय 71,031,041 रूपए) (पिछले वर्ष 273,744,298 रूपए)	**2,131,953,022**	2,728,830,297
(iv) केएफडब्ल्यू – II (एक वर्ष के अंदर वापसी अदायगी हेतु देय शून्य रूपए) (पिछले वर्ष शून्य रूपए)	**1,325,582,125**	–
(v) अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी) (एक वर्ष के अंदर वापसी अदायगी हेतु देय 134,625,536 रूपए) (पिछले वर्ष 131,498,472 रूपए)	**1,895,211,928**	2,282,427,530
ख. अन्य से		
(i) भारत सरकार		
निम्नलिखित के प्रति		
अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था (आईडीए) – द्वितीय अक्षय ऊर्जा परियोजना (एक वर्ष के अंदर वापसी अदायगी हेतु देय 28,212,500 रूपए (पिछले वर्ष शून्य रूपए)	**2,418,500,000**	2,418,500,000
	10,467,144,300	9,263,951,166

अनुसूची – 'ङ'
स्थिर परिसम्पत्तियां

(राशि रूपए में)

विवरण	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास					निवल ब्लॉक	
	1.4.2009 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31.3.2010 के अनुसार	1.4.2009 तक	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31.03.2010 तक	31.3.2010 के अनुसार	31.3.2009 के अनुसार
मूर्त परिसम्पत्तियां*												
भवन–आवासीय पट्टे पर	4,143,149	-	-	-	4,143,149	2,200,689	97,123	-	-	2,297,812	1,845,337	1,942,460
भवन–कार्यालय												
पट्टे पर –आईएचसी	26,410,058	-	-	-	26,410,058	13,780,282	631,488	-	-	14,411,770	11,998,288	12,629,776
पट्टे पर –एकेबी	417,752,023	-	-	5,005,798	422,757,821	38,390,378	19,217,927	-	8,914	57,617,219	365,140,602	379,361,645
कार्यालय उपस्कर	32,352,817	633,481	258,315	1,561,972	34,289,955	8,629,109	3,611,818	217,731	7,733	12,030,929	22,259,026	23,723,708
कम्प्यूटर	49,256,641	1,701,258	-	-	50,957,899	42,270,640	2,560,931	-	-	44,831,571	6,126,328	6,986,001
पुस्तकालय	1,689,392	103,472	-	-	1,792,864	1,689,392	103,472	-	-	1,792,864	-	-
फर्नीचर और जुड़नार	28,542,534	206,600	187,209	754,978	29,316,903	7,979,104	3,873,790	153,504	(15,289)	11,684,101	17,632,802	20,563,430
वाहन	2,603,901	-	1,575	-	2,602,326	689,367	495,672	1,575	-	1,183,464	1,418,862	1,914,533
योग क	**562,750,515**	**2,644,811**	**447,099**	**7,322,748**	**572,270,975**	**115,628,961**	**30,592,221**	**372,810**	**1,358**	**145,849,730**	**426,421,245**	**447,121,553**
गत वर्ष	480,943,282	82,814,801	1,007,568	-	562,750,515	92,821,101	23,635,872	939,523	111,512	115,628,961	447,121,553	-
अमूर्त परिसम्पत्तियां**												
साफ्टवेयर	5,955,246	1,790,443	-	381,344	8,127,033	5,147,887	503,367	-	2,716	5,653,970	2,473,063	807,359
योग ख	5,955,246	1,790,443	-	381,344	8,127,033	5,147,887	503,367	-	2,716	5,653,970	2,473,063	807,359
गत वर्ष	5,950,026	5,220	-	-	5,955,246	4,681,527	466,360	-	-	5,147,887	807,359	-
कुल क + ख	568,705,761	4,435,254	447,099	7,704,092	580,398,008	120,776,848	31,095,588	372,810	4,074	151,503,700	428,894,308	447,928,913
गत वर्ष	486,893,308	82,820,021	1,007,568	-	568,705,761	97,502,628	24,102,232	939,523	111,512	120,776,848	447,928,913	-
चल रहे पूंजीगत कार्य												
संस्थापनाधीन साफ्टवेयर	2,338,158	-	-	-	2,338,158	-	-	-	-	-	2,338,158	2,338,158
योग ग	2,338,158	-	-	-	2,338,158	-	-	-	-	-	2,338,158	2,338,158
गत वर्ष	2,261,620	81,352,796	-	(81,276,258)	2,338,158	-	-	-	-	-	2,338,158	-
योग क + ख + ग	**571,043,919**	**4,435,254**	**447,099**	**7,704,092**	**582,736,166**	**120,776,848**	**31,095,588**	**372,810**	**4,074**	**151,503,700**	**431,232,466**	**450,267,071**
गत वर्ष	489,154,928	164,172,817	1,007,568	(81,276,258)	571,043,919	97,502,628	24,102,232	939,523	111,512	120,776,848	450,267,071	-

* इनमें विश्व बैंक के अनुदान से खरीदी गई 5,10,41,676 रू. की परिसंपत्तियाँ शामिल हैं
(कम्प्यूटर 4,25,81,095 रू., फर्नीचर एवं जुड़नार 32,03,668 रू. एवं कार्यालय उपस्कर 52,56,913 रू.)
** इनमें विश्व बैंक के अनुदान से खरीदी गई 50,91,501 रू. की परिसंपत्तियाँ शामिल हैं।

अनुसूचि – 'च'
निवेश

विवरण	31.03.2010 के अनुसार रूपए	31.03.2009 के अनुसार रूपए
शेयरों में दीर्घावधि निवेश (गैर–उद्धृत) (व्यापार से भिन्न) (लागत पर)		
10/–रूपए प्रत्येक के 1,68,000 इक्विटी शेयर, जिनमें बोनस शेयरों के रूप में आंबटित 48,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष– एमपी विंड फार्म लि. में पूर्णतः प्रदत्त 1,68,000) सम्मिलित है	**1,200,000**	1,200,000
	1,200,000	1,200,000

अनुसूची – 'छ'
चालू परिसम्पत्तियां

विवरण	31.03.2010 के अनुसार रूपए	31.03.2009 के अनुसार रूपए
1. नकदी और बैंक शेष		
डाक–व्यय अग्रदाय	**61,038**	87,406
अनुसूचित बैंकों के यहां बैंक शेष		
क) चालू खातों में		
–इरेडा	**132,247,462**	638,793,795
–एमएनआरई	**1,519,169**	1,246,566
–यूएनडीपी	**6,176,800**	6,177,100
–राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड	**370,892**	358,244
ख) जमा खातों में		
क) आईएनआर–अल्पावधि जमाराशि		
–इरेडा	**3,390,521,960**	–
–डीआरटी लियन रहित खाता	**16,046,459**	15,474,637
ख) विदेशी मुद्रा जमाराशि		
–डॉलर जमाराशि	**3,456,984,427**	4,119,468,209
–यूरो जमाराशि	**2,216,672,448**	2,798,050,835
ग) वसूली के अधीन चेक/उपलब्ध डिमांड ड्राफ्ट(डीडी)	**32,888,510**	48,709,317
	9,253,489,165	7,628,366,109
अन्य चालू परिसम्पत्तियां		
2. प्रोद्भूत ब्याज परन्तु ऋणों और जमाराशियों पर देय नहीं		
–ऋणों पर	**34,585,391**	30,487,084
–बैंकों के यहाँ जमाराशियों पर	**13,457,314**	44,632,590
	48,042,705	75,119,674
	9,301,531,870	7,703,485,783

अनुसूची – 'ज'
ऋण एवं अग्रिम

विवरण	31.03.2010 के अनुसार रूपए	31.03.2009 के अनुसार रूपए
क. इरेडा के संघटकों को सावधि ऋण	**30,338,690,098**	25,815,285,640
ऋणों पर प्रोद्भूत और देय ब्याज	**210,308,314**	165,311,801
कर्मचारियों को ऋण	**17,449,529**	19,175,991
उप–जोड़ – I	**30,566,447,941**	25,999,773,432
ख. अग्रिम (अप्रतिभूत, शोध्य माने गए)		
नकदी में या वस्तु में या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य में वसूली योग्य अग्रिम		
प्रतिभूति जमाराशियाँ	**914,675**	941,390
कर्मचारी अग्रिम (ब्याज रहित)	**2,706,607**	1,400,905
अग्रिम कर व अन्य वसूली योग्य कर	**2,402,076,909**	1,970,320,909
अन्य	**8,280,084**	10,375,199
उप–जोड़ – II	**2,413,978,275**	1,983,038,403
जोड़ III=(I+II)	**32,980,426,216**	27,982,811,835
घटा : अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान*	**2,846,400,455**	2,658,826,018
इरेडा को कुल ऋण और अग्रिम**	**30,134,025,761**	25,323,985,817
एमएनआरई के संघटकों को ऋण	**28,052,987**	60,448,720
एमएनआरई ऋणों पर प्रोद्भूत और देय ब्याज	**61,495,400**	71,202,202
एमएनआरई के संघटकों को कुल ऋण एवं अग्रिम	**89,548,387**	131,650,922
इरेडा एवं एमएनआरई के संघटकों को कुल ऋण	**30,223,574,148**	25,455,636,739
ऋण एवं अग्रिमों का ब्यौरा :		
इरेडा		
– शोध्य समझे जाने वाले ऋण, जिनके संबंध में कम्पनी पूरी तरह सुरक्षित है	**27,453,748,195**	22,191,169,305
– शोध्य समझे जाने वाले ऋण, जिनके संबंध में कम्पनी के पास उधार प्राप्तकर्ता की निजी प्रतिभूति के अलावा कोई अन्य प्रतिभूति नही है**	**1,342,928,777**	1,109,897,733
–अन्य	**2,413,978,275**	1,983,038,403
–संदिग्ध माने गए	**1,769,770,969**	2,698,706,394
	32,980,426,216	27,982,811,835
घटा : अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान (केवल इरेडा)	**2,846,400,455**	2,658,826,018
	30,134,025,761	25,323,985,817
एमएनआरई		
– शोध्य समझे जाने वाले ऋण, जिनके संबंध में कम्पनी पूरी रह सुरक्षित है	**-**	3,390,849
– शोध्य समझे जाने वाले ऋण, जिनके संबंध में कम्पनी के पास उधार प्राप्तकर्ता की निजी प्रतिभूति के अलावा कोई अन्य प्रतिभूति नहीं है	**-**	-
–संदिग्ध माने गए	**89,548,387**	128,260,073
	89,548,387	131,650,922
कुल जोड	**30,223,574,148**	25,455,636,739
– कम्पनी के निदेशकों से बकाया	**156,335**	147,866
– कम्पनी के अन्य अधिकारियों से बकाया @	**1,190,174**	1,377,220
– कम्पनी के निदेशकों से वर्ष के दौरान किसी भी समय बकाया अधिकतम राशि	**1,026,175**	663,511
– कम्पनी के अधिकारियों से वर्ष के दौरान किसी भी समय बकाया अधिकतम राशि@	**1,380,384**	1,541,035

* इसमें 700,000,000 की तदर्थ प्रावधान शामिल है (गत वर्ष 700,000,000 रू.

** इसमें 520,819,524 रू. (पिछले वर्ष 418,303,776 रू.) का निधिबद्ध ब्याज शामिल है।

@ आंकड़े कंपनी के अधिकारियों अर्थात कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार सचिव के संबंध में है ।

इरेडा IREDA

अनुसूची – 'झ'
चालू देयताएं

विवरण	31.03.2010 के अनुसार रूपए	31.03.2009 के अनुसार रूपए
विविध लेनदार	**-**	-
(क) माइक्रो और लघु उद्यमों के कुल बकाया देय	**66,002,178**	76,733,492
(ख) माइक्रो और लघु उद्यमों को छोड़कर क्रेडिटर्स के कुल बकाया देय	**1,292,139**	881,482
देय भविष्य निधि	**129,181,981**	258,472,963
एनएनआरई कार्यक्रम निधियां	**2,790,181**	2,790,182
एनएनआरई सह–उत्पादन विशिष्ट अनुदान	**370,892**	358,244
राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड	**6,176,800**	6,177,100
यूएनडीपी कार्यक्रम निधियां	**210,590,093**	191,973,048
प्रोद्भूत ब्याज किन्तु देय नहीं	**63,323,219**	-
अस्थायी ओवरड्राफ्ट के रूप में बैंक को देय	**109,378,670**	82,441,692
अन्य देयताएं		
	589,106,153	619,828,203

अनुसूची – 'ञ'
प्रावधान

विवरण	31.03.2010 के अनुसार रूपए	31.03.2009 के अनुसार रूपए
मानक परिसम्पत्तियां	**69,768,575**	69,768,575
आय कर	**2,151,500,000**	1,513,000,000
अनुषंगी लाभ कर	**5,505,815**	5,505,815
प्रस्तावित लाभ कर	**145,400,000**	112,500,000
कॉरपोरेट लाभांश कर	**24,149,123**	19,119,375
अवकाश नकदीकरण	**10,265,477**	9,096,735
उपदान	**15,394,612**	10,485,512
सेवानिवृति उपरांत चिकित्सा	**6,182,547**	4,947,865
सामान भत्ता	**311,917**	222,718
अस्वस्थता अवकाश	**9,446,298**	9,362,674
अवकाश यात्रा रियायत	**2,467,331**	2,273,770
वेतन संशोधन के बाद बकाया राशि	**22,570,000**	34,800,000
अन्य प्रावधान	**29,590,601**	29,403,818
	2,492,552,296	1,820,486,857

अनुसूची – 'ट'
प्रचालनों से आय

विवरण	31.3.2010 को समाप्त वर्ष के लिए रूपए	31.3.2009 को समाप्त वर्ष के लिए रूपए
ऋणों पर ब्याज	**3,062,296,026**	2,138,776,829
घटा : शीघ्र भुगतान पर छूट	**7,101,467**	13,000,542
	3,055,194,559	2,125,776,287
ऋण संबंधी प्रारंभिक शुल्क (फ्रंट–एंड–फी)	**73,895,659**	141,772,992
घटा : सेवा कर	**6,905,405**	21,709,848
	66,990,254	120,063,144
आवेदन शुल्क	**3,380,860**	3,793,975
धटा : सेवा कर	**319,018**	464,995
	3,061,842	3,328,980
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋणों से वसूली	**78,001,207**	121,867,340
एमएनआरई सेवा प्रभार	**7,443,460**	5,032,604
घटा : सेवा कर	**695,083**	963,365
	6,748,377	4,069,239
	3,209,996,239	2,375,104,990

अनुसूची – 'ठ'
अन्य आय

विवरण	31.3.2010 को समाप्त वर्ष के लिए रूपए	31.3.2009 को समाप्त वर्ष के लिए रूपए
बैकों में जमा राशियों पर ब्याज		
– अल्पावधि जमाराशि पर	**32,817,176**	95,216,871
– अमेरीकी डॉलर जमाराशि पर	**49,203,897**	128,822,885
– यूरो जमाराशि पर	**47,705,828**	135,609,005
– जीईएफ –II	**–**	597,906
	129,726,901	360,246,667
अन्य ब्याज		
– कर्मचारी ऋण पर	**1,447,116**	1,098,117
सेवा प्रभार – यूएनडीपी कार्यक्रम निधि	**762,322**	270,219
घटा : सेवा कर	**71,187**	–
	691,135	270,219
सेवा प्रभार – निवेश संवर्धन घटक	**567,017**	–
घटा : सेवा कर	**52,949**	–
	514,068	–
सेवा प्रभार – उत्पादन आधारित प्रोत्साहन	**53,856**	–
घटा : सेवा कर	**5,029**	–
	48,827	–
प्रमुख संस्थान शुल्क	**94,254**	–
घटा : सेवा कर	**8,801**	–
	85,453	–
दीर्घकालिक निवेश से लाभांश (व्यापार से भिन्न)	**126,000**	84,000
परामर्श शुल्क	**–**	1,295,250
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	**–**	122,923
निवेश पूनः अंकित	**–**	1,199,999
ब्याज दर स्वैप (आई आर एस)	**20,496,481**	–
मुद्रा में अंतर	**–**	6,703,124
अनुरक्षण शुल्क की वापसी (केएफडब्ल्यू)	**7,826,350**	–
शुल्क आधारित कार्यकलाप से आय	**2,510,326**	–
विविध आय		
– पूंजीगत अनुदान से अंतरित	**2,317,407**	3,813,415
– यूएनडीपी पर्वतीय जल विद्युत पूंजीगत अनुदान से अंतरित	**64,689,710**	–
– अन्य	**12,026,745**	1,164,505
	242,506,519	375,998,219

अनुसूची – 'ड'
कार्मिक व्यय

विवरण	31.3.2010 को समाप्त वर्ष के लिए रूपए	31.3.2009 को समाप्त वर्ष के लिए रूपए
वेतन, मजदूरी और अन्य सुविधाएं	**96,219,642**	95,284,128
भविष्य निधि में अंशदान	**5,682,033**	4,135,315
भविष्य निधि निरीक्षण प्रभार	**108,201**	62,424
हितकारी निधि में अंशदान	**63,200**	60,130
उपदान निधि में अंशदान	**6,969,657**	6,754,861
कर्मचारी कल्याण	**29,910,130**	22,943,629
मानव संसाधन विकास	**767,590**	799,425
भर्ती	**405,990**	5,982
	140,126,443	130,045,894

अनुसूची – 'ढ'
प्रशासनिक व्यय

विवरण	**31.3.2010 को समाप्त वर्ष के लिए** रूपए	31.3.2009 को समाप्त वर्ष के लिए रूपए
व्यवसाय संवर्द्धन	**1,962,929**	1,947,476
यात्रा और वाहन	**6,053,988**	6,037,000
बिजली और जल प्रभार	**4,318,842**	1,027,194
सूचना और प्रचार–प्रसार	**978,759**	1,086,715
बीमा	**223,003**	396,697
कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	**5,467,112**	4,467,503
समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं	**586,315**	557,928
कार्यालय रखरखाव	**2,771,408**	3,183,739
कार्यालय किराया	**1,528,440**	6,871,295
बट्टे खाते डाले गए अग्रिम	**–**	320,000
डाक, तार एवं दूरभाष	**1,977,462**	1,678,616
मुद्रण और लेखन सामग्री	**2,262,692**	1,578,208
दरें और कर	**3,429,400**	1,611,368
निदेशक बैठक शुल्क	**205,000**	143,000
परिसम्पत्तियों की बिक्री पर हानि	**41,577**	–
मरम्मत और रखरखाव– अन्य	**2,059,342**	2,062,594
फाइलिंग शुल्क	**5,050**	2,650
विविध व्यय	**3,120,105**	1,258,007
	36,991,424	34,229,990

इरेडा IREDA

अनुसूची – 'ण'
वित्तीय प्रभार

विवरण	31.3.2010 को समाप्त वर्ष के लिए रूपए	31.3.2009 को समाप्त वर्ष के लिए रूपए
<u>वित्तिय प्रभार</u>		
उधारों पर ब्याज		
–बॉण्डों पर	**181,868,494**	87,066,515
–ऋणों पर	**1,200,178,275**	962,734,599
	1,382,046,769	1,049,801,114
अन्य वित्तीय प्रभार		
बट्टे खाते डाले गए विविध व्यय	**1,424,476**	803,275
बॉण्ड न्यासधारिता शुल्क	**115,548**	122,768
बैंक प्रभार	**24,092**	65,259
प्रतिबद्धता शुल्क		
– अंतर्राष्ट्रीय पुनर्संरचना एवं विकास बैंक (आईबीआरडी)	**–**	11,560
– केएफडब्ल्यू – II	**7,129,621**	492,042
– नॉर्डिक इनवेस्टमेंट बैंक (एनआईबी)	**1,630,056**	–
भारत सरकार गारंटी शुल्क		
– एशियाई विकास बैंक (एडीबी)	**9,648,964**	11,098,121
– केएफडब्ल्यू	**30,733,802**	31,796,256
– केएफडब्ल्यू –II	**4,068,803**	9,561,205
– आईबीआरडी	**23,660,977**	27,650,335
	78,436,339	81,600,821
फ्रंट एंड फी –एनआईबी	**4,099,375**	–
ब्याज दर स्वैप (आईआरएस)	**–**	46,532,259
ईआरएएफ में अंशदान	**–**	87,849,100
प्रबंधन शुल्क (केएफडब्ल्यू)	**–**	7,826,350
मुद्रा में अंतर	**9,958,984**	–
क्रेडिट रेटिंग व्यय	**3,496,583**	225,000
अन्य	**186,125**	–
	1,478,224,175	1,273,834,644

अनुसूची – 'त'

लेखाकरण नीतियां और लेखाओं पर टिप्पणियां

क. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

(1) सामान्य

वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3ग) में संदर्भित लेखाकरण मानकों और उक्त अधिनियम के अन्य संगत उपबंधों के अनुसार पूर्व लागत प्रणाली के अंतर्गत लेखाकरण के प्रोद्भवन आधार पर तैयार किए जाते हैं।

(2) राजस्व एवं व्यय मान्यता

(i) गैर–निष्पादन परिसंपत्तियों पर आय के अलावा आय एवं व्यय का हिसाब प्रोद्भवन आधार पर रखा जाता है जहां मूलधन का ब्याज और/या ऋण की किस्तें तुलन पत्र की तारीख को दो तिमाहियों से अधिक समय से देय रहते हैं। उक्त आय को वास्तविक रूप में उगाही होने के बाद मान्यता दी जाती है।

(ii) ऋण/बॉण्ड निर्गम व्यय जैसे ऋण संबंधी प्रारंभिक शुल्क (फ्रंट–एंड–फी)/व्यवस्थापक का शुल्क, स्टैम्प शुल्क इत्यादि का ऋण/बॉण्ड की अवधि के दौरान बट्टे खाते डाल दिया जाता है।

(iii) 5000/– रूपए प्रतिमद तक के पूर्व अदायगी खर्चों और अवधि पूर्व व्यय/आय को तभी प्रभारित किया जाता है जब इसे व्यय/समायोजित/प्राप्त किया जाता है।

(3) विदेशी मुद्रा लेन–देन

विदेशी मुद्रा के लेन–देनों को लेन–देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है। मुद्रा संबंधी परिसंपत्तियों और देयताओं को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर पुनःबताया जाता है। वर्ष के अंत में दर और लेन–देन की तारीख को विनिमय दर में अंतर को लाभ–हानि लेखे में आय या व्यय माना जाता है और कंपनी (लेखाकरण मानक) नियमावली, 2006 के अंतर्गत जारी विदेशी मुद्रा विनिमय दरों (वर्ष 2003 में संशोधित) में परिवर्तन के प्रभाव पर लेखाकरण मानक (एएस)–11 के अनुसार इसका लेखाकरण किया जाता है।

(4) स्थिर परिसंपत्तियां

स्थिर परिसंपत्तियों को पूर्व लागत से संचित मूल्यह्रास घटाकर दिखाया जाता है।

(5) अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियों को तब मान्यता दी जाती है जब यह संभावना हो कि परिसंपत्तियों से संलग्न भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को मिलेगा और परिसंपत्तियों की लागत का उचित आकलन किया जा सकता है। ऐसी परिसंपत्तियों को लागत से संचित परिशोधन को घटाकर दिखाया जाता है।

(6) मूल्यह्रास/परिशोधन

i. पुस्तकालय की किताबों के अतिरिक्त स्थिर परिसंपत्तियों (पट्टे वाली संपत्तियों सहित) पर मूल्यह्रास, कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची xiv में निर्धारित दरों तथा तरीके से ह्रासित मूल्य पद्धति पर लगाया जाता है।

ii. पुस्तकालय की किताबों पर खरीद के वर्ष में 100 प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास लगाया जाता है।

iii. अमूर्त परिसंपत्तियों का उनकी अनुमानित उपयोग अवधि पर परिशोधन किया जाता है। अनुमानित उपयोग अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होती है।

(7) बीमा दावे

बीमा दावों का, बीमाकर्ता द्वारा स्वीकार किए जाने पर लेखाकरण किया जाता है।

(8) निवेश

दीर्घावधि निवेशों का मूल्यन लागत आधार पर किया जाता है। ऐसे निवेशों के मूल्य में कमी का प्रावधान निवेशों के मूल्य में अस्थाई के अतिरिक्त कोई कमी को मान्य बनाने के लिए किया जाता है।

(9) **आय मान्यता, परिसंपत्ति–वर्गीकरण और ऋण के संबंध में प्रावधान करना**

इरेडा एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो भारतीय रिर्जव बैंक के पास पंजीकृत है और संगम ज्ञापन के संदर्भ में इरेडा के निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसार आय मान्यता परिसम्पत्ति वर्गीकरण और प्रावधानों करने के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का पालन करती है और वित्तीय सस्थानों से सम्बन्धित आरबीआई दिशा निर्देशों के अनुसार और एनबीएफसी के लिए अन्य अपेक्षाओं, समय–समय पर संशोधित, प्रकटन अपेक्षाओं का पालन करती है।

(10) ऋण

दृष्टिबंधन, अंग्रेजी गिरवी, साम्यिक गिरवी और संयुक्त साम्यिक गिरवी के माध्यम से प्रतिभूत ऋणों जैसा भी मामला हो, पूर्णतः प्रतिभूत के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं।

(11) अनुदान

(i) पात्र स्थिर परिसंपत्तियों के अर्जन के लिए अनुदानों का पूंजीगत अनुदानों के रूप में लेखाकरण किया जाता है। ऐसा अनुदान उन अवधियों और उन अनुपातों में आय के रूप में आबंटित किया जाता है जिससे इन परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है।

(ii) ऊर्जा के नवीन व अक्षय स्रोतों (एनआरएसई) के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में वित्तपोषण परियोजनाओं के लिए सहायता–अनुदान पूंजीगत आरक्षित निधि/अनुदान माना जाता है और इसका इसी रूप में लेखाकरण किया जाता है।

(iii तकनीकी सहायता कार्यक्रम (टीएपी) के अंतर्गत किए गए खर्च को वसूली योग्य के रूप में लेखाकरण किया जाता है और चालू परिसंपत्तियों के शीर्ष में दर्शाया जाता है। विश्व बैंक द्वारा प्रतिपूर्ति की गई सहायता को उक्त खाते में क्रेडिट किया जाता है।

(12) **कर्मचारी के फायदे**

(क) अल्पकालिक फायदे

अल्पकालिक कर्मचारी फायदे को उस वर्ष के लाभ एवं हानि लेखा में बिना किसी छूट के आधार पर व्यय माना जाना है जिस वर्ष में संबंधित सेवा प्रदान की जाती है।

(ख) नियोजन उपरान्त फायदे

(i) परिभाषित अंशदान योजनाएँ

(क) कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों के अनुसार भविष्य निधि में अंशदान किया जाता है और इसे व्यय माना जाता है जो लाभ एवं हानि लेखा पर प्रभारित होता है।

(ख)हितकारी निधि में अंशदान, इरेडा कर्मचारी हितकारी निधि स्कीम के अनुसार किया जाता है और इसे व्यय माना जाता है जो लाभ एवं हानि लेखा पर प्रभारित होता है।

(ii) परिभाषित फायदे योजनाएँ

(क) उपदान (ग्रेच्यूटी)

कर्मचारी उपदान निधि स्कीम का वित्तपोषण इरेडा द्वारा और प्रबंधन जीवन बीमा निगम द्वारा एक पृथक ट्रस्ट के जरिए किया जाता है। उपदान के अंतर्गत इरेडा के दायित्वों को वर्तमान मूल्य का आकलन वर्ष के अन्त की स्थिति के अनुसार बीमांकिकीय मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है और निवल आधार पर दायित्व मानने के लिए योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को कुल दायित्वों से घटा दिया जाता है।

(ख) अन्य दीर्घकालिक फायदे

अन्य दीर्घकालिक फायदे अर्थात अवकाश नकदीकरण, अस्वस्थता अवकाश, सेवा निवृति उपरान्त चिकित्सा फायदा एवं अवकाश यात्रा रियायत का आकलन वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार बीमांकिकीय मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

(13) परिसंपत्तियों की हानि

प्रत्येक तुलन–पत्र की तिथि को, कंपनी यह निर्धारण करने के लिए अपनी परिसंपत्तियों की वहन राशियों की समीक्षा करती है कि क्या कोई ऐसा संकेत है कि उन परिसंपत्तियों में हानि हुई है । यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है तो हानि की मात्रा, अर्थात परिसंपत्ति की वहन राशि जितनी उसके वसूली योग्य राशि से अधिक होती है, का निर्धारण करने के लिए अनुमान लगाया जाता है, और इसका प्रावधान लेखा बहियों में किया जाता है।

(14) प्रावधान और आकस्मिक देयताएं

(i) अनुमान की वास्तविक मात्रा का उपयोग करते हुए गणना योग्य देयताओं हेतु प्रावधानों को मान्यता दी जाती है, यदि :–

(क) कंपनी का वर्तमान दायित्व पूर्व घटना के परिणामस्वरूप हो;

(ख) आर्थिक लाभों को साकार करने वाले संसाधनों के संभावित बहिर्प्रवाह से दायित्व के भुगतान की आशा हो;

(ग) दायित्व की राशि का विश्वसनीयता से अनुमान हो सकता हो;

(ii) आकस्मिक देयता का प्रकटन निम्न स्थितियों में किया जाता है:–

(क) पूर्व घटना से उत्पन्न वर्तमान दायित्व जब यह संभाव्य न हो कि आर्थिक लाभों को साकार करने वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह दायित्व के भुगतान के लिए अपेक्षित होगा या;

(ख) संभावित दायित्व, यदि भुगतान में बहिर्प्रवाह की सम्भाव्यता न्यून न हो;

(iii) प्रावधान के समाधान के लिए अपेक्षित व्यय के संबंध में प्रत्याशित प्रतिपूर्ति को तभी मान्य समझा जाता है जब यह वास्तव में निश्चित हो कि प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी।

ख. लेखाओं पर टिप्पणियां

(1) प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसंपत्तियों पर कंपनी (लेखाकरण मानक) नियमावली, 2006 के अंतर्गत जारी लेखाकरण मानक (एएस)–29 के अनुसार 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं का विवरण निम्न प्रकार है :–

क) प्रावधानों का विवरण

(राशि रूपए में)

क्रम सं.	देयताओं की प्रकृति जिसके लिए प्रावधान किया गया	वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक शेष	वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए परिवर्धन	वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई और प्रावधान के प्रति प्रभारित राशि	वित्तीय वर्ष के समापन पर अंतिम शेष
1	मानक परिसंपत्तिया	6,97,68,575 (76,97,68,575)	0 (0)	0 (70,00,00,000)	6,97,68,575 (69,768,575)
2	आयकर	1,51,30,00,000 (1,26,15,00,000)	63,85,00,000 (25,15,00,000)	0 (0)	2,15,15,00,000 (1,51,30,00,000)
3	अनुषंगी फायदा कर	55,05,815 (40,05,815)	0 (15,00,000)	0 (0)	55,05,815 (55,05,815)
4	प्रस्तावित लाभांश	11,25,00,000 (9,60,00,000)	14,54,00,000 (11,25,00,000)	11,25,00,000 (9,60,00,000)	14,54,00,000 (11,25,00,000)
5	लाभांश कर	1,91,19,375 (1,63,15,200)	2,41,49,123 (1,91,19,375)	1,91,19,375 (1,63,15,200)	2,41,49,123 (1,91,19,375)
6	अवकाश नकदीकरण	90,96,735 (51,71,189)	27,60,834 (52,31,754)	15,92,092 (13,06,208)	1,02,65,477 (90,96,735)
7	उपदान	1,04,85,512 (54,22,277)	49,09,100 (50,63,235)	0 (0)	1,53,94,612 (1,04,85,512)
8	सेवानिवृति उपरांत चिकित्सा लाभ	49,47,865 (44,28,986)	13,71,224 (6,07,803)	1,36,542 (88,924)	61,82,547 (49,47,865)
9	अस्वस्थता अवकाश	93,62,674 (57,86,604)	83,624 (35,76,070)	0 (0)	94,46,298 (93,62,674)
10	अवकाश यात्रा रियायत	22,73,770 (19,94,760)	1,93,561 (2,79,010)	0 (0)	24,67,331 (22,73,770)
11	बैगेज भत्ता	2,22,718 (0)	89,199 (2,22,718)	0 (0)	3,11,917 (2,22,718)
12	वेतन संशोधन बकाया	3,48,00,000 (63,00,000)	1,68,26,000 (2,85,00,000)	2,90,56,000 (0)	2,25,70,000 (3,48,00,000)
13	अन्य प्रावधान	2,94,03,818 (1,45,39,444)	4,97,57,789 (5,32,64,551)	4,95,71,006 (3,84,00,177)	2,95,90,601 (2,94,03,818)
	योग	1,82,04,86,857 (2,19,12,32,850)	88,40,40,454 (48,13,64,516)	21,19,75,015 (85,21,10,509)	2,49,25,52,296 (1,82,04,86,857)

पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक में दिखाए गए हैं।

ख) **पूंजीगत प्रतिबद्धता**

पूंजीगत लेखे पर निष्पादित किए जाने वाले संविदा का अनुमानित मूल्य जिसका प्रावधान नहीं किया गया 26.17 लाख रूपए (पिछले वर्ष 21.70 लाख रूपए)

ग) **आकस्मिक देयताएं जिनका प्रावधान नहीं किया गया :–**

निर्धारण वर्ष 2003–04, 2004–05, 2005–06, 2006–07 और 2007–08 के लिए आयकर मांग कुल 53.23 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 40.70 करोड़ रूपए) बकाया है।

कंपनी ने संबंधित निर्धारण वर्षों के लिए आयकर विभाग के आदेशों के विरूद्ध अपील दायर की है और निर्धारण वर्ष 1998–99 से वर्ष 2002–03 के लिए ऐसे मुद्दों पर माननीय आईटीएटी के निर्णय और विवादित आयकर/आयकर प्राधिकारियों द्वारा उठाई गई ब्याज संबंधी मांगों के लिए प्रावधान जिसके संबंध में अपील उच्चतर प्राधिकारियों के पास दायर है, पर इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट ऑफ इन्डिया की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय के आधार पर 3 वर्ष के दौरान उक्त मांगों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है।

(2) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरआइ) कार्यक्रम निधियां :

(क) कंपनी अपने कार्यों के अलावा गैर–परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की ओर से उसके साथ किए गए समझौता–ज्ञापन के आधार पर कार्यक्रमों को लागू करती है। प्रत्येक समझौता–ज्ञापन के अनुबंधों के अनुसार एमएनआरई ने कार्यक्रम लागू करने के लिए प्रत्येक कार्यक्रम के संबंध में एक स्वीकृत राशि रखी है। एमएनआरई ऋणों पर ब्याज का देय आधार पर लेखाकरण किया जाता है। एमएनआरई कार्यक्रम ऋणों द्वारा आय इरेडा की आय नहीं है और ऋण परिसंपत्तियां भी एमएनआरई की हैं, इसलिए इसे परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान उद्देश्य के लिए माना नहीं गया है। संबंधित कार्यक्रमों के समापन के बाद इरेडा को, एमएनआरई को देय धनराशि (उस पर प्रोद्भूत ब्याज सहित) समझौता–ज्ञापन में निर्दिष्ट सेवा प्रभारों, अवसूलीय चूकों और अन्य बकायों को घटाने के बाद उसे अन्तरित करनी होती है। वर्ष के अंत में उपर्युक्त के कारण एमएनआरई को देय धनराशि, राष्ट्रीयकृत बैंकों के यहाँ एक अलग बैंक खाते में अल्पावधि जमाराशि के रूप में रखी गई, अप्रयुक्त निधियों पर ब्याज के साथ तुलन–पत्र में चालू देयताओं के रूप में दिखाई गई है।

(ख) एमएनआरई ने पर्वतीय क्षेत्रों में लघु पन बिजली परियोजना के विकास के लिए 1.40 मिलियन अमेरीकी डॉलर के आरंभिक अंशदान के साथ यूएनडीपी–जीईएफ स्रोतों में से एक परिक्रामी निधि स्थापित की है। इरेडा का आरंभिक अंशदान एक पूंजीगत अनुदान माना गया है और प्रोद्भूत ब्याज उक्त निधि में जमा किया गया है। चूंकि इरेडा ने पहले ही मंजूरी के निबंधन एवं शर्तों का अनुपालन किया है इसलिए इस विषय को अंतिम निर्णय के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में भेज दिया गया है। इस मंत्रालय ने अपने दिनांक 29 मार्च, 2010 के पत्र द्वारा दिए गए उत्तर में पुष्टि की है कि यूएनडीपी जीईएफ पर्वतीय पनबिजली परियोजना के अनुसार चक्रिय निधि (रिवॉल्विंग फंड) इरेडा को दिया गया एक अनुदान है और इसे वापस नहीं किया जाना है। पर्वतीय क्षेत्र में लघु पनबिजली परियोजनाओं को मुख्य रूप से वित्त पोषित करने के लिए इस रिवॉल्विंग फंड का सृजन किया गया है। चूंकि इरेडा पहले से ही पर्वतीय क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लघु पनबिजली परियोजनाओं को धन प्रदान कर रहा है और इन परियोजनाओं के लिए दिया गया ऋण आरंभिक रिवॉल्विंग फंड से काफी अधिक है इसलिए परियोजना दस्तावेज में यथा निर्धारित रिवॉल्विंग फंड सृजित करने का प्रयोजन एवं उद्देश्य पूरा हो जाता है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को उक्त अनुदान के लिए उपयुक्त लेखा उपचार प्रदान करने के बारे में इरेडा से कोई आपत्ति नहीं है। अतः वित्तीय वर्ष 2009–10 के दौरान इरेडा ने इस अनुदान पर प्रोद्भूत 646.90 लाख रुपए के कुल ब्याज को राजस्व अनुदान माना है और इसे 'विविध आय' शीर्ष के अंतर्गत लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया है। 601.44 लाख रुपए अर्थात 1.40 मिलियन अमेरीकी डॉलर के आरंभिक अंशदान को पूंजीगत अनुदान के रूप में प्रतिधारित किया गया है तथा इसे तुलन पत्र में 'पूंजीगत आरक्षित निधि' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

(3) सब्सिडी

(क) ब्याज सब्सिडी

सरकारी नीति के अनुसार एमएनआरई ब्याज सब्सिडी प्रदान कर रहा है। ब्याज सब्सिडी सह–उत्पादन, लघु पनबिजली, ब्रिकेटिंग, बायोमास, सौर तापीय और अपशिष्ट से ऊर्जा जैसे कार्यक्रमों के लिए एनपीवी आधार पर और सौर तथा एसपीवी कार्यक्रमों के लिए वास्तविक आधार पर जारी की जाती है। उधार लेने वालों के द्वारा मंजूरी के निबंधनों और शर्तों का पालन करने पर उन्हें तिमाही आधार पर ब्याज सब्सिडी अंतरित की जाती है।

दिनांक 1.4.2009 की स्थिति के अनुसार अवितरित ब्याज सब्सिडी 14,14,90,088 रूपए थी (पिछले वर्ष 28,91,65,275 रूपए) और इरेडा ने वर्ष के दौरान 8,26,58,984 रूपए (पिछले वर्ष 9,64,65,050 रूपए) प्राप्त किए। इनमें से उधार लेने वालों को ब्याज सब्सिडी योजना के निबंधनों और शर्तों का पालन करने पर 18,52,55,614 रूपए (पिछले वर्ष 23,74,76,598 रूपए) की धनराशि अंतरित की गई है। इसके अलावा वर्ष के दौरान उधार लेने वालों द्वारा ऋण वापस लेने/पूर्व समाप्त किए जाने के कारण एमएनआरई को 73,87,810 रूपए (पिछले वर्ष 1,13,97,530 रूपए) की धनराशि वापस की गई है । 31.3.2010 तक कुल अवितरित ब्याज सब्सिडी 3,23,48,524 रूपए (पिछले वर्ष 14,14,90,088 रूपए) है।

वर्ष के दौरान प्राप्त, दी गई, वापस की गई ब्याज सब्सिडी का कार्यक्रमवार ब्यौरा और 31 मार्च, 2010 के अनुसार शेष राशि इस प्रकार है :–

(i) एनपीवी आधार पर ब्याज सब्सिडी :–

(राशि रूपए में)

क्रम सं.	क्षेत्र का नाम	1.4.2009 को आरंभिक शेष	2009–10 के दौरान प्राप्त ब्याज सब्सिडी	2009–10 के दौरान वापस की गई धन राशि	2009–10 के दौरान अंतरित ब्याज सब्सिडी	31.3.2010 को अंतिम शेष
1	बायोमास सह–उत्पादन	7,09,61,098 (12,17,77,726)	0 (0)	17,58,049 (0)	3,42,56,170 (5,08,16,628)	3,49,46,879 (7,09,61,098)
2	लघु पनबिजली	3,77,33,911 (6,36,76,021)	0 (0)	23,39,824 (0)	2,60,10,987 (2,59,42,110)	93,83,100 (3,77,33,911)
3	अपशिष्ट से ऊर्जा	32,89,937 (1,98,08,299)	0 (0)	32,89,937 (1,13,97,530)	0 (51,20,832)	0 (32,89,937)
	उप जोड़. क	11,19,84,946 (20,52,62,046)	0 (0)	73,87,810 (1,13,97,530)	6,02,67,157 (8,18,79,570)	4,43,29,979 (11,19,84,946)

(ii) वास्तविक आधार पर ब्याज सब्सिडी :–

(राशि रूपए में)

क्रम सं.	क्षेत्र का नाम	1.4.2009 को आरंभिक शेष	2009–10 के दौरान प्राप्त ब्याज सब्सिडी	2009–10 के दौरान वापस की गई धन राशि	एफडीआर पर प्राप्त ब्याज	2009–10 के दौरान अंतरित सब्सिडी	31.3.2010 को अंतिम शेष
1	सौर तापीय	3,952 (44,10,444)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (44,06,492)	3,952 (3,952)
2	एसपीवी डब्ल्यूपी 2000–01	0 (-) (68,49,086)	0 (1,19,75,032)	0 (0)	0 (0)	34,02,805 (51,25,946)	(-) 34,02,805 (0)
3	एसपीवी डब्ल्यूपी 2001–02	16,21,964 (0)	0 (65,18,041)	0 (0)	0 (0)	60,47,687 (81,40,005)	(-) 76,69,651 (-) (16,21,964)
4	एसपीवी डब्ल्यूपी 2002–03	0 (0)	26,58,984 (32,96,750)	0 (0)	0 (0)	26,58,984 (32,96,750)	0 (0)
5	एसपीवी डब्ल्यूपी 1999–2000	0 (0)	0 (14,33,070)	0 (0)	0 (0)	6,84,937 (14,33,070)	(-) 6,84,937 (0)
6	एसपीवी डब्ल्यूपी विनिर्माण	0 (-) (18,18,996)	0 (46,92,357)	0 (0)	0 (0)	2,96,898 (28,73,361)	(-) 2,96,898 (0)
7	त्वरित एसडब्ल्यूएच प्रणाली	3,11,23,154 (8,81,60,867)	8,00,00,000 (6,85,49,800)	0 (0)	8,42,876 (47,33,891)	11,18,97,146 (13,03,21,404)	68,884 (3,11,23,154)
	उप जोड़...ख	2,95,05,142 (8,39,03,229)	8,26,58,984 (9,64,65,050)	0 (0)	8,42,876 (47,33,891)	12,49,88,457 (15,55,97,028)	(-) 1,19,81,455 (2,95,05,142)
	कुल जोड़ (क+ख)	14,14,90,088 (28,91,65,275)	8,26,58,984 (9,64,65,050)	73,87,810 (1,13,97,530)	8,42,876 (47,33,891)	18,52,55,614 (23,74,76,598)	3,23,48,524 (14,14,90,088)

पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक में दिखाए गए हैं।

(ख) पूंजीगत सब्सिडी

दिनांक 1.4.2009 के अनुसार अवितरित पूंजीगत सब्सिडी 36,90,822 रूपए (पिछले वर्ष 36,90,822 रूपए) जो उधार लेने वालों द्वारा पूंजीगत सब्सिडी योजना के निबंधनों और शर्तों के गैर–अनुपालन के कारण लंबित थी। वर्ष के दौरान एमएनआरई से शून्य रूपए (पिछले वर्ष शून्य रूपए) की राशि प्राप्त की गई। कुल उपलब्ध पूंजीगत सब्सिडी राशि में से शून्य रूपए की राशि (पिछले वर्ष शून्य रूपए) पूंजीगत सब्सिडी योजना के निबंधनों और शर्तों के अनुपालन पर उधार लेने वालों की वितरित की गई। वर्ष के दौरान आरंभ में प्राप्त की गई, दी गई / वापस की गई और 31.3.2010 को शेष पूंजीगत सब्सिडी का क्षेत्रवार ब्यौरा इस प्रकार है :

(राशि रूपए में)

क्षेत्र का नाम	1.4.2009 को आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के दौरान अंतरित	वर्ष के दौरान एमएनआरई को वापस की गई राशि	समायोजन	31.3.2010 को अंतिम शेष
सह–उत्पादन	36,90,822 (36,90,822)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	36,90,822 (36,90,822)
जोड़	36,90,822 (36,90,822)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	36,90,822 (36,90,822)

पछले वर्ष के आंकड़ें कोष्ठक में दिखाए गए हैं।

4) 'चालू परिसम्पत्तियों, ऋण और अग्रिम' शीर्ष में ''ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन'' के कार्यान्वयन के लिए यूएनडीपी / एमएनईएस से प्राप्त अप्रयुक्त धनराशि के बतौर अनुसूचित बैंकों के पास चालू खाते में 61,76,800 रूपए (पिछले वर्ष 61,77,100 रूपए) की धनराशि सम्मिलित है। इसके बराबर धनराशि चालू देयताओं के अंतर्गत दिखाई गई है।

(5) (क) पट्टे पर प्राप्त भवनों 41,43,149 रूपए (पिछले वर्ष 41,43,149 रूपए) की लागत वाले एक आवासीय फ्लैट और 2,64,10,058 रूपए (पिछले वर्ष 2,64,10,058 रूपए) की लागत के कार्यालय परिसरों के संबंध में हस्तांतरण विलेखों को कंपनी के पक्ष में अभी निष्पादित किया जाना है। इस लागत में भूमि के लिए आनुपातिक मूल्य सम्मिलित है जिनका अलग से निर्धारण और लेखाकरण नहीं किया गया है। इस प्रकार मूल्यह्रास, कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों पर संयुक्त लागत पर प्रभारित किया गया है।

(ख) कार्यालय परिसरों के संबंध में 31 मार्च, 2004 की अवधि तक सम्पत्ति कर का भुगतान भारत पर्यावास केन्द्र द्वारा की गई मांग, जो भवन की लागत पर आधारित थी, के अनुसार कर दिया गया है। दिल्ली नगर निगम ने दर योग्य मूल्य की गणना करने के उद्देश्य से सुविधा क्षेत्र से प्राप्त लाइसेंस शुल्क को शामिल करने के लिए भारत पर्यावास केन्द्र के साथ मुद्दा उठाया है। यह मुद्दा अब माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है। माननीय न्यायालय का निर्णय कंपनी के प्रतिकूल होने की दशा में, निगम कर के रूप में देयता का पुनः निर्धारण किया जाना होगा जो इस चरण में अभिनिश्चेय नहीं है।

(6) गैर–निष्पादक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान करते समय संदिग्ध मामलों के प्रतिभूति के मूल्य और प्रावधान को कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV के अंतर्गत निर्धारित दरों के अनुसार मुल्यह्रास का प्रयोग करते हुए उधार प्राप्त कर्ताओं के तुलन पत्र से आंकलित किया गया है। तथापि उधार लेने वाले के तुलन पत्र हिसाब लगाये जा रहे कमी वाले वित्तीय वर्ष से पांच वर्ष पुराने होने पर उसे नजरअंदाज कर दिया गया है।

(7) इरेडा एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत है और यह संगम ज्ञापन के संदर्भ में इरेडा के निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुमोदित आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान के मामले में मार्ग निर्देशों का अनुसरण करती है तथा समय–समय पर संशोधित वित्तीय संस्थाओं से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक की प्रकटन संबंधी अपेक्षाओं और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के अनुसार अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन करती है।

तदनुसार, गैर–निष्पादक परिसम्पत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत लेखाओं पर 94,69,28,163 रूपए (पिछले वर्ष 97,91,18,836 रूपए) के न उगाहे गए ब्याज को वर्ष के लिए आय नहीं माना गया है। इसके अतिरिक्त, 2008–09 तक 3,43,26,063 रूपए (पिछले वर्ष शून्य रूपए) की न उगाही की गई ब्याज राशि उन लेखाओं के संबंध में उलट दी गई है जिन्हें वर्ष के दौरान पहली बार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्ष के दौरान एनपीए खाते से उगाही गई 47,65,68,129 रूपए (पिछले वर्ष 27,95,99,951 रूपए) की ब्याज राशि को आय के रूप में माना गया है।

(8) कंपनी ने अन्तर्राष्ट्रीय क्रेडिट लाइन के आधार पर विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रबंधन के लिए मुद्रा जोखिम प्रशासन निधि (इरेडा–ईआरएफ) सृजित की है जिसका अनुमोदन केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अधिसूचना सं. 11220 के तहत किया गया है। कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण क्रेडिट द्वितीय नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना की रूपया आधार पर देयता के बराबर शून्य रू. (पिछले वर्ष 8,78,49,100 रू.) का प्रावधान किया है। ईआरएएफ की लेखा बही अलग से तैयार की जाती है और रख–रखाव किया जाता है।

(9) कम्पनी के सभी प्रचालनों को एकल व्यावसायिक घटक माना जाता हैं। इसके अलावा कम्पनी की कोई पूर्ण स्वतंत्र शाखा नहीं है। इस प्रकार घटक रिपोर्टिंग के लिए कंपनी (लेखाकरण मानक) नियमावली 2006 के अंतर्गत जारी लेखाकरण मानक (एएस) –17 के उद्देश्य के लिए सभी गतिविधियां एकल व्यावसायिक/भौगोलिक घटक माने जाते हैं।

(10) कर्मचारी के फायदे

(I) लेखाकरण मानक –15 (संशोधित) के अनुसार यथापेक्षित लाभ एवं हानि लेखा एवं तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त नियोजन पूर्व फायदों एवं दीर्घकालिक एवं कर्मचारी फायदों की संक्षिप्त स्थिति निम्न प्रकार है :–

(क) दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(राशि रूपए में)

विवरण	उपदान (वित्तपोषित)	अवकाश नकदीकरण (वित्तपोषित नहीं)	अवकाश यात्रा रियायत (वित्तपोषित नहीं)	बीमारी अवकाश (वित्तपोषित नहीं)	सामान भत्ता	सेवानिवृति उपरांत चिकित्सा फायदा (वित्तपोषित नहीं)
वर्ष के प्रारम्भ की स्थिति के अनुसार दायित्व का वर्तमान मूल्य	2,15,31,457 (1,42,02,352)	90,96,735 (51,71,189)	22,73,770 (19,94,760)	93,62,674 (57,86,604)	2,22,718 –	49,47,865 (44,28,986)
ब्याज लागत	17,22,517 (11,36,188)	7,27,739 (4,13,695)	1,81,902 –	7,49,014 (4,62,928)	17,817 –	3,95,829 (3,54,319)
वर्तमान सेवा लागत	20,51,294 (17,73,887)	9,70,423 (8,81,712)	13,29,598 –	7,83,082 (8,05,238)	24,809 –	4,35,673 (3,53,088)
पूर्व की सेवा लागत	50,30,429 –	– –	– –		– –	– –
अदा किए गए फायदे	(-) 24,74,999 (-) (11,88,726)	(-) 17,46,699 (-) (13,06,208)	(-) 7,70,706 –		– –	(-) 79,604 (-) (71,625)
दायित्वों पर बीमांकिकीय हानि/(अभिलाभ)	(-) 11,36,961 (56,07,756)	12,17,279 (39,36,347)	(-) 5,47,233 (2,79,010)	(-) 14,48,472 (23,07,904)	46,573 (2,22,718)	4,82,784 (-) (1,16,903)
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2,67,23,737 (2,15,31,457)	1,02,65,477 (90,96,735)	24,67,331 (22,73,770)	94,46,298 (93,62,674)	3,11,917 (2,22,718)	61,82,547 (49,47,865)

इरेडा IREDA

(ख) योजना परिसंपत्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन

(राशि रूपए में)

विवरण	उपदान (वित्तपोषित)	अवकाश नकदीकरण (वित्तपोषित नहीं)	अवकाश यात्रा रियायत (वित्तपोषित नहीं)	बीमारी अवकाश (वित्तपोषित नहीं)	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा फायदा (वित्तपोषित नहीं)
वर्ष के प्रारम्भ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1,10,45,945 (87,80,075)	–	–	–	–	–
योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित रिटर्न	10,21,750 (8,03,377)	–	–	–	–	–
नियोजक का अंशदान	17,26,720 (25,63,278)	–	–	–	–	–
अदा किए गए फायदे	(-) 24,74,999 (-)(11,88,726)	–	–	–	–	–
दायित्वों पर बीमांकिकीय हानि/(अभिलाभ)	9,709 (87,941)	–	–	–	–	–
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1,13,29,125 (1,10,45,945)	–	–	–	–	–

(ग) तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशि

(राशि रूपए में)

विवरण	उपदान (वित्तपोषित)	अवकाश नकदीकरण (वित्तपोषित नहीं)	अवकाश यात्रा रियायत (वित्तपोषित नहीं)	बीमारी अवकाश (वित्तपोषित नहीं)	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा फायदा (वित्तपोषित नहीं)
वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार दायित्वों का अनुमानित वर्तमान मूल्य	2,67,23,737 (2,15,31,457)	1,02,65,477 (90,96,735)	24,67,331 (22,73,770)	94,46,298 (93,62,674)	3,11,917 (2,22,718)	61,82,547 (49,47,865)
वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1,13,29,125 (1,10,45,945)	–	–	–	–	–
तुलन पत्र में आकलित बिना वित्तपोषित निवल देयता	1,53,94,612 (1,04,85,512)	1,02,65,477 (90,96,735)	24,67,331 (22,73,770)	94,46,298 (93,62,674)	3,11,917 (2,22,718)	61,82,547 (49,47,865)

(घ) लाभ एवं हानि लेखा के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय

(राशि रूपए में)

विवरण	उपदान (वित्तपोषित)	अवकाश नकदीकरण (वित्तपोषित नहीं)	अवकाश यात्रा रियायत (वित्तपोषित नहीं)	बीमारी अवकाश (वित्तपोषित नहीं)	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा फायदा (वित्तपोषित नहीं)
वर्तमान सेवा लागत	20,51,294 (17,73,887)	9,70,423 (8,81,712)	13,29,598 (2,79,010)	7,83,082 (8,05,238)	24,809 (2,22,718)	4,35,673 (3,53,088)
पूर्व सेवा लागत	50,30,429 –	– –	–	–	–	–
ब्याज लागत	17,22,517 (11,36,188)	7,27,739 (4,13,695)	1,81,902 –	7,49,014 (4,62,928)	17,817 –	3,95,829 (3,54,319)
योजना परिसंपत्ति पर अपेक्षित रिटर्न	(-) 10,21,750 (-) (8,03,377)	–	–	–	–	–
वर्ष में आकलित निवल बीमांकिकीयों (अभिलाभ)/हानि	(-) 11,46,670 (55,19,815)	12,17,279 (39,36,347)	(-) (5,47,233) –	(-) 14,48,472 (23,07,904)	46,573 (2,22,718)	4,82,784 (-) (1,16,903)
लाभ एवं हानि लेखा में आकलित कुल व्यय	66,35,820 (76,26,513)	29,15,441 (52,31,754)	9,64,267 (2,79,010)	83,624 (35,76,070)	89,199 (2,22,718)	13,14,286 (5,90,504)

(ड़) भारित औसत के रूप में व्यक्त प्रधान बीमांकिकीय अनुमान

(दर प्रतिवर्ष)

विवरण	उपदान (वित्तपोषित)	अवकाश नकदीकरण (वित्तपोषित नहीं)	अवकाश यात्रा रियायत (वित्तपोषित नहीं)	बीमारी अवकाश (वित्तपोषित नहीं)	सामान भत्ता	सेवानिवृति उपरांत चिकित्सा फायदा (वित्तपोषित नहीं)
छूट दर	8%	8%	8%	8%	8%	8%
योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न की अपेक्षित दर	9.25%	-	-	-	-	-
वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर	7%	7%	7%	7%	7%	7%
प्रयुक्त विधि	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)

(च) निधि के निवेश का ब्यौरा

विवरण	उपदान (वित्तपोषित निवेश)	
	प्रतिशत में	राशि रूपए में
केन्द्रीय सरकार प्रतिभूतियाँ	25% (25%)	आंकड़ें उपलब्ध नहीं
राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	15% (15%)	
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	40% (40%)	आंकड़ें उपलब्ध नहीं
अन्य निवेश (उपरोक्त 3 श्रेणियों में मिला जुला)	20% (20%)	

(छ) परिभाषित अंशदान योजना

इस वर्ष के दौरान कंपनी ने भविष्य निधि में अंशदान की बाबत 56,82,033 रू. (पिछले वर्ष 41,35,315 रू.) और हितकारी निधि में अंशदान की बाबत 63,200 रू. (पिछले वर्ष 60,130 रू.) के व्यय का आकलन किया है।

बीमांकिकीय मूल्यांकन पर विचार करते हुए भविष्य में वेतन वृद्धि के अनुमान में मुद्रास्फिति, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं अन्य संगत तथ्यों जैसे कि कर्मचारी बाजार में आपूर्ति एवं माँग को ध्यान में रखा गया है।

11. संबंधित पार्टी प्रकटन

(i) 'संबंधित पार्टी प्रकटनों' पर कंपनी (लेखाकरण मानक) नियमावली 2006 के अंतर्गत जारी लेखाकरण मानक (एएस) –18 द्वारा यथा अपेक्षित वर्ष के दौरान संबंधित पार्टियों के साथ किए गए लेन–देनों का विवरण निम्न प्रकार है :–

(राशि रूपए में)

विवरण	मुख्य प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)
प्रबंधकीय पारिश्रमिक	63,21,534 (31,39,976)

(ii) वर्ष के दौरान जिन सम्बद्ध पार्टियों के साथ व्यावसायिक लेन–देन हुआ, उनका प्रकटन :–

मुख्य प्रबंधन कार्मिक	:	(i) श्री देबाशीष मजुमदार
	:	(ii) श्री एस.पी. रेड्डी
	:	(iii) श्री के. एस. पोपली

(iii) लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) और निदेशक (तकनीकी) को मासिक प्रभारों के भुगतान पर 1000 किमी प्रतिमाह की सीमा तक निजी यात्रा सहित स्टाफ कार के प्रयोग की अनुमति भी दी गई है।

12. परिसम्पत्तियों की हानि

कंपनी ने तुलन पत्र तारीख का निर्धारण किया है कि क्या किन्हीं भी परिसंपत्तियों की हानि के बारे में कोई संकेत (लेखाकरण मानक –28 के पैरा 8 से 10 में सूचीबद्ध) है। ऐसे निर्धारण के आधार पर यह अभिनिश्चित किया गया है कि कोई ज्यादा हानि नहीं हुई है और इसलिए वसूलीयोग्य राशि का अंतिम अनुमान तैयार नहीं किया गया है। तदनुसार, लेखा बहियों में कमी संबंधी हानि के लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

(13) आस्थगित कर

(क) कंपनी (लेखाकरण मानक) नियमावली, 2006 के अंतर्गत जारी ''आय पर कर के लिए लेखाकरण'' से संबंधित लेखाकरण मानक के अनुसार, कंपनी ने समय में अंतर के कारण आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल) को लाभ एवं हानि लेखा में डेबिट की है। सम्यक विचार–विमर्श के बाद, आय कर की वर्तमान लागू दरों का प्रयोग करते हुए आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं का आकलन किया जाता है। लेखाकरण मानक–22 के उपबंधों के अनुसार वर्तमान वर्ष की अस्थगित कर क्रेडिट 450.91 लाख रूपए (पिछले वर्ष 438.97 लाख रूपए को लाभ एवं हानि लेखा में डेबिट कर दिया गया है।

ख) 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार आस्थगित कर परिसम्पत्तियों (निवल) का ब्यौरा इस प्रकार है :–

क	आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (+)		(लाख रूपए में)
	समय अंतराल के कारण उत्पन्न :–	31.3.2010 के अनुसार	31.3.2009 के अनुसार
	• अवकाश वेतन, उपदान, बीमारी अवकाश, अवकाश यात्रा रियायत और सेवानिवृत उपरांत चिकित्सा फायदे के लिए प्रावधान • संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान	146.38 9686.78	123.69 9274.49
	जोड़ – क	**9833.16**	**9398.18**
ख	आस्थगित कर देयत (–)		
	• मूल्यह्रास • भुगतान किया गया पर लाभ–हानि खाते में न डाला गया स्टैम्प शुल्क • विशेष आरक्षित निधि	201.55 11.85 6964.42	162.91 6.55 6122.47
	जोड़ – ख	**7177.82**	**6291.93**
	आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (+)/देयताएं (–) (क–ख)	2655.34	3106.25
	आस्थगित कर परिसम्पत्तियां	**2655.34**	**3106.25**

(14.) कंपनी (लेखाकरण मानक) नियमावली, 2006 के अंतर्गत प्रतिशेयर पर जारी लेखाकरण मानक (एएस)–20 के संबंध में, प्रति शेयर आय (मूलभूत और मिश्रित) का आकलन निम्न प्रकार से किया गया है :–

(लाख रूपए में)

विवरण	31.3.2010 के अनुसार	31.3.2009 के अनुसार
इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य (रू./प्रति शेयर)	1000	1000
अंश लाभ–हानि खाते के अनुसार कर पश्चात् लाभ (रू. लाख में)	7268.77	5621.18
हर		
• इक्विटी शेयरों (52+1.96) की संख्या (लाख में)	53.96	52.00
• लंबित आबंटन वाले इक्विटी शेयरों की संख्या (लाख में)	0.00	0.00
• मूलभूत एवं मिश्रित प्रति शेयर की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (लाख में)	53.10**	50.96*
• मूलभूत और मिश्रित प्रति शेयर आय (रू./प्रति शेयर)	136.88	110.30

* भारित औसत (49 x 12/12 + 3 x 239/365= 50.96)

** भारित औसत (52 x 12/12 + 0.66 x 248/365+1.30x184/365)= 53.10

(15) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आने वाले उद्यमों को देय राशि शून्य रू. (पिछले वर्ष : शून्य रू.) है। तदनुसार, उक्त अधिनियम के अनुसार अपेक्षित कोई प्रकटन नहीं किया जा रहा है।

(16) इरेडा की चालू परिसम्पत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का सामान्य व्यवसाय की स्थिति में उनकी वसूली पर मूल्य तुलन–पत्र में उल्लिखित धनराशि के बराबर है।

(17) कानूनी तथा व्यावसायिक प्रभारों में कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों को दिया गया पारिश्रमिक (सेवा कर को छोड़कर) निम्न प्रकार है :–

- सांविधिक लेखापरीक्षण के लिए : 1,90,000 रूपए (पिछले वर्ष – 1,90,000 रूपए)
- कर लेखापरीक्षा के लिए : 60,000 रूपए (पिछले वर्ष – 60,000 रूपए)
- सीमित समीक्षा के लिए : 95,000 (पिछले वर्ष – 47,500 रूपए)
- प्रमाणन के लिए : 31,000 रूपए (पिछले वर्ष – 1,05,000 रूपए)

(18) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) और निदेशक (तकनीकी) को दिया गया पारिश्रमिक निम्न प्रकार है :–

(राशि रूपए में)

विवरण	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	निदेशक (वित्त)	निदेशक (तकनीकी)
वेतन एवं भत्ते	21,15,978 (9,32,319)	16,70,691 (8,56,068)	12,49,679 (7,31,110)
चिकित्सा भत्ता	90,269 (57,546)	79,535 (54,683)	71,249 (55,720)
भविष्य निधि	2,63,520 (78,380)	2,09,418 (74,677)	1,06,861 (64,888)
आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार अनुलाभ का मूल्य	1,45,553 (1,14,848)	1,59,268 (67,411)	1,59,513 (52,326)
योग :	26,15,320 (11,83,093)	21,18,912 (10,52,839)	15,87,302 (9,04,044)

पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक में दर्शाए गए हैं

(19.) पूर्व–अवधि मदों का ब्यौरा

(लाख रूपए में)

विवरण	2009-10	2008-09
ब्याज सब्सिडी का समायोजन	99.48 क्रेडिट	–
सेवा कर पर ब्याज	22.77 डेबिट	–
विविध अन्य आय	4.22. क्रेडिट	24.46 क्रेडिट
विविध व्यय	3.55. डेबिट	27.00 डेबिट
कुल	77.38 क्रेडिट	2.54 डेबिट

(20) (i) निर्धारण वर्ष 2004–05 के लिए, 1034 लाख रूपए की आयकर मांग की गई है जिसमें से 50 प्रतिशत का भुगतान 2006–07 के दौरान कर दिया गया है। उपर्युक्त राशि के संबध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि कंपनी ने निर्धारण अधिकारी के आदेश के खिलाफ आय कर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की थी। आयकर आयुक्त (अपील) ने आंशिक राहत दी है। साथ ही इरेडा में आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश के विरूद्ध आईटीएटी को अपील की है जो लंबित है।

(ii) निर्धारण वर्ष 2005–06 के लिए 1444 लाख रू. की आयकर मांग की गई जिसमें से 783 लाख रू. वर्ष 2007–08 के दौरान अदा कर दिया गया। उपरोक्त राशि के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि कंपनी ने निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आयकर आयुक्त (अपील) को अपील की है।

(iii) निर्धारण वर्ष 2007–08 के लिए 1253 लाख रुपए की आयकर मांग की गई जिसमें से कोई भुगतान नहीं किया गया है। उपरोक्त राशि के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि कंपनी ने निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की है।

(iv) ब्याज कर निर्धारण, निर्धारण वर्ष 2001–02 तक पूरा किया जा चुका है। निर्धारण वर्षों 1996–97 से वर्ष 2000–01 तक 22.11 लाख रूपए (पिछले वर्ष –22.11 लाख रूपए) की वसूली योग्य कर के संबंध में, कंपनी इसकी वसूली के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।

(21) कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग –II के उपबंधों के अनुसरण में सूचना :

(क) विदेशी मुद्रा में व्यय :

- यात्रा पर 6,95,381 रू. (पिछले वर्ष –2,29,697 रू.)
- अन्य 12,92,90,857 रू. (पिछले वर्ष –31,77,84,159 रू.)

(ख) विदेशी मुद्रा में आय :

- ब्याज 12,52,32,556 रू. (पिछले वर्ष –35,20,72,189 रू.)

(ग) राजस्व अनुदान शून्य रू. (पिछले वर्ष – 1,08,71,354 रू.) (जीईएफ)

(22) भारतीय रिर्जव बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटन (केवल इरेडा) इस प्रकार है :–

(I) सीआरएआर, एनपीए, उद्‌भासन, तरलता आदि पर

(करोड़ रूपए में)

क्र.सं.	विवरण	स्थिति
क)	पूंजी	
क)	सीआरएआर, मुख्य सीआरएआर और अनुपूरक सीआरएआर	30.68% (31.80%)

ख)	चरण –।। पूंजी के रूप में उगाही गई अधीनस्थ ऋण और बकाया धनराशि	शून्य (शून्य)
ग)	जोखिम भारित परिसम्पत्तियां • तुलन–पत्र मदों पर • तुलन–पत्र इत्तर मदों पर	3104.14 (2784.10) 26.62 (20.35)
घ)	तुलन–पत्र की तारीख के अनुसार शेयरधारिता की स्थिति	भारत सरकार द्वारा 100% स्वामित्व (भारत सरकार द्वारा 100% स्वामित्व)
ख)	**परिसम्पत्ति की गुणवत्ता और ऋण संकेन्द्रण**	
ड.)	निवल ऋणों और अग्रिमों पर निवल एनपीए का प्रतिशत	(-) 1.17% (3.27%)

		श्रेणी	राशि			प्रतिशत
			सकल	एनपीए प्रावधान	निवल	निवल
च)	निर्धारित परिसम्पत्ति वर्गीकरण श्रेणियों के तहत निवल एनपीए की राशि और प्रतिशत (आकस्मिक प्रभार को छोड़कर)	अव–मानक	75.60 (69.84)	16.24 (10.45)	59.36 (59.39)	2.20% (2.61%)
		संदिग्ध	175.85 (268.68)	266.67 (253.71)	(-) 90.82 (14.97)	(-) 3.37% (0.66%)
		हानि	0.04 (0.05)	0.05 (0.05)	(-) 0.01 (0.00)	0.00% (0.00%)
		योग एनपीए	**251.49** **(338.57)**	**282.96** **(264.21)**	**(-) 31.47** **(74.36)**	**(-) 1.17%** **(3.27%)**
		मानक परिसंपत्ति	2728.53 (2199.63)	6.98 (6.98)	2721.56 (2192.65)	-
		कुल ऋण बकाया	**2980.02** **(2538.20)**	**289.94** **(271.18)**	**2690.09** **(2267.02)**	- -

छ) **मानक परिसम्पत्तियों, एनपीए, निवेश (अग्रिम के रूप में निवेश से भिन्न), आय कर आदि के बतौर वर्ष के दौरान किए गए प्रावधानों की राशि**

श्रेणी	2009-10	2008-09
मानक परिसम्पत्तियों के लिए सामान्य प्रावधान	-	-
मानक परिसम्पत्तियों के लिए तदर्थ प्रावधान	-	-
एनपीए (आकस्मिक प्रभारों सहित)		
बकाया ऋणों के प्रति	18.76	-
	0	-
आकस्मिक प्रभारों के प्रति	18.76	-
निवेश	-	-
अनुषंगी फायदा कर सहित आयकर	63.85	25.30
योग	**82.61**	**25.30**

ज) **निवल गैर–निष्पादक परिसम्पत्तियों (एनपीए) का संचलन**

विवरण	**2009-10**	**2008-09**
1 अप्रैल को निवल एनपीए	74.36	221.71
जमा : वर्ष के दौरान परिवर्धन	57.79	0.59
घटा : वर्ष के दौरान कमी	75.85	34.38
घटा : वर्ष के दौरान प्रावधान (आकस्मिक प्रभारों को छोड़कर)	18.76	-
घटा : समायोजित तदर्थ प्रावधान	-	70.00
घटा : उन्नत एनपीए ऋण	51.69	1.19
घटा : बट्टे खाते डाली गई परिसम्पत्तियां	17.32	42.37
31 मार्च को निवल एनपीए	(-) 31.47	74.36

झ)	निम्नलिखित के संबंध में निवल मूल्य के % और कुल परिसम्पत्तियों के % रूप में उधार उद्भासन		निवल मूल्य के प्रति %	कुल ऋण परिसम्पत्ति के प्रति %
		ऋण	950.25 (869.55)	2980.03 (2538.20)
	• सर्वाधिक एकल उधार प्राप्तकर्ता	429.68 (359.04)	45.22% (41.29%)	14.42% (14.15 %)
	• सर्वाधिक उधार प्राप्तकर्ता समूह	432.07 (362.84)	45.47% (41.73%)	14.50% (37.29%)
	• 10 शीर्ष एकल उधार प्राप्तकर्ता			
	संख्या 1	429.68 (359.04)	45.22% (41.29%)	14.42% (14.15%)
	संख्या 2	259.83 (115.67)	27.34% (13.30%)	8.72% (4.56%)
	संख्या 3	103.75 (81.26)	10.92% (9.35%)	3.48% (3.20%)
	संख्या 4	100.54 (77.24)	10.58% (8.88%)	3.37% (3.04%)
	संख्या 5	96.62 (69.95)	10.17% (8.04%)	3.24% (2.76%)
	संख्या 6	91.10 (66.50)	9.59% (7.65%)	3.06% (2.62%)
	संख्या 7	82.53 (55.00)	8.69% (6.33%)	2.77% (2.17%)
	संख्या 8	79.26 (53.06)	8.34% (6.10%)	2.66% (5.45%)
	संख्या 9	75.52 (48.40)	7.95% (5.57%)	2.53% (1.91%)
	संख्या 10	71.97 (47.03)	7.57% (5.41%)	2.42% (1.85%)
	योग	1390.82 **(973.15)**	146.36% **(111.91%)**	46.67% **(38.34 %)**
	• 10 शीर्ष एकल उधार प्राप्तकर्ता			
	संख्या 1	432.07 (362.84)	45.47% (41.73%)	14.50% (37.29%)
	संख्या 2	259.83 (155.53)	27.34% (17.89%)	8.72% (15.98%)
	संख्या 3	103.75 (115.67)	10.92% (13.30%)	3.48% (11.89%)
	संख्या 4	102.60 (95.50)	10.80% (10.98%)	3.44% (9.81%)
	संख्या 5	100.54 (85.03)	10.58% (9.78%)	3.37% (8.74%)
	संख्या 6	96.62 (79.31)	10.17% (9.12%)	3.24% (8.15%)
	संख्या 7	91.10 (77.24)	9.59% (8.88%)	3.06% (7.94%)
	संख्या 8	90.50 (66.50)	9.52% (7.65%)	3.04% (6.83%)
	संख्या 9	82.53 (63.04)	8.69% (7.25%)	2.77% (6.48%)
	संख्या 10	79.26 (48.60)	8.34% (5.59%)	2.66% (4.99%)
	योग	1438.82 **(1149.26)**	151.42% **(132.17%)**	48.28% **(45.28%)**

ञ)	कुल परिसम्पत्तियों के % के रूप में 5 सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों के प्रति उधार उद्भासन	उद्योग	ऋण ओ/एस	कुल ऋण का %
	संख्या 1	विद्युत	2062.80 (1508.48)	69.21% (59.43%)
	संख्या 2	चीनी	341.58 (329.64)	11.46% (12.99%)
	संख्या 3	सौर (वित्तीय संस्थान /एनबीएफसी)	94.04 (129.68)	3.16% (5.11%)
	संख्या 4	इस्पात	92.12 (103.70)	3.09% (4.09%)
	संख्या 5	अवसंरचना (कृषि)	81.73 (89.55)	2.74% (3.53%)
ग)	तरलता			
ट)	रूपए में परिसंपत्तियों एवं देयताओं की परिपक्वता पद्धति;			
ठ)	विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों एवं देयताओं की परिपक्वता पद्धति :–			

मद	1 वर्ष से कम या बराबर	1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक 7 वर्ष तक	7 वर्ष से अधिक	योग
रूपए में परिसम्पत्तियां	876.78 (398.08)	820.18 (697.98)	672.61 (591.76)	490.14 (383.11)	596.45 (630.25)	3456.16 (2701.18)
विदेशी मुद्रा में परिसम्पत्तियां	28.87 (47.51)	61.44 (57.17)	68.92 (64.21)	77.73 (72.46)	330.41 (450.39)	567.37 (691.74)
कुल परिसम्पत्तियां	**905.65 (445.59)**	**881.62 (755.15)**	**741.53 (655.97)**	**567.87 (455.57)**	**926.86 (1080.64)**	**4023.53 (3392.93)**
रूपए में देयताएं*	414.90 (354.00)	399.79 (250.43)	249.80 (372.16)	204.64 (157.51)	1949.53 (1574.29)	3218.66 (2708.39)
विदेशी मुद्रा में देयताएं	28.25 (47.50)	107.07 (57.17)	176.48 (64.22)	130.38 (72.46)	362.69 (443.19)	804.87 (684.54)
कुल देयताएं	**443.15 (401.50)**	**506.86 (307.60)**	**426.28 (436.38)**	**335.02 (229.97)**	**2312.22 (2017.48)**	**4023.53 (3392.93)**

* एमएनआरई से भारतीय रूपए में प्राप्त आईडीए–द्वितीय ऋण सम्मिलित है। तथापि वापसी अदायगी देयता, वापसी अदायगी के समय पर विद्यमान विनिमय के अनुसार विदेशी मुद्रा में है।

घ)	प्रचालन परिणाम	
ड)	औसत कार्य निधियों के प्रतिशत के रूप में (ऋण पर) ब्याज आय (नियोजित औसत पूंजी के % के रूप में प्रचालनों से आय)	8.24% (9.57%)
ढ)	औसत कार्य निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर–ब्याज आय (नियोजित औसत पूंजी के % के रूप में गैर–प्रचालन से आय)	1.07% (0.01%)
ण)	औसत कार्य निधियों के प्रतिशत के रूप में प्रचालन लाभ (नियोजित औसत पूंजी के % के रूप में प्रचालन लाभ)	4.85% (4.56%)
त)	औसत परिसम्पत्तियों पर प्रतिलाभ	2.12% (1.93%)
थ)	प्रति कर्मचारी निवल लाभ/लाख रूपए में	60.57 (48.88)

ड.)	**प्रावधानों में संचलन**		
I)	**ऋण में रूप में गैर–निष्पादक परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान (मानक परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधानों को छोड़कर)**		
	विवरण	**2009-10**	**2008-09**
	वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में आरंभिक शेष	265.88	195.88
	जमा : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	18.76	-
	जमा : तदर्थ प्रावधान का समायोजन	-	70.00
	घटा :		
	– वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए आकस्मिक प्रभारों	-	-
	– वर्ष के दौरान पुनरांकन	-	-
	वित्तीय वर्ष के अंत में अंतिम शेष	**284.64**	**265.88**
	लाभ–हानि लेखा में एनपीए ऋणों के लिए प्रभारित निवल	18.76	-
	अग्रिम और अंतर–निगम जमाराशियों के रूप में बॉण्डों और डिबेंचरों सहित गैर–निष्पादक परिसम्पत्तियों का प्रावधान	-	-
II)	**निवेशों में मूल्यह्रास के लिए प्रावधान**		
	वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में आरंभिक शेष	0.00	0.00*
	जमा : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	0.00	0.00
	घटा :		
	– वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए	0.00	0.00
	– वर्ष के दौरान पुनरांकन	0.00	0.12
	वित्तीय वर्ष के अंत में अंतिम शेष	**0.00**	**0.00**
	* 1 रूपए के कल्पित मूल्य को बही खाते में निवेश के लिए रखा गया है		

च)	**पुनर्संरचित लेखे**			
	क्र. सं.	**विवरण**	**31.3.2010**	**31.3.2009**
	1	पुनर्संरचना के अध्यधीन ऋण परिसम्पत्तियों की कुल राशि	251.43	177.26
	2	पुनर्संरचना के अध्यधीन ऊपर 1 में ऋण परिसम्पत्तियों की कुल राशि में से मूलधन की पुनर्संरचित किस्त	66.96	32.55
	3	पुनर्संरचना के अध्यधीन मानक परिसम्पत्तियों की राशि	243.15	104.99
	4	पुनर्संरचना के अध्यधीन अव–मानक/संदिग्ध परिसम्पत्तियों की राशि	8.28	72.27

छ)	**प्रतिभूतिकरण कम्पनी/पुनर्निर्माण कम्पनी को बेची गई परिसम्पत्तियां**		
	विवरण	**2009-10**	**2008-09**
	लेखाओं की संख्या	-	-
	एससी/आरसी को बेचे गए खातों का सकल मूल्य (प्रावधानों का निवल)	-	-
	सकल प्रतिफल	-	-
	पिछले वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में उगाहा गया अतिरिक्त प्रतिफल	-	-
	निवल बही मूल्य पर सकल लाभ/हानि	-	-

ज)	अग्र दर करारों और ब्याज दरों विनिमयों पर			
•	विनिमय करारों का कल्पित सिद्धांत	• एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के ऋण के विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एक विनिमय करार किया गया। व्यवस्था के अनुसार एडीबी से लिया गया ऋण बैंक ऑफ बड़ौदा, लंदन के पास डॉलर जमाराशि में रखा जाएगा जो 6 मासिक लिबोर (एलआईबीओआर) पर ब्याज अर्जित करता है। इस जमाराशि के प्रति बैंक ऑफ बड़ौदा, नई दिल्ली से उनकी संशोधित शर्त के अनुसार पीएलआर से 3.75 प्रतिशत कम पर आईएनआर ऋण लिया जाता है। • केएफडब्ल्यू उधार के विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन के लिए केनरा बैंक के साथ एक ऐसा ही विनिमय करार किया गया। व्यवस्था के अनुसार केएफडब्ल्यू से लिया गया ऋण केनरा बैंक, लंदन के पास यूरो जमाराशि में रखा जाएगा जो 6 मासिक यूरीबोर (ईयूआरआईबीओआर) पर ब्याज अर्जित करता है। इस जमाराशि के प्रति केनरा बैंक, नई दिल्ली से पीएलआर से 4.25 प्रतिशत कम पर आईएनआर ऋण लिया जाता है। • आईबीआरडी भाग के 2.25 मिलियन अमेरीकी डॉलर के लिए आईबीआरडी–।। उधार के विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन के लिए केनरा बैंक के साथ एक ऐसा ही विनिमय करार किया गया। व्यवस्था के अनुसार आईबीआरडी से लिया गया ऋण केनरा बैंक, लंदन के पास अमेरीकी डॉलर जमाराशि में रखा जाएगा जो 6 मासिक लिबोर (एलआईबीओआर) पर ब्याज अर्जित करता है। इस जमाराशि के प्रति केनरा बैंक, नई दिल्ली से पीएलआर से 4.25 प्रतिशत कम पर आईएनआर ऋण लिया जाता है। • इसके अतिरिक्त, समझौता के बाद, आईबीआरडी भाग के आईबीआरडी–।। उधार के शेष 77.75 मिलियन अमेरीकी डॉलर राशि के विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एक ऐसा ही विनिमय करार किया गया। व्यवस्था के अनुसार आईबीआरडी से लिया गया ऋण बैंक ऑफ बड़ौदा, लंदन के पास डॉलर जमाराशि में रखा जाएगा जो 6 मासिक लिबोर (एलआईबीओआर) +0.30% प्रति वर्ष ब्याज अर्जित करता है। इस जमाराशि के प्रति बैंक ऑफ बड़ौदा, नई दिल्ली से पीएलआर से 3.75 प्रतिशत कम पर आईएनआर ऋण लिया जाता है।		
•	विनिमय की प्रकृति और निबंधन जिसमें उधार और बाजार जोखिम की जानकारी और विनिमयों को दर्ज करने के लिए अपनाई गई लेखाकरण नीतियां सम्मिलित है।	• विनिमय की प्रकृति और निबंधन ऊपर दिए गए हैं। • सारी विदेशी मुद्रा देयताएं और परिसम्पत्तियां वर्ष के अंत में विद्यमान विनिमय दर पर रूपांतरित की गई है, जो लेखाकरण नीति सं. 3 में दी गई है।		
•	उन हानियों की मात्रा जो जब उठाई जाएंगी यदि प्रतिपक्षी पार्टियां करार के तहत अपनी बाध्यताओं को पूरा करने में विफल रहती है	• लागू नही होता		
•	विनिमय (स्वैप) समझौता करते समय निकाय द्वारा अपेक्षित बंधक सम्पत्ति	शून्य		
•	विनिमयों के कारण उधार जोखिम का कोई संकेन्द्रण। संकेन्द्रण के उदाहरण विशेष उद्योगों के प्रति उद्भासन या अत्यधिक लैस कम्पनियों से विनिमय हो सकते हैं	• लागू नहीं होता		
	कुल बुक की गई स्वैप का 'उचित' मूल्य। यदि विनिमय विनिर्दिष्ट परिसम्पत्तियों, देयताओं या प्रतिबद्धताओं से सम्बद्ध हो, तो उचित मूल्य वह अनुमानित राशि होगी, जो निकाय, तुलन–पत्र की तारीख पर विनिमय (स्वैप)	विवरण	राशि (वि.मु./मिलियन)	राशि (रूपए/करोड़)
		देयताएं यूएस डॉलर जमाराशि के प्रति बीओबी रूपया सावधि ऋण–एडीबी	शून्य (शून्य)	133.75 (140.74)

	करार को समाप्त करने पर प्राप्त करेगा या भुगतान करेगा। व्यापारिक विनिमय (स्वैप) के लिए उचित मूल्य, उसके बाजार मूल्य के समान होगा।	यूरो जमा राशि के प्रति केनरा बैंक रूपया सावधि ऋण–केएफडब्ल्यू	शून्य (शून्य)	184.05 (211.43)
		यूएस डॉलर जमाराशि के प्रति बैंक ऑफ बड़ौदा सावधि ऋण–आईबीआरडी	शून्य (शून्य)	196.30 (205.06)
		परिसम्पत्ति बीओबी डॉलर जमाराशि–एडीबी	अमेरीकी डॉलर 34.39 (अमेरीकी डॉलर 35.94)	155.24 (183.11)
		केनरा बैंक यूरो जमाराशि–केएफडब्ल्यू	यूरो 36.53 (यूरो 41.46)	221.20 (279.81)
		बीओबी डॉलर जमाराशि – आईबीआरडी	अमेरीकी डॉलर 42.16 (अमेरीकी डॉलर 43.97)	190.31 (224.05)
		केनरा बैंक यूएस डॉलर जमाराशि (विशेष खाता सहित)–आईबीआरडी	शून्य (अमेरीकी डॉलर 0.94)	0 (4.79)
		केनरा बैंक यूरो जमाराशि–केएफडब्ल्यू II	यूरो 0.08 (शून्य)	0.46 (0)
		केनरा बैंक यूएस डॉलर–एनआईबी	अमेरीकी डॉलर 0.03 (शून्य)	0.15 (0)

(23) **व्युत्पन्नों में जोखिम उद्‌भासन के विषय में प्रकटन**

जोखिम उद्‌भासन के संबंध में गुणात्मक और मात्रात्मक प्रकटन इस प्रकार है :–

(क) **गुणात्मक प्रकटन**

(i) कंपनी ने ब्याज दर, विदेशी विनिमय उतार–चढ़ाव और अन्य परिसम्पत्ति देयता में अंतर सहित विभिन्न बाजार जोखिम की पहचान की है।

(ii) विदेशी विनिमय उतार–चढ़ाव जोखिम से कम्पनी को सुरक्षित रखने के लिए कम्पनी ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ पर्याप्त लोचशीलता वाले दीर्घावधि समझौते किए हैं जिससे कंपनी ब्याज दर व्यवस्था का लाभ उठाने के लिए शर्तों का पुनः समझौता कर सकता है।

(iii) कंपनी ने अमेरीकी डॉलर में वापस की जाने वाली आईएनआर उधारों से उत्पन्न होने वाली विनिमय जोखिम से अपने को सुरक्षित रखने के लिए विनिमय जोखिम प्रशासन निधि (ईआरएएफ) की भी स्थापना की गई है।

(iv) कंपनी द्वारा मामले–दर–मामले आधार पर सुरक्षा उपाय अपनाते हुए ब्याज दर जोखिम से सुरक्षित रखने के लिए सक्रिय कदम उठाए गए हैं। सीआईआरएस स्वैप के अनुसार, कंपनी ने केएफडब्ल्यू II और एनआईबी ऋण के लिए आईसीआईसीआई बैंक लि. के साथ विदेशी मुद्रा देयता तथा ब्याज दर को सुरक्षित किया है।

(ख) मात्रात्मक प्रकटन :

(रूपए करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न
1	**व्युत्पन्न (कल्पित मूलधन राशि)** क) हेजिंग के लिए ख) ट्रेडिंग के लिए	 246.24 -	 - -
2	**बाजार स्थिति को चिन्हित (1)** क) परिसम्पत्ति (+)/प्राप्त होने योग्य ख) देयता (–)/देय	 - (-) 13.00	 - -
3	**क्रेडिट उद्भासन (2)**	-	-
4	**ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन होने पर संभावित प्रभाव (100* पीवी 01)** (क) हेजिंग व्युत्पन्न पर (ख) ट्रेडिंग व्युत्पन्न पर	 (-) 10.54 -	 - -
5	**वर्ष के दौरान 100* पीवी 01 पर अधिकतम और न्यूनतम**		
	क) हेजिंग के लिए ख) ट्रेडिंग के लिए	अधिकतम (-) 10.54 न्यूनतम (-) 9.95 -	- -

(24) विवेकपूर्ण उद्भासन सीमा से अधिक उद्भासन

(रूपए करोड़ में)

	विवरण	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार
•	**एकल उधारकर्ता**	
	उद्भासन सीमा	190.05
	सीमा को पार करने वाले एकल उधारकर्ता	
(i)	टाटा पावर कंपनी लिमिटेड	429.68
(ii)	ग्रीन इंफ्रा विंड एनर्जी लिमिटेड	259.83
•	**सामूहिक उधारकर्ता**	
	उद्भासन सीमा	332.59
	सीमा को पार करने वाले एकल उधारकर्ता	
(i)	टाटा ग्रुप	432.08

(25) रकमों को निकटतम रूपए तक पूर्णांकित किया जाता है। जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया, वहाँ पिछले वर्ष की रकमों को पुनः व्यवस्थित/पुनः समूहित किया गया, जिससे इन्हें वर्तमान की रकमों के साथ तुलनीय बनाया जा सके।

(26) अनुसूची **'क' से 'त'** तुलन–पत्र और लाभ–हानि लेखा के अभिन्न भाग हैं और इन्हें विधिवत् रूप से अधिप्रमाणित किया जाता है ।

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
एस.सी. वासुदेवा एवं कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार

आर सी लूथरा
भागीदार,
सदस्यता सं. 81052

एस पी रेड्डी
निदेशक (वित्त)

देबाशीष मजुमदार
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक 23 जुलाई, 2010

एस के भार्गव
कम्पनी सचिव

इरेडा
IREDA

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(राशि रूपए में)

विवरण	31.3.2010 को समाप्त वर्ष के लिए		31.3.2009 को समाप्त वर्ष के लिए	
क प्रचालन कार्यो से नकदी प्रवाहः				
कर पूर्व निवल लाभ व आसाधारण/पूर्व अवधि मदें :	1402729419		859268823	
निम्नलिखित के लिए समायोजन :				
1 मूल्यह्रास	31099662		24102232	
2 एनपीए प्रावधान	187574437		0	
3 बट्टे खाते डाले गए विविध व्यय	1424476		803275	
4 पूर्व अवधि व्यय/आय	7738356		-253785	
5 विदेशी विनिमय उतार–चढ़ाव	9958984		-6703124	
6 अवलिखित निवेश	0		-1199999	
7 पूंजीगत अनुदान का परिशोधन	-2317407		-3813415	
8 यूएनडीपी पर्वतीय पनबिजली पूंजीगत अनुदान से अंतरण	-64689710		0	
9 बट्टे खाते डाली गई/समायोजित स्थिर परिसंपत्तियां	0		-8443	
10 स्थिर परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	41577		0	
11 निवेश पर लाभांश	-126000		-84000	
कार्यशील पूंजी प्रभारों से पूर्व प्रचालन लाभ	**1573433794**		872111564	
वृद्धि / कमी				
1 ऋण व अग्रिम	-4565858382		-3974505264	
2 एमएनआरई ऋण	42102536		-9066282	
3 अन्य चालू परिसंपत्तियों	27076969		32741428	
4 चालू देयताएं	-42765267		-73871393	
5 कर्मचारी के फायदों के लिए प्रावधान	7678908		13585458	
	-4531765236		-4011116053	
प्रचालनों से सृजित नकदी	**-2958331442**		-3139004489	
आयकर और अनुषंगी फायदा कर	431756000		405741837	
प्रचालनों से सृजित निवल नकदी		**-3390087442**		**-3544746326**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
1 स्थिर परिसंपत्तियों की खरीद	-12139346		-82896560	
2 स्थिर परिसंपत्तियों की बिक्री	32712		188000	
3 निवेशों पर लाभांश	126000		84000	
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		**-11980634**		**-82624560**
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
1 इक्विटी अंशदान	196000000		300000000	
2 पूंजीगत अंशदान	0		2738665	
3 राजस्व अनुदान	0		4101602	
4 बॉण्डों का मोचन	0		-500000000	
5 बाण्ड इश्यू व्यय	-5564054		-5555729	
6 अदा किया गया लाभांश	-112500000		-96000000	
7 अदा किया गया लाभांश कर	-19119375		-16315200	
8 प्रतिभूत ऋणों में वृद्धि/कमी	3775140411		3817298723	
9 अप्रतिभूत ऋणों में वृद्धि/कमी	1193234150		820515531	
वित्तीयन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		5027191132		**4326783592**
नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि		**1625123056**		**699412706**
वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य		7628366109		6928953403
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य		9253489165		7628366109
नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि		**1625123056**		**699412706**

नकदी प्रवाह विवरण पर टिप्पणी

1. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां आवश्यक है पुनर्व्यवस्थित व पुनर्समूहित किया गया है।
2. नकदी व नकदी समतुल्य में विदेशी मुद्रा जमाराशियों शामिल है जो केवल विदेशी मुद्रा ऋणों को पूरा करने के लिए उपलब्ध है।

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
एस.सी. वासुदेवा एवं कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार

आर सी लूथरा
भागीदार,
सदस्यता सं. 81052

एस पी रेड्डी
निदेशक (वित्त)

देबाशीष मजुमदार
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 जुलाई, 2010

एस के भार्गव
कम्पनी सचिव

तुलन–पत्र के साथ संलग्न किया जाने वाला संलग्नक (आरबीआई द्वारा यथा निर्धारित)

गैर–बैंकिंग (गैर–निरपेक्ष स्वीकार या धारण) वित्तीय कम्पनी विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2007 के पैरा 13 के अनुसार यथा अपेक्षित विवरण, जहां तक वे कम्पनी पर लागू होते हैं

(रूपए करोड़ में)

विवरण	बकाया राशि	अधिदेय राशि
देयता पक्ष :		
प्रोद्भूत ब्याज लेकिन अदायगी नहीं, सहित एनबीएफसी द्वारा उपयोग किए गए ऋण और जोखिम		
(क) डिबेंचर्स		
(i) प्रतिभूत (कर मुक्त बॉण्ड)	100.00	शून्य
(ii) प्रतिभूत (कर योग्य बॉण्ड)	250.00	शून्य
(iii) अप्रतिभूत (कर योग्य बॉण्ड)	शून्य	शून्य
(ख) भारत सरकार से सावधि ऋण	241.85	शून्य
(ग) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण	804.86	शून्य
(घ) बैंकों से सावधि ऋण	1358.09	शून्य
(ड.) अस्थायी ओवरड्राफ्ट के रूप में बैंक को देय	6.33	शून्य
(च) बैंकों से नकद ऋण	शून्य	शून्य
जोड़	**2761.13**	**शून्य**

विवरण	बकाया राशि
परिसम्पत्ति पक्ष :	
वसूली योग्य बिलों सहित ऋणों और अग्रिमों का विवरण	
(क) प्रतिभूत ऋण	2888.07
(ख) अप्रतिभूत ऋण	134.29
(ग) विदेशी मुद्रा जमाराशि	567.37
(घ) भारतीय रूपया जमा राशि	339.05
जोड़	**3928.78**

सभी पट्टाकृत परिसम्पत्तियों, किराए पर स्टॉक और ऋणों व अग्रिमों का उधार प्राप्तकर्ता समूह–वार वर्गीकरण

विवरण	निवल प्रावधानों की राशि		
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	जोड़
1. संबंधित पार्टियां			
(क) अनुषंगी	शून्य	शून्य	शून्य
(ख) उसी समूह में कम्पनियां	शून्य	शून्य	शून्य
(ग) अन्य संबंधित पार्टियां	शून्य	शून्य	शून्य
2. संबंधित पार्टियों से भिन्न	3794.49	134.29	3928.78
जोड़	3794.49	134.29	3928.78

अन्य सूचना

विवरण	राशि		
i) सकल गैर–निष्पादक परिसम्पत्तियां			
(क) संबंधित पार्टियां	-	-	-
(ख) संबंधित पार्टियों से भिन्न	-	251.49	-
(ii) निवल गैर– निष्पादक परिसम्पत्तियां			
(क) संबंधित पार्टियां	-	-	-
(ख) संबंधित पार्टियों से भिन्न	-	(-) 31.47	-
(iii) ऋणों की क्षतिपूर्ति में अर्जित परिसम्पत्ति	-	-	-

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
एस.सी. वासुदेवा एवं कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार

आर सी लूथरा
भागीदार,
सदस्यता सं. 81052

एस पी रेड्डी
निदेशक (वित्त)

देबाशीष मजुमदार
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 जुलाई, 2010

एस के भार्गव
कम्पनी सचिव

इरेडा
IREDA

तुलन–पत्र सार और कंपनी की सामान्य व्यावसायिक रूपरेखा

I पंजीकरण संख्या: 0 2 7 2 6 5 राज्य कोड: 5 5 (कोड सूची देखें)

तुलन–पत्र तारीख: 3 1 (तारीख) 0 3 (माह) 1 0 (वर्ष)

II वर्ष के दौरान उगाही गई पूंजी (राशि हजार रुपए में)

सार्वजनिक निर्गम: शू न्य	अधिकार निर्गम: शू न्य
बोनस निर्गम: शू न्य	निजी नियोजन (सरकारी अंशदान): 1 9 6 0 0 0

III निधियों की संग्रह और परिनियोजन की स्थिति (राशि हजार रुपए में)

कुल देयताएं: 3 7 1 5 3 6 8 1	कुल परिसंपत्तियां: 3 7 1 5 3 6 8 1

निधियों के स्रोत

प्रदत्त पूंजी: 5 3 9 6 0 0 0	आरक्षित निधि व अधिशेष: 4 2 0 9 6 1 2
प्रतिभूत ऋण: 1 7 0 8 0 9 2 5	अप्रतिभूत ऋण: 1 0 5 6 7 1 4 4

निधियों का अनुप्रयोग

निवल स्थिर परिसंपत्तियां: 4 3 1 2 3 3	निवेश: 1 2 0 0
आस्थगित कर परिसम्पत्तियां: 2 6 5 5 3 3	निवल चालू परिसंपत्तियां: 3 6 4 4 3 4 4 8
विविध व्यय एवं अन्य: 1 2 2 3 7	संचित हानियां: शू न्य

IV कम्पनी का कार्यनिष्पादन (राशि हजार रुपए में)

व्यापारावर्त (टर्न ओवर)(सकल आय): 3 4 5 2 5 0 3	कुल व्यय (पीपीए सहित): 2 0 4 2 0 3 5
कर पूर्व लाभ: + 1 4 1 0 4 6 8	कर पश्चात् लाभ: + 7 2 6 8 7 7

(कृपया लाभ के लिए (+) हानि के लिए (–) को उचित बॉक्स में निशान लगाएँ)

प्रतिशेयर मूलभूत और न्यूनीकृत आय रुपए में (पीएटी): 1 3 6 . 8 8 लाभांश दर: 2 . 6 9

V कम्पनी के तीन मुख्य उत्पाद/सेवाओं के सामान्य नाम (मौद्रिक शब्दावलियों के अनुसार)

मद कोड संख्या (आई टी सी कोड): ला गू न हीं

उत्पाद विवरण: प रि यो ज ना वि त्त पो ष ण

एस. पी. रेड्डी
निदेशक (वित्त)

देबाशीष मजुमदार
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

31.03.2010 के अनुसार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की निधियों के स्रोत

क्र. सं.	कार्यक्रम	1.4.2009 के अनुसार शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	वसूलीय सेवा प्रभार	वापस की गई धनराशि	संवितरित राशि/ सब्सिडी	31.3.2010 के अनुसार कुल निधियां	31.3.2010 के अनुसार ऋण बकाया	31.3.2010 के अनुसार बकाया ब्याज	बैंक के पास शेष	इरेडा के पास शेष	कुल निधियां
	क्षेत्र			कुल							चालू खाता		
1	एसपीवी निर्माण ऋण (32046)	46863927	0	0	0	0	0	46863927	15732000	35281061	16196	(4165331)	46863927
2	एसपीवी प्रयोक्ता ऋण (32290+32425+32045)	160577413	0	1199992	1067523	42521987	0	118187895	9830723	21054448	1387064	85915660	118187895
3	एसपीवी प्रयोक्ता सब्सिडी (32424+32044)	(85366724)	0	0	0	0	0	(85366724)	0	0	0	(85366724)	(85366724)
4	एसपीवी बाजार (32142)	12000	0	0	0	0	0	12000	0	0	0	12000	12000
5	सौर तापीय (32081)	13357329	0	0	14375	390000	0	12952954	2490263	5159891	43944	5258856	12952954
6	माइक्रो हाइडिल अनुदान	7159879	0	0	7159879	0	0	0	0	0	0	0	0
7	एसपीवी पम्पिंग प्रचार अनुदान 94–95	163590	0	0	163590	0	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)
8	सौर तापीय अनुदान 93–94	21025	0	0	21025	0	0	0	0	0	0	0	0
9	एमएनईएस एसपीवी वि.का. प्रतिपूर्ति	972201	0	0	972201	0	0	0	0	0	0	0	0
10	एमएनईएस एसपीवी पम्पिंग फिल्म अनुदान	93100	0	0	93100	0	0	0	0	0	0	0	0
11	पूंजीगत सब्सिडी	3690822	0	0	0	0	0	3690822	0	0	0	3690822	3690822
12	सह–उत्पादन ब्याज सब्सिडी	70961098	0	0	0	0	36014219	34946879	0	0	0	34946879	34946879
13	एसपीवी प्रयोक्ता सब्सिडी 2001–2002–(32745)	525717	0	0	0	0	0	525717	0	0	0	525717	525717
14	एसपीवी प्रयोक्ता सब्सिडी 2002–2003–(32869)	(973)	0	0	0	0	0	(973)	0	0	34568	(35541)	(973)
15	एसपीवी प्रयोक्ता सब्सिडी 2003–04–(32968)	36722	0	0	0	0	0	36722	0	0	37397	(675)	36722
16	सौर ताप पर ब्याज सब्सिडी	3952	0	0	0	0	0	3952	0	0	0	3952	3952
17	एसपीवी प्रयोक्ता ऋण पर ब्याज सब्सिडी 2000–01(32636)	0	0	0	0	0	3402805	(3402805)	0	0	0	(3402805)	(3402805)
18	एसपीवी प्रयोक्ता ऋण पर ब्याज सब्सिडी 2001–02	(1621964)	0	0	0	0	6047687	(7669651)	0	0	0	(7669651)	(7669651)
19	एसपीवी प्रयोक्ता ऋण पर ब्याज सब्सिडी 2002–03	0	2658984	0	0	0	2658984	0	0	0	0	0	0
20	एसपीवी निर्माण पर ब्याज सब्सिडी (32591)	0	0	0	0	0	296898	(296898)	0	0	0	(296898)	(296898)
21	एसपीवी पर ब्याज सब्सिडी 99–2000	0	0	0	0	0	684937	(684937)	0	0	0	(684937)	0
22	लघु पनबिजली पर ब्याज सब्सिडी	37733911	0	0	0	0	28350811	9383100	0	0	0	9383100	9383100
23	अपशिष्ट से ऊर्जा पर ब्याज सब्सिडी	3289937	0	0	0	3289937	0	0	0	0	0	0	0
	योग	**258472961**	**2658984**	**1199992**	**9491693**	**46201924**	**77456341**	**129181980**	**28052986**	**61495400**	**1519169**	**38114425**	**129866917**